

Impact of Emotional Intelligence, Gender and Type of School on the Role conflict of Higher Secondary school Teachers

* Dr. (Smt.) Suman Lata Saxena,
** Shabana
*** Khalida Begum

The present study was designed to study the effect of emotional intelligence, gender and type of school on the role conflict of higher secondary teachers. Considering a 2x2x2 factorial design 450 higher secondary school teachers were administered the Teachers Role Conflict Inventory (Prasad & Bhusan, 1991) and the Emotional Intelligence Scale (Mishra, 2006). Three-way ANOVA findings indicate significant interaction effect of emotional intelligence, gender and type of schools, but the main effects were found not to be significant at 0.01 level.

A modern teacher of our society cannot be expected to fit in to the image of pre-historic 'Guru'. A teacher being a member of the modern society has to play diverse and dynamic roles to meet his various needs, obligations and expectations. In doing so they often suffer from role strain and role conflict particularly when they have to perform certain roles to meet their conflicting or incompatible expectations. The multiplicity of roles that the teachers have to fulfill can include that of diagnosis, guidance and counseling, remedial teaching, Record keeping, evaluation and finally teaching. Pressure in roles and hours worked had increased and role overload, role ambi-

guity and role conflict now characterized the job to some extent (Craton & Ehrich, 2002). Opposing pressure arise from engaging in multiple roles and these pressures can be incompatible by requiring different roles to compete for a person's limited time resources as well as the strain associated with one or more roles (Kopelman, Greenhaus & Carmelly, 1983). Role conflict occurs when a person occupies two or more positions simultaneously and when the role expectations of one are incompatible with the role expectations of the other (Sarbin, 1954). Role conflict was defined as the extent to which a person experienced pressures within one role that were incompatible

* Asstt. Professor, Education, Kalyan P.G. College, Bhilainagar
** Asstt. Professor, Education, Kalyan P.G. College, Bhilainagar
*** Asstt. Professor, Commerce, Bhilai Mahila Mahavidyalaya, Bhilainagar

with pressure within another role (Kopelman et al, 1983).

Role conflict is probably associated with different kinds of emotions so it is important to understand whether different inter and intra personal conflict resolution styles are associated with one's ability to identify emotions, understanding them, using emotions to facilitate thoughts and to regulate emotions. These emotions are collectively called Emotional intelligence (Mayer and Salovey, 1997) Organization like schools in a quest to increase quality of teaching learning process has realized the importance of emotional intelligence at work place. Intelligence alone is no more the only measure for success. Emotional Intelligence and social intelligence play a big role in person's success (Goleman, 1995). The emotions, feelings and values are vital for a person's well being and achievement in life (Ediger, 1997). Emotional Intelligence is the ability to perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand emotions and emotional knowledge and to reflectively regulate emotion so as to promote emotional and intellectual growth (Mayer and Salovey, 1997).

The economic pressure of inflation, influence of women's movement and the psychological need to develop one's self identity are encouraging the women to take a more active role outside the home to pursue full time careers. This makes them experience greater role conflict, tension and strain (Kapur, 1974) more the number of social roles higher the role conflict in working women (Malhotra and Sachdeva, 2005). Gender difference is found concerning Emotional Intelligence. Female teachers reported greater likelihood of demonstrating Emotional Intelligence compared to male teach-

ers (Perry, Cris, Ball, Ian, Stacy and Elizabeth, 2004). Individuals whose gender role and situation matches experience less gender role conflict.

Type of school, teaching experience, age, educational levels play significant role in the perception of various sources of stress related to teaching profession (Ravichandran and Rajendran, 2007). In government schools teachers have less control over schools, large classes, lack of facilities for teachers, outdated books and equipments, complains are not addressed quickly etc. Teachers of private schools get fewer incentives as government school teachers get, there is poor administrative support, lack of diverse population. There is difference in role concepts of school teachers working in public and private schools. (Presse and Bills, 1981) job stress mediates the relation between inter role conflict and performance. (Alexander, Mohr and Puck, 2007) significant relationship between organizational commitment, role ambiguity and role conflict was observed in the findings of Mehta, Gardia and Rathore 2010.

Problem and Hypothesis :

1. To find the effect of Emotional Intelligence on conflict of higher secondary school teachers.

There will be significant effect of Emotional Intelligence on the role conflict of higher secondary school teachers.

2. To find the effect of Gender on conflict of higher secondary school teachers.

There will be significant effect of Gender on the role conflict of higher secondary school teachers.

3. To find the effect of Type of school

on conflict of higher secondary school teachers.

There will be significant effect of Type of school on the role conflict of higher secondary school teachers.

Methodology Participants :

By adopting the technique of stratified proportionate random sampling four hundred

fifty higher secondary school teachers were selected as sample from the different blocks of Bilaspur district of Chhattisgarh.

Measures :

For the collection of data teacher's role conflict inventory constructed and standardized by Prasad and Bhusan (1991) and Emotional Intelligence scale by Mishra (2006) were used.

RESULTS AND DISCUSSION

Table : 1 - Summary of Anova

Source of Variance	SS	df	MS	F-ratio	Significance
EI	3.7136	1	3.7136	0.0420	NS
TOS	13.947	1	13.947	0.1578	NS
G	106.175	1	106.175	1.2017	NS
EI x TOS	777.63	1	777.63	8.8014	S**
EI x G	778.952	1	778.952	8.8164	S**
TOS x G	4.9278	1	4.9278	0.0557	NS
EI x TOS x G	2869.946	1	2869.496	32.4778	S**
WITH IN	18553.9944	210	88.3523		
TOTAL	23108.8358	217			

*S** Significant at 0.01 Level*

F-ratio for the main effect of Emotional Intelligence, type of school and gender is 0.0420, 0.1578 and 1.2017 which are found not to be significant at 0.01 and 0.05 level of significance. It indicates that there is no significant main effect of Emotional Intelligence, type of school and gender on the role conflict of higher secondary school teachers. The first order interaction effect of EI x TOS and EI x G are found to be significant at 0.01 level but the interaction effect of TOS x G are found

not to be significant at 0.01 level. The F-ratio for the second order interaction is 32.4778 which are found to be significant at 0.01 level of significance. The results are discussed in the following paragraphs.

Main Effects :

No significant main effect of Emotional Intelligence is in contradiction with the findings of Akintayo (2010) that Emotional Intelligence has significant influence on work-family role conflict management. Some other factors may

be affecting role conflict of teachers like lack of support from family members. Similar result was found in the findings of Beaty (1986) that family members support helps in minimizing stress. No significant main effect of type of school on role conflict is in contradiction with the findings of Richardson, Young, Vadenberg, Dejoy and Wilson (2008) that perception of organizational support can reduce stress and emotional exhaustion. Other factors may be effecting for role conflict like multiple roles in work and family. (Chapman, Dayton and Neat, 1994). Other reasons may be school level and teachers experiences contributed in explaining the conflict (Cinamon and Rich, 2005).


Gender has no main effect on role conflict. some other factors may be contributing like nervousness, anxiety when burdened with role demands. (Czywacy and Nasks, 2000).

Interaction Effects :

Table No. 1 shows that the interaction effect of type of school x gender has no significant effect on role conflict but the interaction effect of Emotional Intelligence x Type of School is found to be significant at 0.01 level which is depicted in graph no. 1

Graph No. 1: Interaction Effect of EI x TOS.

It is clear from graph no. 1 that role conflict of low emotional intelligent government school teachers was greater than high emotional intelligent government teachers. Low emotional intelligent characterizes in effective management skill and understanding. It has an impact on performance level (Kulkarni, Janakiram and Kumar, 2009). In spite of high emotional intelligence, private school teachers have greater role conflict than low Emotional Intelligent private school teachers. The reason may be excessive family roles. The findings of Dahlia, More and Abraham (2005) revealed that among Jewish teachers of Israel family roles contribute more to role conflict than work roles. Mean values also indicates significant difference in the role conflict of government and private higher secondary school teachers. The interaction effect of emotional intelligence x gender is depicted in graph no. 2



Graph No. 2 : Interaction Effect of EI x G

Graph No. 2 reveals that the role conflict of high emotional intelligent female teacher is less than role conflict of high emotional intelligent male teachers. It is in conformity with the findings of Petrides and Furnham (2000) that female scored higher than male on the social skills factors of emotional intelligence and manages role effectively. Greater role conflict of high emotional intelligent male teachers may be due to excessive involvement in


large number of social roles. Higher the social roles greater the role conflict (Cooke and Rousseau, 1984)

Mean values also indicates that role conflict of low emotional intelligent female is greater than role conflict of low emotional intelligent male teachers. The reason may be lesser potentiality to resolve conflict. It is substantiated by the findings of Shrivastava (1982) that employee’s potentiality to produce more was observed to perceive lesser ambiguities, role conflict and workloads.

There is no significant interaction effect of TOS x G on role conflict of teachers. Some other factors may be playing important role like teachers might be lacking interaction with co-workers, supervisors etc. which can give them absolute solution (Jackson and Schuler, 1985).

Second order interaction effect was found to be significant at 0.01 level of significance which is depicted in graph no. 3.

Emotional Intelligence-



Graph no. 3 : Interaction effect of EI x G x TOS

Graph No. 3 reveals that role conflict of high emotional intelligent male teachers of private school is greater than role conflict of high emotional intelligent male teachers of government school. Similarly the role conflict of low emotional intelligent female teacher of private school is greater than the role conflict of low emotional intelligent female teacher of government school. The reason may be non availability of resources and personal inadequacy (Aziz, 2004). Mean values also indi-

cates that role conflict of high emotional intelligent male teacher of private school is greater than role conflict of high emotional intelligent female teachers of private school. The reason may be insecurity, fear of losing job, short employment Status etc. It is substantiated by the findings of Netemeyer, Boles and MeMurrian (1996) that teachers with lifelong employment status experience less role conflict.

References :

- Akintayo, D. I. (2010) "Impact of Emotional Intelligence and work family role conflict in work organizations in Nigeria." *Journal Eastern Africa Social Science Research Review*, Volume-26, No. 1, P-23-40.
- Alexander, T., Mohr, Jonas, F. and Puck (2007) "Role conflict, job satisfaction, stress and the performance of General manager's." *European Management Journal*, Volume-25, Issue-1, P-25-35, University of Bradford and University of Erlanger, Nuremberg.
- Beaty, C. A. (1996) "The stress of managerial and professional female". *Journal of organization behaviour*, 17, P-233-251.
- Chapman, Ingersoll, Bayton and Neat (1994) "Balancing the multiple roles of work and care giving for children, adults and elders in Keita, G. P. and Huwell, J. J. (Education), Job stress in a changing workforce investigating Gender, diversity and family issues." *American psychological association*, P-283-400, Washington DC.
- Cinamon, R. G. and Rich, G. (2005) "Work-family conflict among female teachers." School of education, Tel Aviv University cited in.
- Cooke, R.A. and Rousseau, D.M. (1984) "Stress and strain from family roles and work role expectations", *Journal of applied psychology*, 69, P- 252-260.
- Cranton, N. and Ehrich, L. C. (2002) "Overcoming sleeplessness: role and work load of secondary school principals in Queensland." *Leading and managing*, volume-8, Issue-1, P- 17-35, Clarkton.
- Dahlia Moore and Abraham Gobi (2005) "Role conflict and perceptions of gender roles". *Journal sex roles*, P-251-270, Publisher-Springer Netherlands, Hebrew University, Jerusalem, Israel. Cited in.
- Ediger, M., Rao, D. and Bharkara (1996) "Data Analysis" *scientific attitude vis a vis scientific aptitude*, P-71, Discovery publishing house, New Delhi.
- Goleman, D. (1995) "Emotional Intelligence. Why it matter more than IQ for character, health and life long achievement." New York: Bantam Books cited in psychological studies." *Journal of national academy of psychology* (2004), Vol-49, No. 2 and 3, P-115.
- Jackson, S. E. and Schuter, R. S. (1985) "A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings". *Organizational behaviour and human decision processes*, Vol- 36, P-16-78.
- Kapur, P. (1974) "Changing status of the working women of India." Cited in Sunita Malhotra and Sapna Sachdeva social roles and role conflict: An interprofessional study among women., *Journal of Indian academy of Applied psychology*, volume-31, No.1-2, P-37-42
- Kopelman, R. E., Greenhaus, J. H. and Carmelly, T. F. (1983) "A model of work, family and

- inter role conflict. A construct validation study, *organizational behaviour and human performance*, 32, P-198-215.
- Malhotra Sunita and Sachdeva Sapna (2005), "Social roles and role conflict: An inter professional study among women." *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, Volume-31, No. 1-2, P-37-42, M.D. University, Rohtak.
- Mayer, J. D. and Salovey, P. (1997) "What is Emotional Intelligence." In P Salovey and D. Sluytrer (Eds) *Emotional Development and Emotional Intelligence implications for educators*, p- 3-34, Newyork, Basic books.
- Mishra K.S. (2006) "Manual for test of Emotional Intelligence" for school teachers, *Association for Educational trust*, Allahabad.
- Perry, Cris, Ball, Ian, Stacey and Elizabeth (2004) "Emotional intelligence and teaching situation: Development of new measures." *Issues in Educational research*, volume-14, P- 29-43, Western Australian Institute for educational research, 5/202 loode street, como, Western Australia.
- Petrides, V. K. and Furnham Adrian (2000) "Gender difference in measured and self estimated trait of emotional intelligence." *Journal of sex roles*, volume-42, No. 5-6, P- 449-461, University College, London, U.K. cited in <http://www.springlink.com/content>.
- Prasad, Pramila and Bhushan (1991) "Teacher Role conflict inventory." National Psychological Corporation, Agra.
- Presse, Norman, J., Bills and Robert, E.A. (1981) "comparison of role concepts between public and private school teachers" *psychology in the schools*, 189910, P-107-111.
- Ravichandran, R. and Rajendran, R. (2007) "Perceived sources of stress among the teachers." *Indian Academy of Applied Psychology*, 33(1), 133 to 136.
- Richardson, H. A., Young, J., Vandenberg, R. J., Dejoy, D. M. and Wilson, M. G. (2008) "Perceived organizational support role in stressor strain relationships". *Journal of Managerial Psychology*, 23 (7), 789 -810.
- Shrivastava, K. A. (1982) "Perceived Role stress as a function of employees productivity on alternative conceptualization" *Indian Journal of Applied Psychology*, 20(1), 43-47,



Child Labour in an Informal Sector

(A Study of Sohna Tehsil of District Gurgaon, Haryana)

* Dr. Subhash Rajoriya

This research paper is a brief summary of my M.Phil. Dissertation entitled "A Study on Child Labour in Informal Sector" (with special reference to small Hotels & Dhabas in Sohna Town of District Gurgaon of Haryana). The survey research was conducted in a small town of Gurgaon district of Haryana. The paper deals with the socio-economic conditions, working conditions, wage levels and health hazardous of the working children in small tea shops in the town. Data were collected through interview schedule, observation and group discussion.

Introduction :

"Happy child nation's Pride". "Today's children tomorrow's citizen". These optimistic and wishful slogans look shallow and morbid when we encounter child labour. The Problem of child labour is one of an important human right issue at stake. "A working child is defined as a child in the age group of 5 to 14 who is doing labour either paid or unpaid and is busy any hour of the day within or outside family. They perform different types of repetitive, monotonous, unpromising, boring and hazardous jobs and are quite often maltreated and exploited. The net effect of participation of children in work today is generally negative and harmful to their proper physical, mental and moral development. The condition of work and

working conditions are so bad that the various functions performed by children today have converted their work into labour. The children work on nominal wages for long hours without any rest interval, educational or recreational facilities, beyond their capacity and against their wishes. Child labour is found to be prevalent in both the sectors of the economy, formal as well as informal sector. But the bulk of child labour is employed in informal sector. Informal sector has a large demand for child labour. The work undertaken here by children is considered to be a part of family work and children working in family based occupations are exempted from the purview of law. Most of the informal sector units, like small hotels and dhabas, work with their own capital. So they

cannot afford the expensive labour. Child labourers have an easy access to these hotels in informal sector in every country as it is not very much regulated by the labour and industrial laws. Children work 12-14 hours a day without any interval. They are more exploited at roadside Dhabas where they work 18 - 20 Hours without any wage/pay than only fooding and clothing. Some children are orphan in these Dhabas. They are bonded labourers.

Review of Literature :

The various studies have been conducted by researchers on different aspects of child labour, which are presented here in a chronological way :

Burra, Neera, (1989), reviewed different studies keeping the girl child labour in mind and has stressed on the policies, laws, programmes with respect to these girls who are out of sight and hence out of mind. It concluded that sex typing attitude of parents are responsible for the devaluation of the girl child. Therefore girl child is devoided of skills and educations. Vimla, Farroqui, (1994), studied and analyzed the census data 1981 and 1991 and discussed on the issue that being a girl is a disadvantage in our country from the birth. Working girls are subjected to cruel treatment and sexual abuse. Further, stressed on the need for social awakening towards the status of girl child labour. Tripathi, V.P., (1996), studied child labour in Agra City and found that maximum of them were residents of the same region, belong to large nuclear families with low family

income. These children work under pathetic working and employment conditions. Maximum of these children were of the age group of 10-14 years living in poor socio-economic conditions, earnings few wages, work for long hours with no rest in between, no facilities and benefits like provident fund, medical compensation, etc. Forastieri, V., (1997) concluded that negative effects of child labour come from specific working conditions which endanger the safety, health and development of the working children. He found poverty, unemployment, large family size & illiteracy of the parents as the major causes of child labour. Tripathi, S.N., (1997), examined migrant child labour in depth and concluded that, absence of employment in rural areas, failure of crops, poverty, indebtedness, etc. are the vital factors of migration of child labour. The author emphasized towards compulsory primary education for elimination of child labour. Poverty was perceived as major factor for child labour. Rao, (1998) studied the general profile of the female workers in Beedi Industry at macro level in India. The production of Beedi is at corporate industrial level on the line of cottage industry. The Beedi workers are exposed to dust and nicotine causing respiratory diseases and infertility in young women and girls. Jawa, Rachita, (1999) discussed the female child labour with reference to poverty at micro level. The study was based on samples collected from different industries employing female child labour in Agra. It was concluded; poverty, population and illiteracy each breed each other.

Ghosh, Ruma, (2003), (NLI), conducted the study on child labour in Glass bangle industry of Firozabad of U.P. This study concludes that the younger children who are not capable of working sent to schools, but as soon as they grown up enough to work, their schooling is discontinued. The study also shows that the income of the child labour households is more than that of the non child labour households. The major causes for child labour were found poverty, illiteracy and large families. Sekar, H.R., 2004, (NLI), conducted a study on Child labour in Hazardous industries: The case of slaughter house and allied occupations in Delhi. The study concludes that the 87% household are migrant. The migrants are from west Bengal, U.P. and Rajasthan due to poverty, Flood, family dispute and unemployment. The children have an adverse impact on their psyche of the killings of animals. 61.3% of the children reported backaches due to slaughtering and 56.3% reported injuries. Strong supply side factors for child labour in slaughtering include social and religious discrimination, migration, illiteracy among parents and ignorance about benefits of education.

Main Objectives of the Study :

The major objectives of this study were as follows:

1. To study the socio- economic conditions of the working children in small tea shops.
2. To analyze the wages and working conditions of the child labourers in small tea shops in the study area.

3. To study the attitude of working children and their parents towards education and work.
4. To analyze the impact of work on their Socio-Economic conditions.

IV Methodology :-

The Present study is based on empirical data and the unit of study was the household having at least one child labourer. 50 children working in small hotels and dhabas were selected through purposive sampling and snow-balling method. As the hotels and Dhabas are located in different part of the study area (Sohna town of district Gurgaon, Haryana) and it was difficult to get access to the children, these methods were adopted. After locating the children, their families were traced and the interview schedules were administered to their households. Informal discussions and interviews were also used as research tools. The methodological strategy involved a combination of qualitative and quantitative data. Thus data was collected from two major sources – working children and their parents through interview schedules and focus group discussions. Information was elicited on the issue pertaining to occupation, working conditions, wages, income, living conditions, health conditions, educational status of children, awareness of the minimum wage, child labour legislation etc.

The universe of the study comprised of child labour household involved in the hotels and dhabas in the area of study, Sohana town of district Gurgaon of Haryana.

Table – 1

Age group (years)	Caste wise respondents			
	SCs (%)	OBCs (%)	Muslims (%)	Total (%)
6-10	5 (10)	---	8 (16)	13 (26)
10-14	15 (30)	4 (8)	18 (36)	37 (74)
TOTAL	20 (40)	4 (8)	26 (52)	50 (100)
Education : Illiterate	8 (16)	---	16 (32)	24 (48)
Primary	11 (22)	3 (6)	6 (12)	20 (40)
Upper Primary	1 (2)	1 (2)	4 (8)	6 (12)
TOTAL	20 (40)	4 (8)	26 (52)	50 (100)
Size of family : Below - 4	2 (4)	1 (2)	1 (2)	4 (8)
4 - 6	4 (8)	1 (2)	3 (6)	8 (16)
6 - 8	12 (24)	2 (4)	6 (12)	20 (40)
8 - 10	2 (4)	-	10 (20)	12 (24)
10 - 12	-	-	6 (12)	6 (12)
TOTAL	20 (40)	4 (8)	26 (52)	50 (100)
Status of Migration : Native	15 (30)	4 (8)	19 (38)	28 (76)
Migrant	5 (10)	---	7 (14)	12 (24)
TOTAL	20 (40)	4 (8)	26 (52)	50 (100)
Monthly Family Income (Rs.)				
0 -1000	---	---	2 (4)	2 (4)
1000 – 2000	3 (6)	2 (4)	5 (10)	10 (20)
2000 – 3000	10 (20)	0 (0)	15 (30)	25 (50)
3000 – Above	7 (14)	2 (4)	4 (8)	13 (26)

Note – figures in brackets show the percentage of respondents

Table – 2

REASONS FOR NOT SCHOOLING OR DROP OUT	No of children (%)
Parents' death or illness	10 (20)
Poverty and unemployment	28 (56)
No interest or continuous failure	12 (24)
TOTAL	50 (100)
PARENTS OCCUPATION	No of children (%)
Dead	4 (8)
Unemployed	8 (16)
Construction labourer	20 (40)
Stone-mine worker	6 (12)
Self employed (Cobbler, Barber, Black smith, Howker)	12 (24)
TOTAL	50 (100)
BREAK IN WORKING HOURS. (LUNCH BREAK)	No of children (%)
15 minute	10 (20)
½ hour	18 (36)
One hour	6 (12)
Not fixed	16 (32)
TOTAL	50 (100)
WAGES PER MONTH (RS.)	No of children (%)
400-600	14 (28)
600-800	24 (48)
800-1000	8 (16)
1000-1200	4 (8)
CLOTHING FACILITY	Responses (%)
Yes	2 (4)
No	48 (96)
FOODING	Responses (%)
Once in a day	50 (100)
Two times in a day	12 (24)
MEDICAL FACILITY	Responses (%)
No	50 (100)
WORKING IN NIGHT	Responses (%)
Working in day & night	12 (24)
Working only in day	38 (76)
PUNISHMENT FOR DAMAGE	Responses (%)
Verbal abuses	40 (80)
Beating	4 (8)
Pay cut	5 (10)
No punishment	1 (2)
HEATH PROBLEMS	Responses (%)
Fatigue	20 (40)
Body Pain/Ache	16 (32)
Respiratory problem	8 (16)
Burning by stove, gas	6 (12)
TOTAL	50 (100)

OFF DAYS (HOLIDAYS)	Responses (%)
Weakly	0 (0)
Monthly	5 (10)
Only on festivals (Marriage)	35 (70)
No Holidays	10 (20)
TOTAL	50 (100)

Note – figures in brackets show the percentage of respondents

Major Findings of The Study

The main focus of the study was to examine the socio-economic conditions, working conditions, factors affecting child labour, impact of the work on their economic conditions etc. The major findings of the study were as follows:

In Hotels and Dhabas, employers prefer child labourers as they are cheap. Most of the child labourers in small Hotels and Dhabas in the study area belong to the age group of 10-14 years. Among the all 50 selected child labourers 74 % belong to the age group of 10-14 years. Most of the child labourers in the study area belong to the weaker sections (SCs, Muslims) of the society. 52% are Muslims, 40 % are SCs and 8% are OBCs. Among the all child labourers Muslims are more in number. School Education of these children is nil. Most of the working children are illiterate (48%). Only 12% were found upper primary educated. Among all the illiterate children percentage of Muslim children is high.

The average size of the family of the child labourers in the study area is 6 -10 members. Among the all selected families 74% have more than 6 children. Mostly the big size of family reported in Muslims. The major reasons for children entering into labour market were found poverty, low wages of parents, unemployment, illiterate parents and parents' negative attitude

towards education. The main cause of drop – out was found economic hardship. 56% child labourers reported that they left the school due to economic hardship. 24% child labourers told no interest or regular failure as causes of drop - out. Most of the parents/guardians of the child labourers are construction labourers and stone-mine workers. They do not get minimum wages and do not get regular work. Generally they remain unemployed and do not get any work. The average income of the all households was found Rs. 2000-3000. The monthly income, they get is very low according to their family size. Only 26% households reported their monthly income above Rs. 3000.

The working conditions in small hotels and dhabas are not healthy for the child labourers. 64% child labourers work for 10 to 14 hours per day. The Child workers are asked to work form 5.00 am to 8.00 pm with a few minutes as relief in the middle of the day. It is observed that children receive extremely low wages for longer hours of work (upto 10-14 hours a day) frequently with abuses and insults from employers. 48% of the child labourers get Rs. 600-800 per month. 84% of child labourers reported that their wages is not quite well according to their work and working hours. While 16% said that they have no objection about the wages. In small hotels and Dhabas, the employers do not give any medical facility to the child labourers. If they do not come at work

at the time of illness, employers cut their wages also. As the hotels and Dhabas open daily, there is no off – day for the child labourers. Only at the time of marriages, festivals, etc. they get off days. There is no holiday is given to these children. Generally employers deduct the wages if any worker damages or breaks vessels. Sometimes, the employers abuse and beat them. Most of the child labourers revealed that customers talk non- sense and abuse them. And even the employers know about it, they never take their side. 76% child labourers work in day time only while 24% work only night time. Most of the Dhabas on Gurgaon – Alwar road open the whole night. Child labourers in Dhabas earn more money compare to child labourers who work in small hotels/ restaurants. In small hotels and restaurants, employers sdo not give food to the working children. But in Dhabas it is found that child labourers get breakfast, lunch and dinner also. Most of the parents of child laborers are not aware of the concept of minimum wages. None of them know about the laws against child labour. Among the all 50 selected children 72% reported unhealthy and painful work. They said that they feel fatigue and body pain after the work. As they work from morning to late evening, they have no time to play and entertain. They feel very tired when they come back from the hotels/ Dhabas. Most of the child workers revealed that they have borrowed loans from their employers to meet family expenditure and for repayment of old debts. The child labourers in hotels and Dhabas live in economic distress even after employment. By and large, child workers employed in Hotels and Dhabas are not covered under the various regulations, where employers ignore legal norms. Minors

are employed for work, and even when they are employed legally, they are not being brought under the purview of the laws. 90% of the parents of working children said that the contribution by their children improved their family life. They told, if they leave the job it will be very difficult to fulfill the basic needs of their family (bread, cloth and shelter). The attitude of parents / guardians of working children are not positive towards education. They think that the education is meaningless. They said that a number of educated people wandering in search of job. According to them education means waste of time and money and the result is educated but a hungry, frustrated and unemployed youngman. 70 percent of parents of child labourers like to withdraw their children from the work if option is given to them. While 30% deny withdrawing their children from the present job. According to most of the parents, Govt. can't help for the long time.

Refcommendations :

The important steps needed to abolish or eliminate child labour in our country are summarized as follows:

It must be realizing that the only way to certain child labour to ensure that children do not enter the job market in the first place. If this is not done, today's illiterate child labour will become tomorrow's illiterate and unskilled adults.

The root cause of growth of child labour is poverty. So poverty elimination programmes be launched widely. In the districts, where poverty is more, proper employment opportunities be provided there.

Attempts must be directed towards raising the income of the poorer sections of the

society because poverty and deprivation force children to work. It is the cruelest form of hypocrisy to pay insufficient wages to fathers of families and then to show sympathy by employing child workers and by contributing to child welfare agencies to feel that duty has been done.

Adult education programmes should be widely launched. Then the parents would recognize the value of children for themselves and for the nation.

One reform which can be carried out immediately is strengthening of inspection so that provisions of the law are not violated. The penalty for the breach of the Act should be both imprisonment and huge fine.

The age limit of the child labour should be increased than that defined in factories Act, 1948 of 14 years. As supported by V.V. Giri,

the age limit of employment of children should be raised to 16 years.

There should be consolidation to the existing laws relating to prohibition and regulation of employment of children into a single comprehensive law. This legislation should include employment, regulation, welfare and development of child labour.

Necessary recreational facilities besides education must be provided to children to develop their mental and physical status. The facilities of nutrition and health care be also provided.

The state high court and Supreme Court must take steps seriously in liberating and rehabilitation child workers and pass strictures to be forcefully implemented. A heavy fine and punishment should be imposed on both the employer and parents if they evade the orders.

References :

- Agrawal, R. (1999), *Street Children*, Shipra Publications, New Delhi.
- Bhan, S. (1991), *Child Abuse : An Annotated Bibliography*, Institute of Peace Research and Action, new Delhi.
- Bimal, K. (2000), "*Problems of Working Children*", APH Publishing Co., New Delhi
- Burra, Neera (1989), "*Out of Sight, Out of Mind*", Working Girl in India International Labour Review, Vol-128, No 5, p. 651
- Chandrashekhar, C.P. (1997), The Economic Consequences of the Abolition of Child Labour : An Indian Case Study", *The Journal of Peasant Studies*, Vol.24, April.
- Chaudhari, D.P. (1996), "*Demographic Profile of Child Labour in India*", ILO, New Delhi
- Farooqui, Vimal (1993), "*Cruel Treatment and Abuse of Girl Child*", Har Anand Publication, p-199.
- Forastieri, V. (1997), "*Children at Work*", ILO Publication Geneva.
- Gangi Reddy, Y (1998), "Incidence of Child Labour in Nonfarm Sector : A Study of Silk Reeling Industry", NIRD, Hyderabad.
- Gupta, Meena (1994), Special Problems of Enforcement of Child Labour laws and legislation", Award Digest, Vol. xx, No. 7-12, July – December.

- Jawa, Rachita (1999), *Female Child Labour and Poverty*, Manik Publications, Delhi.
- Juyal, B.N. (1993), "Child Labour in Carpet Industry in Mirzapur – Bhdoei", ILO, New Delhi.
- Khatu, K.K. (1983), Working Children in India Operational Research Group, Baroda.
- Mendelievich, Elias (1979), Child Labour, *International Labour Review*, vol – 118, Nov 5.
- Mishra, G.P. and Pandey, R.N. (1996), "*Child Labour in Carpet Industry*", APH Publishing House, New Delhi.
- Mohsin, Nadeem (1996), "Counting and Accounting of Child labour in Unorganized Sector", *Journal of labour and Development vol-1*, No. 2, New Delhi.
- Pant, S.C. (1965), *Indian Labour Problems*, Chaitanya Publishing House, Allahabad, p. 383-404.
- Sekar, H.R. and Ghose, A. (2001), "Child Labour in Moradabad Brassware Industry", VVGNLI, NOIDA.



An Evolution of Kisan Credit Card Scheme : Status and Growth

* *Dr. Kushal Jain Kothari*

** *Ashish Kumar Nakashe*

Kisan credit card scheme has emerged as innovative credit delivery mechanism to meet the production credit requirement in a timely hassle free manner. It is a vital tool for the rural development. Right from the inception of this scheme the farmers are enjoying the inherent advantages. As a pioneering credit delivery innovation, Kisan Credit Card Scheme aims at providing adequate and timely credit support from the banking system to the farmers for their cultivation needs including purchase of inputs in a flexible, hassle free and cost effective manner.

The present study is attempt to analyze status and progress of Kisan Credit Card Scheme made by the Banks in Balaghat district of Madhya Pradesh based on the secondary data, from time series 2009 to 2010 will be the reference year for this research paper.

Introduction

Institutional credit, which played a very important role in the development of agricultural sector, was instrumental in development of Indian agriculture. It showed all signs of resilience to natural shocks like droughts and famines. In fact, credit acted as a means to provide control over resources to enable the farmers to acquire the required capital for increasing agricultural production. It enabled the farmer to go for short-term credit for purchase of inputs and other services and the long-term

credit for investment purposes. Thus, credit played an important role by facilitating technological up-gradation and commercialization of agriculture. The success of Green Revolution in Indian agriculture to a large extent laid on institutional credit support to agricultural sector in terms of expansion in inputs like fertilizers, irrigation, private capital formation, etc (Samantra,2010).

In order to provide adequate and timely credit support from the banking system to farmers for their cultivation needs, including pur-

* Professor, Dept. of Economics, Mata Jijabai Govt. Girls College, Motitabela, Indore (M.P.)

** Ph.D.(Scholar), Dept. of Economics, Mata Jijabai Govt. Girls College, Motitabela, Indore (M.P.)

chase of all inputs, in a flexible and cost-effective manner, the Kisan Credit Card Scheme (KCC) was introduced in August 1998. The Scheme includes a reasonable component of consumption credit and investment credit within the overall credit limit sanctioned (Economic Survey, 2009-10).

Kisan Credit Card (KCC) scheme has eased the flow of credit to farmers. During 2010-11, 7.26 million KCC were issued by banks with sanctioned credit limit of 43,370 crore as against 9.01 million cards and credit limits of ₹ 34,982 crore during 2009-10. Of the cumulative 100.93 million credit cards issued, as at end-March 2011, 45.03 million cards (44.62%) were issued by commercial banks, followed by 40.70 million cards (40.33%) by co-operative banks and 15.20 million cards (15.05%) by Regional Rural Banks.

State-wise analysis of KCC issued as at end-March 2011, revealed that Uttar Pradesh accounted for 17.9 percent of the total cards issued, followed by Andhra Pradesh (16.9 per cent), Maharashtra (9 percent), Tamil Nadu (6.5 per cent), Karnataka and Madhya Pradesh (6 per cent) (nabard.org, Access, 2011).

Kishan Credit Card Scheme: features

1. Eligible farmer will be provided a Kishan Credit Card and a Pass Book or a Card-cum- Passbook.
2. Revolving cash credit facility allowing any number of drawals and repayments within the limit.
3. Entire production credit needs for full year plus ancillary activities related to crop production to be considered while fixing limit.

In due course, allied activities and non-farm short term credit needs may also be covered.

4. Limit to be fixed on the basis of operational land holding, cropping pattern and scales of finance.
5. Seasonal sub limits may be fixed at the discretion of banks.
6. Limit of valid for 3 years subject to annual review.
7. Conversion/ reschedulement of loans also permissible in case of damage to crops due to natural calamities.
8. As incentive for good performance, credit limits could be enhanced to take cares of increase in costs, changing in cropping pattern etc.
9. Security, margin and rate of interest as per RBI norms.
10. Operations may be through issuing branch/PACS or through other designated branches at the discretion of bank.
11. Withdrawals through slips /cheques accompanies by card and passbook.
12. Personal Accident Insurance of Rs. 50,000 for death and permanent disability and Rs. 25,000/- for partial disability available to Kisan Credit Card holder at an annual premium of Rs. 15/- per annum.

Advantages of the KCC Scheme:

1. Full year's credit requirement of the borrower taken care of.
2. Minimum paper work and simplification of documentation for drawal of funds from the bank.
3. Access to adequate and timely credit to farmer.
4. Assured availability of credit for 3 years

and avoidance of uncertainly involved in accessing credit on a year to year basis.

5. Annual review of limit and provision for enhancement subject to satisfactory operations.
6. Flexibility in use of credit and saving in interest burden.
7. Flexibility of drawing cash from a branch other than the issuing branch at the discretion of the bank.
8. Availability of the life cover/ disability insurance at very low premium in case the farmers meets with accident (NABARD, 2010-11).

Table 1
Bankwise distribution of Kisan credit card

Bank/Agencies	No. of Kisan credit Card	Percentage
Commercial Bank	12961	6.91
Regional Rural Bank	7688	4.11
District cooperative commercial bank	166844	88.98
Total	187493	100%

Bank/ Agencies	Target	Achievement
Commercial Banks	3000 (17.65)	1285 (12.85)
Regional Rural Banks	3000 (17.65)	1350 (13.50)
District cooperatives commercial banks	11000 (64.70)	9861 (89.65)
Total	17000 (100)	1792 (100)

Table 1 shows distribution of Kisan Credit Card in the district bank-wise analysis issued up to end March 2010, KCC issued by all the banks in the district namely CBs, RRBs and DCBs. 12961 thousand cards (6.91%) were issued by commercial banks, followed by 7688 thousand cards (4.11%) by Regional Rural Banks and 166844 lakh cards (88.98%). District cooperative commercial bank covered highest percentage total 187493 cards were issued in the district.

KCC Disbursement Performance in the District :

Table 2
Bank wise Target Achievement in Kisan Credit Card Distribution Till 2009-10

Table 2 shows bank wise target achievement in KCC distribution in the district that KCC target given to all the banks in the district. CBs were achieved 12.85 percent from the given target of 17.65 percent, RRBs covered 3.50 percent from the given target of 17.65 percent and DCCBs achieved highest 83.65percentage from the given target of 64.70 percent, it's explored that DCCBs performance are achieving more than given target in the district.

Conclusion:

With the above analysis shows that DCCBs performance are achieving more than given target in the district. There is need to accelerate Kisan Credit Card Scheme upscale its outreach to cover all the eligible farmers by creating greater awareness by the Commercial bank and the Regional rural bank also giving greater publicity to the scheme. Updation of land records and sensitisation of bank staff through training programmes will further add to the spread of the scheme. The exercise of preparing special agricultural credit plans with higher component of direct finance with a special thrust on small and marginal farmers should also receive high priority.

The success of KCC scheme depends on less stipulated norms. High value agriculture needs higher working capital and also entails higher risks. Facilitating credit through processors, input dealers, NGOs, that are vertically integrated with the farmers, including through contract farming, for providing them critical inputs or processing their produce, could increase the credit flow to agriculture significantly.

References:

Samantra samir (2010), “Kissan Credit Card-A Study”, Department of Economics Analysis and Research, NABARD, Mumbai, P,-11.

Economic Survey (2009-10), p.-195

www.nabard .org, Access dated on 13 July, 2011.

Potential Linked Credit Plan (2011-12), Disrict Balaghat, National Bank for Agriculture and Rural Development, Bhopal.

NABARD (2010-11), “Annual Report”, Mumbai, P.-13.



Civil Disobedience Movements in Raipur District the case of Forest Satyagrah in Chhattisgarh

* Dr. Pankaj Singh

Forest Satyagraha spread like a wild fire throughout the Chhattisgarh state. As a matter of fact the inclusion of the programme of forests Satyagraha in the civil disobedience movement had a great importance. This was the most popular movement in the rural areas of the state. The main objective of the forest Satyagraha was to put special pressure on the government in order to freely utilize the products of the Reserve Forest as well as that of the prohibited forests which was a daily requirement of the inhabitants. In the forest Satyagraha the forest laws were disobeyed in several ways. In this movement the Peasants, Villagers, Tribal's men and women played an active and important role. Such was the spirit that the government was taken a back and took stern measures to curb it.

Chhattisgarh caught the contagions of nationalist spirit which was inspired by Gandhiji's mass movement. Civil Disobedience Movement which was started by Gandhiji's Dandi March and breaking of Salt Laws was a national-wide movements with immense mass appeal.¹

It was difficult to conduct Salt Satyagraha in Chhattisgarh because of geographical locations. Chhattisgarh State being situated in the centre of India where no sea-shore is found, it was impossible to break salt law and thus enter the movement. But the spirit was however high and the people wanted to join the main

stream of the movement. Since new measures had to be adopted new methods of civil Disobediences had to be envisaged.²

Thus the novel feature of Civil Disobedience Movement was forest Satyagraha which meant violation of the forest laws. The features of the region, with its extensive forests, suggested this course of action as a form of civil-Disobedience. Forest Satyagraha had not been contemplated by the congress working committee in the programmes defined for the civil Disobedience movement, on 9th march 1930. Seth Govind Das, Pt. Ravishankar Shukla and Dwarka Prasad Mishra met Gandhiji on way

* Guest Faculty, S.O.S. in History, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

to Dandi at Jammusar and asked for his opinion on launching of forest satyagraha.³

Being ignorant of full facts on the points, Gandhiji refused to give his opinion and asked them to contact Pt. Motilal Nehru the congress president for guidance in this regard. D.P. Mishra who had been a 'Trusted Lieutenant' of Motilal Nehru in the Legislative Assembly, immediately proceeded to Allahabad for consolation. Motilal Nehru was reluctant to enlarge the programme without consulting Gandhiji who was far away at Dandi. In fact, he was apprehensive that a large scale forest Satyagraha involving thousands of advisers and villagers, cutting trees with axes, might lead to violence. After a long discussion and on the assurance of D.P. Mishra that the forest Satyagraha would be strictly in the spirit of the resolution of the Congress working committee and the principles laid down by Gandhiji, Motilal Nehru accorded permission to launching of forest Satyagraha in a very cautious manner.⁴ He realised that the forest Satyagraha stemmed from the discontent caused by the restriction on grazing rights, erosion of the traditional rights to take fuel and fodder from the forests and oppression of forest officials. His approval was restricted only to the violation of grazing law.⁵

The main objective of the forest Satyagraha was to put special pressure on the government in order to freely utilize the products of the Reserve Forest as well as that of the prohibited forests which was a daily requirement of the inhabitants. In the forest Satyagraha the forest laws were disobeyed in several ways, such as by leaving the cattle for grazing in the prohibited forests by collecting firewood and tree leaves from these forests without obtaining permission from the forest authorities and

by social boycott of the Forest and Revenue employees of the government. The main theme was to cut grass and twigs from the forests so as to protest and disobey the government laws. As per the Gandhian practice Satyagraha gave notice to the British government before they penetrated into the reserve forest in small batches to cut grass. The government arrested them and prosecuted them under section 379/112 C.P.C. and Section 26 of the forest laws and imprisoned them along with fines.⁶

Thus the originator of the forest Satyagraha was D.P. Mishra through whose efforts the congress gave permission to begin it. But unfortunately D.P. Mishra was arrested and he missed the opportunity of launching it. It was M.S. Aney who inaugurated it, on 10th July 1930, at Pusad in Berar with a party of volunteers.⁷

In Chhattisgarh it was first inaugurated in Durg district on 3rd August 1930 under the leadership of Narsingh Prasad Agrawal.⁸ In Raigarh district Harijan Dhaniram, Jagar Ram and Kunwar Bhan courted arrest after violating the forest law.⁹ It got spread in Bilaspur and Raipur district.¹⁰ In Raipur district, three important cases of forest Satyagraha were Registered these cases were in (1) Gattasilli case (2) Rudri-Nawagaon case and (3) Tamora case.

There had been a great importance of forest Satyagraha in Chhattisgarh. It became very popular in rural areas and the villagers and tribal's played an active role displaying a great courage and nationalism.

Forest Satyagrah in Ripur District :

Gattasilli village is situated in Dhamtari tahsil in Raipur district. At Gattasilli village 300 cattle were set loose for grazing in preserved

forest area. The forest officials seized them and sent them to the cattle pond. The cattle owners reported the matter to the malguzar, Guru Goswami Lal Saheb, who approached other officers of forest-department for the relinquishment of the cattle was not successful in his efforts. Then they contacted the office bearers of the congress committee, Dhamtari to Narayan Rao Meghawale of the Congress Committee and Nathuji Jagtap.¹¹ Both the congress leader immediately proceeded to Gattasilli with a party of Satyagrahis, namely Shobharam Dewangan, Sheobodhan Prasad, Ramlal Agrawal, Girdharilal Tiwari, Mukundrao Mane and Gangadhar Rao pandole.¹²

The news of the Satyagraha campaign immediately came to the notice of police. Shri Ramji, circle Inspector marched to the said village with a party of armed policemen.¹³ When the Satyagrahis reached the village they found that the cattle were let out for sale in decree. The Satyagrahi's requested the cattle pond authorities to release the cattle and when it was denied, they slept on the cattle pond. The policemen tried to remove them forcibly but they failed in their attempt. This made the police irrelative and then boiling water was brought and poured off on the Satyagrahis.¹⁴

2. Rudri-Nawagaon Case :

The forest Satyagraha at Rudri-Nawagaon was inspired by the success of Gattasilli. It was decided that from the reserved forest or Rudri which was about two kilometers from Dhamtari, a team of five Satyagrahi's will cut grass everyday and thus defy the forest law. It was decided to start the Satyagraha from 22nd August 1930 and Nathuji jagtap was appointed the team leader of the Satyagrahis.¹⁵

Before the Satyagraha could be started, Narayan Rao Meghawale and Nathuji jagtap were arrested, so Chhotelal Shrivastav became the leader. The team of first Satyagraha batch was led by Govind Rao Dabhawale which headed towards Nawagaon.¹⁶ When they reached Rudri-Nawagaon about half a mile of their destination. The police arrested them. The houses of prominent Satyagrahis and the Satyagraha Ashram were searched.¹⁷

The second batch of Satyagrahi's marched towards Rudri-Nawagaon on 23 August 1930. The police arrested Chhotelal Shrivastav, Ramlal Agrawal, Govind Das Joshi, Amritlal Khare and Shankar Rao Kolhatkar.¹⁸ The third batch of Satyagrahis starting the next day i.e. on 24 August included them. Police arrested Shyamlal, son of village headman of Nagri.¹⁹

After the arrest of all the prominent leaders of the Tahsil, Lal Saheb Ramsingh of Dhamtari, reorganised the movement. Thousands of people and Satyagrahi's gathered to defy section 144 by proceeding for Rudri-Nawagaon. A military van pursued the crowd. While attempting to check it, the police party was heavily stoned by the crowd consequently one sub inspector was seriously injured on the same day 5000 people collected at Rudri for forest Satyagraha. The District Superintendent of Police was assaulted while dispersing the mob.²⁰

It was violent attack on Sub-Inspector received eye-injury and fell unconscious. Three constables also received injuries.²¹ About the same event, Shobharam Dewangan writes that a lathi charge was made by the police, while Satyagrahis defied section 144 C.P.C. During the lathi charge, disorder and confusion was

natural. It was nothing but retaliation that restored firing. Bhinduji Kumbhkar and Ratnuji of Lamkeni village were seriously wounded, but even in that condition, they were arrested and sent to Raipur jail, Bhinduji in jail within two or three days of his arrest.²²

3. Tamora Case :

Tamora village was situated in Mahasamund tahsil. Yatin Yatanlal Jain and Shankar Rao Ganodwale launched the forest satyagraha in mahasamund tahsil. On 9th September, 1930 Yati Yatanlal Jain and Shankar Rao Ganodwale were arrested on the charge of contraband of forest goods.²³ Section 144 C.P.C. was promulgated on 13 September, 1930 Tamora village as well as in the adjoining areas of preserved forest. Despite this 10000 persons gathered there to defy Section 144 C.P.C. and the forest law. One day in a usual course the party of the Satyagrahi's led a teen aged girl Dayabati proceeded towards the preserved forest to defy forest law, but she was prevented and stopped by M.P. Dube, the then sub-divisional officer and magistrate on this she slapped the Magistrate. It was rather more than enough to resort to firing or to shoot her but the kind hearted Magistrate appreciated her holdness.²⁴

Adwait Giri Goswami declined the offer and the movement still continued for about 15 to 20 days. It became the routine of the Satyagrahis to enter the preserved forest and defy the forest law by cutting grass. During the movement 50-60 Satyagrahi's were confined and sentenced to 5 to 7 months rigorous imprisonment along with fine of Rs. 200/- to 700/- on 24th September 1930 Awaiting Giri Goswami, Chouthmal Bundansab and Pal Karare were arrested.²⁵

In the initial stage, the forest Satyagraha was carried on by small batches of volunteers in the government reserved forests by breaking grazing law. Subsequently, when the tempo of Satyagraha gained momentum, batches after batches followed in quick succession to offer satyagraha and ultimately even other people swayed by the gusto of new enthusiasm and regardless of consequences joined as volunteers and made the Satyagraha a mass movement. Ten to fifteen thousand people taking part in grass cutting and courting arrest with no remorse, became a common sight.²⁶

The stage where forest Satyagraha was enacted was the forests and hamlets of the remotest areas of the state and the major participants were the tribal's and village folk. The lesser known villagers, peasants and tribal men and women rose up to the level of urban and often even higher than them in showing courage, enthusiasm and patriotism.²⁷ A later development of this mass movement was the cutting of fire wood and twigs along with grass as a token of breaking the forest law.

Besides wooing land-owners and tenants into the movement the Congress politicians spread this message among the villagers and rural laborers and enlisted their participation into the Civil Disobedience Movement in 1930. By exploiting the grievances of these groups against the regulations in force in government forests, Congress workers persuaded them to break the regulations in many regional centers, generally in the presence of a large number of spectators.²⁸ These acts of Civil Disobedience caused considerable havoc in forests.²⁹ and challenged the government's ability to maintain order.³⁰ The excited bands of tribal's and villagers were seen every where cutting down and

carrying off timber under the local Congress leadership who had persuaded them to believe that the "British Raj" was over and Gandhiji had given the forests to the people.³¹

The stage where forest Satyagraha was enacted was the forests and hamlets of the remotest areas of the province and the major participants were the tribal's and village folk. This ascertains the fact that not only the urban India but the rural India too was eager to win independence and was ready to pay price for it by throwing itself in the blaze of freedom struggle. The lesser known villagers, peasants and tribal men and women rose up to level of urban and often even higher than them in showing courage, enthusiasm and patriotism. Though basically involving small rural folks and tribal's the forests Satyagraha witnessed active participation of urban population. An interesting factor we find here is the cross-sectional participation of landed proprietors vis-a-vis tenants, business classes vis-a-vis working, malguzars vis-a-vis small tenants.

One more thing to be noted in Forest Satyagraha the role of women in it. Women of India owe her liberation in the twentieth century to Mahatma Gandhi who made her realise her real strength and brought her out of the four walls of home to the helm of politics. Gandhiji thought of making use of her in the "passive"

part of the movement i.e. boycott and picketing programmes which was best suited for her temperament, but when it came to a more challenging task of "breaking a law" the women revealed the same inner strength and courage.

It is often said that all the Gandhian movements were started in a non-violent manner but ended up violently. The same is said about forest Satyagraha too. Whatever the reason - the police atrocities and ruthless suppression of the movement or arrest of major leaders of tired participants, the movements took a little violent turn in certain places. But it can never be called a violent movement without leadership! When local leaders got arrested spontaneous leaders came up and the tribal's and villagers too who actively participated and made the movement a success were basically disciplined.

In the conclusion we may say that forest Satyagraha spread like a wild fire throughout the Chhattisgarh state. As a matter of fact the inclusion of the programme of forests Satyagraha in the civil disobedience movement had a great importance. This was the most popular movement in the rural areas of the state. In this movement the Peasants, Villagers, Tribal's men and women played an active, important role. Such was the spirit that the government was taken a back and took stern measures to curb it.

References :

1. Philosophical Aspect of Forest Satyagraha in Central Provinces (1930-31); Unpublished Research Paper, Paper, presented by Dr. Abha R. Pal, Page No. 1.
2. Ibid, Page No. 1.
3. Ibid, Page No. 1.
4. "Young India", 1st May 1930, Also A.I.C.C. Papers file no. 28, 1931.
5. Ibid
6. "Madhya Pradesh Sandesh", 15th August 1987, A - 107.

7. "Note on Civil Disobedience Movement C.P. & Berar", 31st December 1930, Page No. 5.
8. "District Gazetteer", Durg, 1972, Page no. 64.
9. "District Gazetteer", Raigarh, 1976, Page no. 55.
10. Note on the Civil Disobedience Movements. op. cit.
11. "Dhamtari nagar Aur Tahsil Ke Swantrata Sangram Andolan" Shobharam Dewangan, (Hand written Script), pp. 53-54.
12. Ibid, Page No. 53.
13. Ibid, Page No. 53.
14. "History of Freedom Movement of Chhattisgarh" Unpublished Thesis by Ashok Shukla.
15. "Freedom Movement in Dhamtari Tahsil", File no. R11, 5/3, P. 2.
16. "Freedom Movement in Raipur District with spl. Ref to Dhamtari 1857-1947" Unpublished Thesis by Ramgopal Sharma.
17. "Forest Satyagraha at Rudri-Nawagaon, History of Freedom Movement", File No. 5/3, p. 252.
18. Motilal Tripathi, Freedom Fighter, Interview taken on 01/01/1991.
19. "Freedom movement in Dhamtari Tahsil", File No. R11, 5/3, p. 2.
20. "District Gazetteer", Raipur, 1973.
21. "Home Political Department", C.D. Campaign, File No. 14/14/1931.
22. Shobha Ram Dewangan (Hand Written Script) op. cit.
23. Home Political Department, C.D. Campaign, File No. 14/14/1931.
24. "Chhattisgarh-ke jan Jiwan men Gandhiji Ka prabhav", quoted by Ashok Shukla, "History of Freedom Movement in C.G. (1857-1947)", (Unpublished Thesis) 1976, p. 239.
25. Ibid
26. A.I.C.C. papers, File No. - 24 of 1930.
27. "Philosophical Aspect of Forest Styagraha in Central Provinces (1930-31)", Unpublished Research paper by Dr. Abha R. Pal, P.
28. "The hitvada" 17 April 1930: 10 July 1930, 24 August 1930, 24 August 1930, Home Political File No. 18/9/30. Fortnightly Report 1 August 1930.
29. The total damage to forests was estimated at Rs. 70000/- in 1930 there was a 45% increase in unauthorised collection of fuel and a 49% increase in unauthorised grazing over the previous year. Administration Review, 1929-30, p. 15: Report on the Forest Administration of the C.P. & Berar, 1931.
30. Political and Military Department File No. 39/CDM of 1930.
31. Home Political File No. 368 of 1930. It contains a communication from Chief Secretary C.P. to Home Secretary, Government of India, 13 September 1930.



Maulana Abul Kalam Azad; An Unparalleled Educationalist in Modern India

* Sanjoy Kumar Kar

In the 20th century the virus of communal tension gripped the country. Hatred, intolerance, selfish motives diluted the Nationalistic fervour, while the British were riding high on the crest with their policy of “Divide and Rule”, India was caught in a whirlpool of impasse. It was at this time when the dark clouds of communalism aborted the hopes of Indian leaders and the masses were disillusioned, Maulana Abul Kalam Azad with the message of Hindu-Muslim Unity and oneness appeared on scene of steer our ship from the turbulent storms to the peaceful shores.

Pt. Jawaharlal Nehru described Maulana Azad as “A great man – a man of luminaries, intelligence and intellect with an amazing capacity to pierce through a problem to its cause. The word ‘Luminous’ is perhaps the best word I can use about his mind. When we miss and when we part with such a companion, friend, colleague, comrade, leader and teacher there inevitably a tremendous void created in our life and activity.”

Life of Abul Kalam Azad :- Maulana Abul Kalam Azad was born on Nov. 11, 1888 in a deeply orthodox muslim family in Mecca, Saudi Arabia, Islam’s main center of pilgrimage. He was a distinguished scholar, a great poet, a true freedom fighter and independent India’s

first education minister. His forefathers came to India during the ‘Mughal Emperor, Babar, from Herat Afghanistan. Azads were the descendent of eminent Ulema or Scholars of Islam region. His mother was the daughter of rich Arabian Sheikh and his father, Maulana Khairuddin was a Bengal Muslim of Afghan origins. Khairuddin left India during 1857, Sepoy Mutiny and settled in Mecca, where he met his wife. In 1890 he along with family returned to Calcutta (Now Kolkata).¹

Academic Career of Azad :- Maulana Abul Kalam Azad’s real name was Abul Kalam Ghulam Muhiyuddin. Maulana Azad had his initial formal education in Arabic, Persian and Urdu with theological orientation and then

* Guest Faculty, S.O.S. in History, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

philosophy, geometry, mathematics and Algebra. He also learnt English language, world history, politics on his own. Maulana Azad had a natural inclination towards writing and this resulted in the great start of the monthly magazine “Nairang-e-Alam” in 1899.

Entrance in political life :- After his return in India from an extensive visit of Egypt, turkey, Syria and France, Azad met prominent Hindu revolutionaries – Shri Aurobindo Ghosh and S.S. Chakraborty. They helped in developing radical political views and he began to participate in the Indian Nationalistic Movement. Then he continued to write provocative articles against the British Government.²

Participation in Indian National congress :- While extending his support to Mahatma Gandhi and Non-co-operation movement, Maulana Azad joined the Indian National Congress in January, 1920. He also emerged as an important National leader of the Indian National Congress party. He also served as the member of congress working committee (C.W.C.). In 1930 Azad was arrested for violation of the salt laws as part of Gandhi’s salt Satya Grarha. He was put in meerut jail for a year and a half.³

During the violence that erupted following partition of India, Azad assured to take up the responsibility for security of muslims in India. Towards this, Azad toured the violence – affected regions of borders of Bengal, Assam and Punjab. He helped in establishing the refugee camps and ensured uninterrupted supply of food and other basic materials.

Azad becomes an education minister :- He was imprisoned several times by the British. From 1920-1945 Abul Kalam Azad was in

and out of prison a number of times. He was twice elected president of the Indian national Congress in 1923 and in 1940. He continued as president of the Congress till 1946 and when India became independent he was taken in the cabinet by Pt. Jawaharlal Nehru and appointed him as Educational Minister of free India, a position that he held till his death on 22 Feb, 1958.

Maulana Abul Kalam Azad; as an educational minister :- Abul Kalam Azad was one of those geniuses whose names are written with golden letters in the pages of history. All of them contributed their energies in various ways. They not only structured the syllabi but also formulated the politics in the order to carry the light of education in the remotest rural areas. They also chalked out programmes for the training of teachers to make them abreast of the development taking place in the world of education.⁴

Sir Sayyid Ahmed Khan inspired Maulana. Maulana Abul Kalam considered that education is incomplete without the knowledge of western education. He did not go to any Madarasa, nor did he attend any modern institution of western education. He learnt everything at his home. Though born to an orthodox muslim family, he was a truly secular person. He started urdu weekly “Al-Hilal”.

So prof. Sayed Azam said, “Education is the key and this was visualized by Maulana Abul Kalam Azad.”⁵

But if we look back to the historical development of education in India, a man of enormous tastes, rated high in the realm of education Maulana Abul Kalam Azad has all along played a prominent role in keeping the

Movement of education alive in this country.

Azad's vision about education :- Azad was secularist and eminent educationist. As India's first education minister, he was convinced that education is a tool of social transformation. He had a clear vision that all individuals should have a right to education that would develop their faculties and enable them to live an enriched life. He well rounded view of education prompted him to set up apex education bodies like the All India Council of Technical Education and the University Grants commission.

He also thought 'education is essential for preparing a population that is not only knowledgeable and skilled but is aware of its responsibilities and willing to contribute to the growth of the nation and as well as well being of society.'

His tremendous effort for education :- The philanthropist Maulana Abul Kalam Azad introduced a bill in parliament on 26 April 1951 to amend the Beneras Hindu University act, 1915 so that the university would open its door to the students of all communities. The Government had decided not to change the name of Aligarh Muslim University and Beneras Hindu University, but both Hindu and Muslims could become member of the courts of both universities when the bill was passed on 23rd sept, 1951.⁶

Maulana was very anxious to leave an abiding impact on the system of education and held the mechanism of the state govt. functionaries and the inertia of the government machinery responsible for his inability to achieve something remarkable.

Even before assuming the reins of office as Minister of Education, Maulana said that the

most important task before the National govt. would be to set up a new programme of National Education.

Maulana Azad said, "The central Govt.'s educational programme induced the setting up of a National Museum, allocation of funds for fundamental research, development of archaeological studies and the use of broadcasting films for purposes of mass media."⁷ Maulana Azad was against the existence of communal University as they harmed the country greatly. He praised the missionary societies for spreading modern education and in contributing to the development of modern languages. However he criticized the mass conversion carried on by them.

Aazd; The founder of many educational institutions:- "Education and awareness would be necessary if peace is to be ushered into society, in the country and on the globe, and if future generation's are to be empowered with spreading and maintaining prosperity and development. The creation of the future generation, which are capable of facing challenges of the future, is indeed an investment."⁸ By Maulana Abul Kalam Azad.

Realizing this matter Azad established many new educational institutions which were the National Academics viz the Sangeet Natak Academy (1953), Sahitya Academy (1954) and Lalit Kala Academy (1954), 'The Indian council for cultural Relations' having been established by him earlier in 1950.⁹

The Maulana felt that the cultural content in Indian Education was very low during the British rule and needs to be strengthened through curriculum. As chairman of the

Central Advisory Board of Education, an apex body to recommend to the Govt. educational reform both at the center and the states including universities. He advocated in particular universal primary education, free and compulsory for all children upto the age of 14, girls education, vocational training, Agricultural education and technical education. Over all, he established the university Grants Commission (U.G.C.) in 1956 by an act of parliament for disbursement of grants and maintenance of standard in Indian universities.¹⁰

Progress of Engineering and technical Education during the period of Azad :- On the technical education side, he strengthened the All Indian Council for Technical Education (AICTE). The Indian Institute of Technology, Kharagpur (IIT-K) was established in 1951 followed by a chain of IIT's at Bombay, Madras and Kanpur and Delhi. "The School of planning and Architecture" (SPA) Came into existence at Delhi in 1955.

Besides, it can be well understood on the basis of following statistic from 1947 to 1955. During this period the technical and engineering education was developed rapidly in India by the educationist, Maulana Azad.

Development of Engineering Education

Development of Technical Education

Subject	1947	1950	1955
The number of educational Institution	16	24	25
The number of students	420	782	1050
The qualified students	300	498	700

Thus Maulana Azad built a modern India through strengthening higher and technical education, he also held the belief that along with training engineers and technicians for the development of the industries, it is equally necessary "to spread general Education for raising the general level of economic activities in the country."¹¹

Azad's contribution for Religious Education :-

Maulana Azad advocated religious teaching in schools, not from a narrow, factional sense of religiosity, but from a liberal and open perspective. His definition of "Secular" was different even from the mainstream opinion of the period, for he believed and worked for multi-culturalism and interfaith understanding. A strong advocate of the need to transcend narrow provincialism, he declared "We want to built in India a national outlook which will transcend the limitations of province, state, religion, caste or language."¹²

He believed that the solution to the problems created by religious fanatics lay not in rejecting religions instruction in elementary stages the solution to the problems created by religions fanatics lay not in rejecting religions instruction in elementary stages but in imparting sound and healthy religious education so

that children in their formative stages would not be misguided to fanaticism and intolerance of other religions.

His other countless contributions :- A part from his countless contributions in the field of education, Azad rose to prominence through his work as a journalist, publishing works critical of the British Raj and espousing the causes of Indian Nationalism, Azad became a leader of the khilafat Movement during which he came into close contact with Indian leader Mahatma Gandhi.¹³ Azad became an enthusiastic supporter of Gandhi ideas of Non-violent Civil Disobedience and worked actively to organize the Non-cooperation movement in protest of the 1929 Rowlat's Acts. He was also a strong advocate of undivided India.

Conclusion :- However it can be said that Maulana Abul Kalam Azad is one of those rare personalities through whom the distinctions of the 20th century can be recognised and possibilities of the 21st century determined. He was also the builder of Modern India. The country's educationist has to learn from his outstanding contributions and policies. Maulana was the first to raise the issue of the national system of education which is today the bedrock of the national policy on education (1986) updated 1992. The concept implies that, up to a given level, all students, irrespective of caste, creed location or sex have access to education of comparable quality.

He had not only the great contribution

in education but also in the Hindu-Muslim unity and Indian National movement. In this context his notable words were "If an angel were to descend from the clouds today, settle on the Qutub Minar of Delhi and proclaim from their that India will attain Swaraj provided Hindu-Muslim unity is renowned, then I would renounce Swaraj and not sacrifice Hindu-Muslim unity, because if Swaraj is delayed, it is the loss to India, but if Hindu-Muslim unity is lost, it is the loss to humanity."

Besides he was an educationist, freedom fighter and philanthropist that has been written with the golden scripts in the pages of Modern History.

Being impressed by Azad, prof. Azam said, "Azad was secularist and responsible for introducing compulsory education in the country for empowering the people. He was also responsible for universal Adult Franchise."

However, Maulana's life was a penance and a sacrifice, an offering to the wide galaxy of great souls of India. This supreme unconditional sacrifice should be imprinted in the minds of every Indian. His boundless and endless concern should be expressed in every possible way so that man may learn that a meaningful life is to seek the "brotherhood of man and fatherhood of God."

At last, I can say that it is only when people learn from the lives of such noble men that they understand, life is not merely living as it comes but living for a noble cause.

References :

1. Chopra, P.N., Maulana Abul Kalam Azad – unfulfilled dreams, Interprint Publication, New Delhi, 1990.P.P.-97-99.
2. Grover, B.L. and et.al, Adhunik Bharat ka Itihas (From 1707 to the present time). S.Chand

- and comp Ltd, New Delhi: 2006 P.-129.
3. Jain, M.S. Adhunik Bharat ka Itihas, Macmillan com and Indian Ltd. New Delhi P.-205
 4. Kalam, Maulana Abul. India wins Freedom (Autobiography), Orient longman Limited, Madras ; 1988. P.-115
 5. Malasiani, Arsh, Adhunik Bharat ka Nirmata ; Maulana Abul Kalam Azad, Indian govt. pub, Faridabad : Sept, 1980. P.-93
 6. Chauhan, Thakur Devising, Naya Bharat ka Shilpi, Pragati Pub, 1986. P.-79
 7. Nagori, S.L. and Byash, Prakash, Adhunik Bharat ka Rajnitik, Arthik or Samajik Itihas Vol.-2, Panchshil pub., 2004. P.P.- 153-154
 8. Kumar Ravindra, Life and works of Maulana Abul Kalm Azad, Atlantic publishers and distributors, 1991. P.-57
 9. Abduhu, G.Rasool, The educational ideas of Maulana Abul Kalam Azad, Steerling publishers, 1973. P.-163
 10. Azad Abul Kalam and et. al, India's Maulana Abul Kalam, Indian Council for cultural Relation Pub., 1990. P.-192
 11. Rahman, Hakim Syed Zillur, Maulana Azad ek Muttala, Saifia college, Bhopal 1990, P.-93
 12. Rahman, Hakim Syed Zillur, Maulana Azad aur Bhopal, Aligarh Muslim University, Aligarh, 1989, P.P.-107-112
 13. Gupta, K.R. and Gupta, Amit, Concise Encyclopedia of India Vol.-3, Atlantic publishers and distributors, P.-1040
 14. <http://www.aice.org.in/new/pas-president-details>.



सांवेगिक बुद्धि का अकादमिक उपलब्धि पर प्रभाव (विद्यार्थियों के लिंग तथा विद्यालय प्रकार के संदर्भ में एक अध्ययन)

* सुनीता रानी

** डॉ. बंशगोपाल सिंह

वर्तमान अनुभवात्मक अध्ययन में विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि, लिंग एवं विद्यालय प्रकार का शैक्षिक उपलब्धि के निर्धारण में भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में 90 छात्र एवं 90 छात्राओं का चयन दो प्रकार के विद्यालयों— अशासकीय तथा शासकीय से किया गया है, तथा उन पर मंगल एवं मंगल सांवेगिक बुद्धि मापनी का प्रशासन किया गया। प्राप्तांकों के आधार पर सांवेगिक बुद्धि के दो समूह (निम्न एवं उच्च) का निर्माण किया गया। इस प्रकार अध्ययन में 2x2x2 कारकीय अभिकल्प का प्रयोग किया गया। चयनित प्रयोज्यों के वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों को शैक्षणिक उपलब्धि के रूप में लेकर त्रिदिश प्रसरण विश्लेषण किया गया। इसके साथ ही सांवेगिक बुद्धि के विभिन्न घटकों एवं विद्यार्थियों के लिंग तथा शाला के प्रकार को स्वतंत्र चर के रूप में लेकर प्रतिगमन विश्लेषण किया गया। परिणाम से स्पष्ट हुआ कि अशासकीय शाला के विद्यार्थियों की उपलब्धि शासकीय शाला के विद्यार्थियों से उच्च पाई गई जबकि सांवेगिक बुद्धि उच्च होने पर शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर घट जाता है। प्रतिगमन विश्लेषण का परिणाम स्पष्ट करता है कि विद्यालय के साथ सांवेगिक बुद्धि का एक घटक अंतर व्यक्ति जागरूकता की भूमिका शैक्षिक उपलब्धि के मामले में ऋणात्मक होती है जबकि अंतःव्यक्तिगत जागरूकता, अंतःव्यक्तिगत प्रबंधन तथा अंतर व्यक्ति प्रबंधन की भूमिका सार्थक पाई गई।

शैक्षिक उपलब्धि एवं बुद्धि की व्याख्या में अनेक शोधकर्ताओं ने लगातार अध्ययन संपादित किये हैं, परंतु एक भी अध्ययन ऐसा नहीं रहा है जिसमें यह प्रमाणित हो सके कि बुद्धि ही इसके लिये मात्र महत्वपूर्ण कारक है। (स्टर्नबर्ग, 1988, 1999) ने स्पष्ट किया है कि औसत रूप से बुद्धि तथा शैक्षणिक उपलब्धि का सहसंबंध लगभग 0.25 होता है ऐसी

स्थिति में शोधकर्ताओं का ध्यान बुद्धि से भिन्न कारकों की तरफ जाना स्वभाविक है।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में छात्र एवं शिक्षक व्यवहार एवं उनके बीच की अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी एक निष्क्रिय इकाई नहीं है वरन् एक सजग, अभिप्रेरित एवं विभिन्न प्रकार संज्ञानात्मक जटिलता युक्त व्यक्ति है। उसका एक

* शोध छात्रा, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर

** प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

भिन्न व्यक्तित्व होता है, वह कक्षा एवं कक्षा के बाहर भी अपने सहपाठियों, शिक्षकों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है, तथा फलस्वरूप अध्ययन हेतु उसकी अभिप्रेरणा एवं प्रयास प्रभावित होता है, तथा अंततः उसकी उपलब्धि भी प्रभावित होती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखें तो स्पष्ट होता है कि सहपाठियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं व्यक्तियों से अंतःक्रिया करने में एक विशिष्ट योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि वह योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति स्वयं एवं अन्य के संवेगों का मूल्यांकन करता है तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अंतःक्रिया करते हुये अपना व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि के साथ ही सांवेगिक बुद्धि पर विचार महत्वपूर्ण हो जाता है।

संवेग एक भावात्मक प्रक्रिया है। प्रायः संवेग एक विघटनकारी बल माना जाता है जो किसी व्यक्ति की तर्कपूर्ण चिंतन एवं उसकी योग्यता को बाधित कर देता है। संवेग का प्रकटन अति सरल है, परंतु सही समय, सही स्थान पर एवं सही व्यक्ति के साथ उचित मात्रा में इसका प्रदर्शन बहुत कठिन होता है। वस्तुतः संवेग के प्रबंधन के लिये विख्यात सम्प्रत्यय, सांवेगिक बुद्धि कहलाता है। इसे बुद्धि का अनुभव पक्ष कह सकते हैं। बुद्धि सम्प्रत्यय का प्रथम उपयोग (मॉयर एवं सलोवी, 1989) ने किया था। परंतु इसको विख्यात करने का श्रेय (गोलमैन, 1995, 1998) को जाता है। इन्होंने इसे जीवन के संवेगात्मक पहलू से संबंधित शील गुणों या योग्यताओं का समूह कहा है।

मॉयर, सलोवी एवं कारूसो, (2000) ने सांवेगिक बुद्धि पर हुये कार्य एवं उसके उपागमों का विश्लेषण करते हुये इसके दो मॉडलों योग्यता एवं मिश्रित की चर्चा की है। योग्यता मॉडल का उल्लेख (मॉयर एवं सलोवी, 1997) ने किया है। इनके अनुसार सांवेगिक

बुद्धि संवेगों को प्रत्यक्ष करने एवं प्रकट करने, संवेगों को विचार के रूप में समंजन, अपने एवं अन्य के संवेग को समझने एवं नियमन की योग्यता है (सलोवी एवं मॉयर, 1990)। मिश्रित मॉडल पहले मॉडल से सहमत नहीं है। गोलमैन, (1995) एवं बार-आन, (1997) ने सांवेगिक बुद्धि को व्यक्तिगत चर के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार स्व-नियंत्रण, उत्साह, धैर्य एवं अपने को अभिप्रेरित करने की योग्यता सांवेगिक बुद्धि में सम्मिलित है। बार-आन, (1997) ने इसमें पांच प्रकार के कौशलों का उल्लेख किया है:— अंतःवैयक्तिक कौशल, अंतवैयक्तिक कौशल, अनुकूलन कौशल, प्रतिबल प्रबंधन कौशल एवं सामान्य मूड़। इस मॉडल मानसिक योग्यता के साथ ही अभिप्रेरणा, चेतना एवं सामाजिक क्रिया-कलापों को भी महत्व दिया जाता है (गोलमैन, 1995, बार-आन, 1997)। मिले-जुले यह मिश्रित मॉडल पर कार्य करते हुये गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि की पांच क्रियाओं का उल्लेख किया है:— स्वज्ञान, स्वनियमन, स्वअभिप्रेरणा, सहानुभूति एवं सामाजिक कौशल।

सांवेगिक बुद्धि से संबंधित चरों में इसका संबंध Self efficacy (Chan, 2004), लिंग एवं आयु (Amelong & Steimayr, 2006; Brackett, Mayer & Warner, 2004, Brackett, Wanner & Bosco, 2005; Higgs, 2004; Pandey & Tripathi, 2004; Van Rooy, Alonso & Viswesvaran, 2005), आयु (Chapman, Hayslip, 2006; Umadevi, 2005), जानकारी (Manna & Smith, 2004), बुद्धि एवं तार्किकता (Locke, 2005), वाचिक बुद्धि (Jausovec & Jausovec, 2005), बहुबुद्धि (Bay & Lim, 2006), सामाजिक कौशल एवं व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों (Day & Carroll, 2004) इत्यादि से पाया गया है।

इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि को स्वतंत्र चर मानते हुये इसके प्रभाव का अध्ययन शोध क्षेत्र में एक शौक रहा है। इसे अनेक प्रकार्यों से संबंधित पाया गया है। उदाहरण के रूप में इसका संबंध

अध्यापक-छात्र अंतःक्रिया (Chak, 2006), सामाजिक कार्य (Brackett, Rivers, Shiffman & Lerner, 2006), प्रतिबल प्रबंधन (Hunt & Evans, 2004; Parker, Saklofske & Huang, 2005) इत्यादि से पाया गया है। सांवेगिक बुद्धि हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है, तथा फलस्वरूप यह व्यवहार के परिणाम को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, न्यून अवसाद, सामान्य स्वास्थ्य, व्यक्तिनिष्ठ थकान, जीवन संतोष, अंतर व्यक्तित्व समायोजन इत्यादि को सांवेगिक बुद्धि प्रभावित करती है। बिहारी एवं अन्य, (2004) ने माध्यमिक शिक्षकों के संवेगात्मक बुद्धि, लिंग व आयु का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी शिक्षक संवेगात्मक बुद्धि के निम्न स्तर में आते हैं, यह भी पाया कि संवेगात्मक उपलब्धि शिक्षकों के लिंग व आयु पर निर्भर नहीं करता है। उमादेवी (2005), ने पाया कि किशोरावस्था में संवेगात्मक बुद्धि के स्तर एवं संवेगात्मक बुद्धि की विमाएं, सामाजिक महत्व, जिम्मेदारियों एवं आवेग नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लॉक (2005) के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि कई योग्यताओं (जैसे- संवेग, समझ, उपभोग) का समुच्चय है न की व्यक्तिगत विशेषताओं का, जो संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ावा देते हैं। उमादेवी (2005) ने पाया कि सुरक्षित, आकर्षक शैली के किशोर, विचलित किशोरों की अपेक्षा संवेगात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान होते हैं।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सांवेगिक बुद्धि का प्रभाव अनेक प्रकार के व्यवहारों पर पड़ता है तथा यह शैक्षिक उपलब्धि से भी महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सांवेगिक बुद्धि की शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में भूमिका सुस्पष्ट नहीं है, तथा इस पर और अध्ययन की आवश्यकता है। इस दृष्टि से वर्तमान अध्ययन सांवेगिक बुद्धि एवं उनके घटकों की शैक्षिक उपलब्धि की भूमिका पर किया गया है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों का लिंग एवं शाला

की भिन्नता इसमें किस प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करती हैं। इस संदर्भ में यह परिकल्पना की गई थी कि विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि, लिंग एवं शाला का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है, तथा सांवेगिक बुद्धि के विभिन्न घटकों का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है।

fof/k %

vfHkdYi , oa U; kn kZ &

अध्ययन में स्वतंत्र चर के रूप में तीन कारकों के रूप में सांवेगिक बुद्धि, स्कूल के प्रकार एवं लिंग को लिया गया है। तीनों चरों के दो-दो स्तर लिये गये हैं। इस प्रकार अध्ययन में 2x2x2 कारकीय अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। जिसमें सांवेगिक बुद्धि के दो स्तर (निम्न एवं उच्च), शाला के दो स्तर (अशासकीय एवं शासकीय) एवं लिंग के दो स्तर (छात्र एवं छात्रायें) लिये गये थे। परतंत्र चर के रूप में कक्षा दसवीं के वार्षिक बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में लिया गया।

प्रस्तुत शोध में कक्षा 11वीं के 180 छात्र-छात्रायें का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। इसमें 90 छात्र तथा 90 छात्रायें को सम्मिलित किया गया है।

mi dj.k %

सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मंगल एवं मंगल, 2004 सांवेगिक बुद्धि मापनी का प्रयोग किया गया है तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं के वार्षिक बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांको को लिया गया है।

i fj.kke , oa 0; k[; k %

प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण त्रिदिश प्रसरण विश्लेषण के द्वारा किया गया है। प्राप्त परिणाम सारणी क-1 में दिया गया है।

I kj.kh dækd&1
f=fn k- id j.k ifj.kke %vkÑ r l fgr½

त्रिदिश प्रसरण विश्लेषण के परिणाम से स्पष्ट है कि छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक भिन्नता नहीं है। छात्रों का औसत 76.72 था जबकि छात्राओं के लिये यह 74.65 था। प्राप्त एफ अनुपात 2.81 है जो कि सार्थक नहीं है।

परिणाम से यह भी स्पष्ट है कि विद्यालय प्रकार का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव प्राप्त हुआ है। (एफ अनुपात = 7.26, सार्थकता स्तर = .01)। अशासकीय विद्यालयों के छात्रों की औसत उपलब्धि 77.27, शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि 74.12 से सार्थक रूप से उच्चतर है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सांवेगिक बुद्धि के मुख्य प्रभाव के विषय में प्राप्त हुआ है। निम्न सांवेगिक बुद्धि के समूह के विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि 77.85 प्राप्त हुई जबकि यहां उच्च सांवेगिक बुद्धि के समूह के विद्यार्थियों के विद्यार्थियों की औसत

उपलब्धि 73.73 प्राप्त हुई जो कि निम्नतर है। एफ अनुपात = 13.72, सार्थकता स्तर < .001 है। अंतःक्रिया प्रभाव में लिंग एवं सांवेगिक बुद्धि के अंतःक्रिया का प्रभाव सार्थक नहीं मिला है परंतु विद्यालय प्रकार एवं सांवेगिक बुद्धि के अंतःक्रिया का प्रभाव सार्थक प्राप्त हुआ है जिसके लिये एफ अनुपात = 3.92, सार्थकता स्तर < .05 है। इस परिणाम से स्पष्ट है कि उच्च सांवेगिक बुद्धि के विद्यार्थियों में, चाहे वे शासकीय विद्यालय के छात्र हों या अशासकीय विद्यालय के, उन्होंने लगभग बराबर शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित की है परंतु निम्न सांवेगिक बुद्धि के मामले में अशासकीय शाला के छात्रों में शासकीय शाला के छात्रों की तुलना में सार्थक रूप से उच्च उपलब्धि प्रदर्शन किया है।

उपरोक्त परिणाम अध्ययन के परिकल्पनाओं की आंशिक रूप से ही पुष्टि करते हैं। जहां तक

सांवेगिक बुद्धि के प्रभाव का प्रश्न है तो प्राप्त परिणाम परिकल्पना के उल्टे प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

इस तरह के विपरित परिणाम के कारणों के अध्ययन के लिये अध्ययन में लिये गये सभी स्वतंत्र चरों को लेते हुये सांवेगिक बुद्धि के विभिन्न घटकों अंतः व्यक्तिगत जागरूकता, अंतर्व्यक्ति जागरूकता, गया है।

अंतः व्यक्तिगत प्रबंधन, अंतर्व्यक्ति प्रबंधन को अलग-अलग स्वतंत्र चर मानते हुये आंकड़ों का पुनः विश्लेषण प्रतिगमन विश्लेषण तकनीकी को अपनाते हुये किया गया। जिसमें प्रयोज्यों कि शैक्षिक उपलब्धि को परतंत्र चर के रूप में लिया गया। प्राप्त परिणाम को सारणी क्रमांक- 2 में प्रदर्शित किया

I kj.kh dækd&2

cgpj ifrxeu fo ys.k.k ifj.kke pjka dk "kfkdk miyft/k ij i#kko

स्वतंत्र चर	बी. गुणांक	बीटा गुणांक	टी अनुपात	सार्थकता
स्थिरांक	98.52		21.14	
लिंग	-2.55	-.136	1.93	
विद्यालय	-3.60	-.208	2.89	<.04
अंतः व्यक्तिगत जागरूकता	.008	-.037	.38	
अंतर व्यक्तिगत जागरूकता	-.770	-.385	3.20	<.02
अंतः व्यक्तिगत प्रबंधन	.408	.173	1.62	
अंतर व्यक्तिगत प्रबंधन	-.289	-.109	1.01	

उपरोक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में लिये गये सभी स्वतंत्र चर, परतंत्र चर से सार्थक रूप से सहसंबंधित है (बहुचर सहसंबंध =.419, एफ अनुपात = 6.13, सार्थकता स्तर < .001) बहुचर सहसंबंध के वर्ग से स्पष्ट है कि सभी स्वतंत्र चरों ने मिलकर परतंत्र चर का 17.50 प्रतिशत निर्धारण किया है। विश्लेषण के परिणाम से यह भी स्पष्ट है कि लिंग का बी गुणांक सार्थक नहीं है। इसी प्रकार अंतः व्यक्तिगत जागरूकता, अंतर्व्यक्ति जागरूकता, अंतः व्यक्तिगत प्रबंधन, अंतर्व्यक्ति प्रबंधन का बी गुणांक भी सार्थक नहीं है। जबकि विद्यालय प्रकार तथा अंतर्व्यक्तिगत जागरूकता का बी गुणांक सार्थक है (टी अनुपात=2.89 तथा 3.20, क्रमशः दोनों सार्थक)। सारणी से यह भी स्पष्ट

है कि विद्यालय के शासकीय होने तथा अंतर्व्यक्तिगत जागरूकता में बुद्धि होने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है यह परिणाम पूर्व सारणी क्रमांक -1 में प्रदर्शित परिणाम से शैक्षिक उपलब्धि के ऊपर सांवेगिक बुद्धि के तीन अन्य घटकों का प्रभाव सार्थक नहीं होता है परंतु परिणाम से यह स्पष्ट है कि दूसरों के विषय में जितने अधिक जागरूक होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि उतनी ही कम हो जाती है।

अध्ययन का यह परिणाम इस स्वभाविक तर्क की पुष्टि करता है कि विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के अतिरिक्त अन्य लोगों के विषय में ज्यादा जागरूक होने से उनके स्वयं के अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है।

References :

Amelang, M., & Steinmayr, R. (2006) Is there a validity increment of test of emotional intelligence in explaining the variance of performance criteria? *Intelligence*, **34 (5)**, 459-468.

Bar-On, R. (1997). Development of the Bar-On E.Q.I.: A measure of emotional and social intelligence. Paper presented at the 105th Annual Meeting of *the American Psychological Association*, Chicago.

Brackett, M. A., Mayer, J. D., & Warner, R. M. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. *Personality & Individual Differences*, **36 (6)**, 1387-1402.

- Brackett, M. A., Rivers, S.E. Shiffman, S., Lerner, N. et.al. (2006). Relating emotional abilities to social function: A comparison of self report and performance measures of emotional intelligence. *Journal of Personality and Social Psychology*, **91(4)**, 780-795.
- Brackett, M. A., Warner, R. M. & Bosco, J.S. (2005). Emotional intelligence & relationship among couples. *Personal Relationship*, **12 (2)**, 197-212.
- Chak, A. (2006). Reflecting on the self: An experience in a preschool. *Reflective Practice*, **7 (1)**, 31-41.
- Chan, D. W. (2004). Perceived emotional intelligence and self-efficacy among chinese secondary school teachers in HongKong. *Personality and Individual Differences*, **36(8)**, 1781-1795.
- Chapman, B. P. (2006). Emotional intelligence in young and middle adulthood: Crossectional analysis of latent structure and means. *Psychology and Aging*, **21 (2)**, 411-418.
- Day, A. L., Therrien, D. L., & Carroll, S. A. (2004). Predicting psychological Health : Assessing the incremental validity of emotional intelligence beyond personality type A behavior and daily hassels. *European Journal of Personality*, **19(60)**, 519-536.
- Devi, U. A. (2005). Pupil's academic achievement in relationship to their intelligence, neuroticism and locus of control. *Fifth Survey of Educational Research*, New Delhi: NCERT 1869.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence* : Why it can matter more than IQ. New York : Bantam Books.
- Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam books.
- Higgs, M. (2004). A study of the relationship between emotional intelligence and performance in U K call centers. *Journal of Managereal Psychology*, **19, (4)**, 442-454.
- Hunt, N., & Evans, D. (2004). Predicting traumatic stress using emotional intelligence. *Behaviour Research & Therapy*, **42 (7)**, 791-798.
- Jausoves, N. & Jausoves, K. (2005). Difference in induced gama and upper alpha oscillation in the human brain related to verbal performance and emotional intelligence. *International Journal of Psychophysiology*, **56 (3)**, 223-235.
- Locke, E. A. (2005). Why emotional intelligence an in valid concept. *Journal of Organizational Behavior*, **26 (4)**, 425-431.
- Manna, D.R. & Smith, S.D. (2004). Exploring the need for emotional intelligence and awareness among sales representatives. *Marketing Intelligence and Planning*, **22 (1)**, 66-83.
- Mayer, Caruso, Salovey, Formica, & Woolery, (1999). Reported in K. S. Mishra (2007) Emotional Intelligence: Concept, *Measurement and Research Allahabad: Association for Educational Studies*.
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. *Intelligence*, **17**, 433-442.
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. *Applied & Preventive Psychology*, **4(3)**, 197-208.
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovay & D. J. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Implications for Education*. New York: Basic Books.
- Pandey, R., & Tripathi, A. N. (2004). Development & emotional intelligence : Some observation. *Psychological Studies*, **49(2-3)**, 147-150.
- Parker, J. D. A., Creque, R. E. Barnhart, D. L., Harris, J. I., Majeski, S. A. Wood, L. M. Bond, & Hogan, M. J. (2004). Academic achievement in high school : Does emotional intelligence matter ? *Personality & Individual Differences*, **37**, 1321-1330.
- Salovey, P., & Mayer, J. (1990). *Emotional Intelligence. Imagination, Cognition & Personality*, **9(3)**, 18.
- Van Rooy, D. L., & Viswswaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. *Journal of Vocational Behaviour*, **65**, 71-95.



पर्यावरण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता पर अध्ययन

* डॉ. अनघा अगासे

** डॉ. सरोज गुप्ता

पर्यावरण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता का अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध में शहडोल जिले के पाँच विकास खण्डों के शिक्षकों को लिया गया। अध्ययन हेतु कुल 100 महिला व 100 पुरुष शिक्षकों को यादृच्छिक रूप से लिया गया। शिक्षकों को अभिवृत्ति की मापनी हेतु डॉ. आर.आर. सिंह की तथा शिक्षकों की जागरूकता मापनी के लिए डॉ. सीमा धवन की मापनी ली गई। प्राप्त आँकड़ों का मध्यमान व मानक विचलन ज्ञात किया गया जिसके आधार पर टी का मान ज्ञात किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शासकीय विद्यालय के कला व विज्ञान शिक्षकों का पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति व जागरूकता में कोई अंतर नहीं है। जबकि शासकीय विद्यालय के पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता अधिक है। अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं पाया गया।

सृष्टि में मानव के प्रार्थुभाव से ही मानव और प्रकृति के मध्य एक अदृश्य और अटूट संबंध स्थापित हो गया था। आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर था, उसकी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से ही होती थी, अतः प्रकृति के प्रति उसके मन में आस्था उत्पन्न हुई और मनुष्य उसका उपासक बन गया। वृक्षों को देव तथा नदियों को देवी के रूप में पूजा जाने लगा। मांगलिक कार्यों में लोग वृक्षों की पूजा करते थे, आज भी तुलसी, बांस, आम, केला, आंवला, पीपल, बरगद आदि का प्रयोग मांगलिक कार्यों में किया जाता है (सेंगर,

1996) ।

शैक्षिक ऊर्जा उत्पन्न करने में शिक्षण संस्था के सभी जैविक व अजैविक कारकों का योगदान होता है, इसमें शिक्षकों का योगदान सर्वाधिक होता है। शिक्षक व छात्र मिलकर अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा ऐसे अनुकूल शैक्षिक परिवेश का निर्माण करते हैं, जिससे शैक्षिक उर्जा का प्रवाह शिक्षक व छात्र के मध्य चलता रहता है, छात्र पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के अलावा, जिस पुस्तक को बड़ी उत्सुकता से पढ़ते हैं, वह है, शिक्षक के व्यवहार व आचरण की पुस्तक, छात्रों में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति बड़ी तीव्र

* प्राचार्य, सेण्ट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देवादा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

** रीडर, महात्मा गांधी चित्रकुट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकुट, जिला-सतना (म.प्र.)

होती है (सेंगर, 1996)। इसलिये शोधार्थी ने इस विषय को चुना है— “पर्यावरण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरुकता का अध्ययन।”

पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है (परि- बाहर या चारों ओर, आवरण-घेरा) वह आचरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुये है, या आवृत किये हुये है (सक्सेना एवं मोहन, 2007)। इस प्रकार हमारे चारों ओर पाये जाने वाले समस्त जीव तथा अजैविक तत्व जैसे पेड़-पौधे, जन्तु एवं वायु, जल, मृदा, इत्यादि से मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर के उस वातावरण या परिवेश से है, जिससे हम घिरे हुये है, और जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।

शिक्षक योग्य व कुशल हो एवं विद्यालय के पास सुविधाओं का अभाव हो तो भी शिक्षा में गुणात्मकता लाना संभव है। शिक्षक विद्यालय की आत्मा है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विचारकों ने शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के स्थान व महत्व के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं

मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिये उसकी अभिवृत्तियों का पता लगाना नितांत आवश्यक है। अभिवृत्तियां ही व्यक्ति के मानसिक व सामाजिक व्यवहारों को दिशा प्रदान करती है। किसी विचार, वस्तु, प्राणी या घटना के प्रति जैसी अभिवृत्ति होगी, व्यक्ति उसके प्रति वैसे ही व्यवहार करेगा (माथुर, 2005)। वास्तव में अभिवृत्ति ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जिसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों से होता है। इस प्रकार अभिवृत्ति के मानसिक व सामाजिक दो ही पक्ष होते है। इसीलिये शिक्षा मनोविज्ञान में अभिवृत्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है (पाठक, 2006)।

पर्यावरण शिक्षा एवं पर्यावरण जागरुकता को

एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, परंतु इनमें सार्थक अंतर है। पर्यावरण अध्ययन विषयों – भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, कृषि विज्ञान द्वारा पर्यावरण जागरुकता ही प्रदान की जाती है। इससे व्यक्तियों में कौशल, विश्वास, अभिवृत्ति तथा मूल्यों का विकास नहीं होता है, इसलिये पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण जागरुकता के अंतर को समझना आवश्यक है (पुरोहित, 2005)।

मिड ; &

1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति का मापन करना।
2. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के पर्यावरण के प्रति जागरुकता का मापन करना।

'kks'k dh ifjdYi uk%

1. पुरुष शिक्षक व महिला शिक्षिकाओं के पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
2. पुरुष शिक्षक व महिला शिक्षिकाओं के पर्यावरण के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श के रूप में शहडोल जिले के पाँच विकासखण्डों में स्थित विभिन्न विद्यालयों से 200 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया। प्रस्तुत शोध प्रबंध में पर्यावरण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति को मापने के लिए डॉ.आर.आर.सिंह, शिक्षा विभाग, हंडिया, पी.जी.कॉलेज हंडिया, अलाहाबाद द्वारा निर्मित पर्यावरण शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति मापनी” का प्रयोग किया गया। यह मापनी लिंकर्ट विधि के आधार पर बनाई गई है। पर्यावरण के प्रति शिक्षकों की जागरुकता मापने के लिए डॉ.सीमा धवन, (EATT) डी डब्ल्यू टी.सी.जी. कॉलेज देहरादून द्वारा निर्मित Environmental Awareness Test of Teachers का प्रयोग किया गया।

ifj.kke , oa 0; k[; k %

I kj.kh Øekad&1


विद्यालय	शिक्षक / शिक्षिका	N	मध्यमान	मानक विचलन	t
शासकीय विद्यालय	पुरुष शिक्षक	100	114.73	13.23	1.07
	महिला शिक्षक	100	117.51	12.23	

उपरोक्त सारणी क्रमांक-1 से स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालय के पुरुष शिक्षकों की पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 114.73 (मानक विचलन = 13.23) है तथा शासकीय विद्यालय के महिला शिक्षकों की पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 117.51,(मानक विचलन =12.23) है। अध्ययन के लिये निर्मित प्रथम परिकल्पना थी कि, पुरुष एवं महिला शिक्षकों के पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, जो कि सही साबित हुयी। अतः स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों की पर्यावरण

के प्रति अभिवृत्ति समान है।

विद्यालय	शिक्षक / शिक्षिका	N	मध्यमान	मानक विचलन	t
शासकीय विद्यालय	पुरुष शिक्षक	100	51.92	7.26	3.02** -
	महिला शिक्षक	100	54.91	6.79	

सारणी क्रमांक=2 से पता चलता है कि जहाँ पुरुष शिक्षकों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता का मध्यमान 51.92 (मानक विचलन = 7.26) है, वहीं महिला शिक्षकों का पर्यावरण के प्रति जागरूकता का मध्यमान 54.92 (मानक विचलन = 6.79) है। अध्ययन के लिये निर्मित द्वितीय परिकल्पना थी कि, पुरुष एवं महिला शिक्षकों का पर्यावरण के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है। लेकिन परिणाम से स्पष्ट है कि परिकल्पना सत्य साबित नही हुयी क्योंकि पुरुष शिक्षक की अपेक्षा महिला शिक्षकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अंतर 0.01 के स्तर पर अधिक देखी गयी।



विद्यालयों में इको क्लब की स्थापना कर स्थानीय पर्यावरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

- विद्यालयों द्वारा वृक्षारोपण अधिक से अधिक कर वातावरण के प्रदूषण तथा घटते जल स्तर की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- वनों की कटाई पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है।
- संपूर्ण भारत में पक्की सड़कों का निर्माण होने के कारण वर्षा का जल जमीन में न जाकर नदी नालों में जाकर मिल जाता है, इसे रोककर इसका उपयोग किया जा सकता है।

- तालाबों की कमी – तालाबों को पाटकर अपार्टमेंट बनाये जाने के कारण तालाबों की संख्या निरंतर घट गई जिससे जल स्तर घटता गया।
- विलुप्त हुए कुँए – नवीन कुँए तो निर्मित नहीं किये जा रहे हैं, पुराने कुँओं में मोटर लगाकर पानी अतिरिक्त मात्रा में निकाला जाता है, जिससे जल स्तर में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर कुँओं को पाटकर उसमें घर व दुकानें आदि बनाया जा रहा है।
- वातावरण में जहरीली गैसों के कारण जहरीली गैस वायु द्वारा हमारे शरीर में सीधे प्रवेश करते हैं। वायु प्रदूषण को दूर करने के लिये खाली जगहों पर वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

सिंगर, शिवराज, सिंह, (1996) *पर्यावरण प्रदूषण*, साहित्य प्रकाशन,, आगरा ।

पुरोहित,श्यामसुंदर,(2005) *पर्यावरण प्रदूषण* भारत अजंता, बुक्स बीकानेर,।

सक्सेना, एस. एम. एवं मोहन, सीमा(2007) *पर्यावरण प्रदूषण* कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।

पाठक, पी. डी. (2006) *पर्यावरण प्रदूषण* विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।

माथुर, एस. एस. (2005) *पर्यावरण प्रदूषण*, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।



मध्यप्रदेश में आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति

(एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

* डॉ. राकेश कुमार चौहान

** प्रतिमा वासनिक (चौहान)

मध्यप्रदेश के प्रमुख आदिवासी समूहों की साक्षरता दर एवं शिक्षा के स्तर का विश्लेषण करने के परिणामस्वरूप यह बात सामने आई है कि प्रदेश के जनजाति लोगों की शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। शिक्षा के स्तर की दृष्टि से भील जनजाति की स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक सोचनीय है, क्योंकि यह जनजाति जनसंख्या में सबसे अधिक है, वहीं सहरिया जनजाति की स्थिति भी काफी खराब है। प्राथमिक से हायरसेकण्डरी स्तर तक की शिक्षा के स्तर की तुलना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के इन आदिवासियों की स्थिति काफी दयनीय है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है और अभी इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसे और गति देना अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में सार्थक एवं ईमानदारी से प्रयास करके इन आदिवासी संवर्गों की शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, जो इस समाज के हित में "मील का पत्थर" साबित होगा।

çLrkouk

जनजातीय या आदिवासी समुदाय समाज का ऐसा वर्ग है, जो न केवल आधुनिक विकास की श्रृंखला में अन्य समुदाय से पिछड़ा हुआ है, बल्कि अभी इसे और सफर करने की आवश्यकता है। लेकिन समय बदलने के साथ ही इस समाज में भी परिवर्तन दिखाई

देने लगा है। आदिवासी समुदाय ने विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। वह चाहें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का ही क्षेत्र क्यों न हो। घुरिये ने जनजातियों के लिये अनुसूचित

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी (धार), म.प्र.

** पीएच.डी. शोधार्थी (भूगोल), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, म.प्र.

जनजाति के नाम का प्रस्ताव किया था (Ghurye,1943)। वहीं एल्विन ने जनजातियों के लिये आदिस्वामी कहा है (Elvin,1939)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा-330 में उल्लेख किया गया है कि 'राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि समय-समय पर आदिम जातियों अथवा आदिम समुदायों अथवा इनके कुछ वर्गों अथवा समूहों को अनुसूचित घोषित करें तथा संविधान के उद्देश्यों के लिये इसी घोषणा के आधार पर उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों कहा जाएगा'। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित वे जनजातियाँ, जो भारतीय संविधान की विशिष्ट अनुसूची में दर्ज हैं, अनुसूचित जनजाति के नाम से जानी जाती है (बघेल,2008)। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल जनसंख्या 84.3 मिलियन जनसंख्या आदिवासियों की है। जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत हैं। देश में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 52.2 प्रतिशत थी, जिसमें आदिवासियों की साक्षरता दर 29.6 प्रतिशत थी। कुल जनसंख्या एवं आदिवासियों की जनसंख्या की साक्षरता दर में 22.6 प्रतिशत का अन्तर है

(जनगणना,1991)। वहीं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत हैं। और आदिवासियों की साक्षरता दर 47.1 प्रतिशत हैं तथा इनके बीच का अन्तर 17.7 प्रतिशत हैं। इस प्रकार कुल साक्षरता दर एवं आदिवासियों की साक्षरता दर में अन्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो आदिवासियों के शिक्षा के स्तर की दृष्टि से अच्छा संकेत है (जनगणना,2001)।

ns k ea vkfnokfl ; ka dh f k{kk dk Lrj

समाज चाहें कैसा भी हो, शिक्षा का महत्व तो होता ही है, चाहें वह विकासशील समाज हो, चाहे विकसित समाज हो या चाहे आदिवासी समाज हो। शिक्षा विकास की गति निर्धारित करती है एवं समाज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाती हैं। शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि हैं, जो उसके व्यावसायिक जीवन के चयन में सहयोग प्रदान करती हैं(यादव,1994)। देश में आदिवासियों की शिक्षा के स्तर को तालिका क्रं.1 में दर्शाया गया है—

rkfydk Øa1

vkfnokfl ; ka dh fyaxkuq kj f k{kk dk Lrj %Áfr kr e½

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आदिवासियों में सर्वाधिक लोग ऐसे हैं, जिनकी शिक्षा का स्तर प्राथमिक स्तर का है। इस स्तर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। माध्यमिक स्तर पर जहाँ कुल व्यक्तियों का प्रतिशत 5.41 है, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 3.6 है, वही महिलाओं का प्रतिशत मात्र 1.81 है। गैर-तकनीकी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में तो महिलाओं का प्रतिशत नगण्य है, वहीं तकनीकी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एवं स्नातक इससे अधिक शिक्षा के स्तर में भी आदिवासियों की स्थिति काफी दयनीय है। इस प्रकार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आदिवासियों की शिक्षा का स्तर काफी पिछड़ा हुआ है, जो इन्हें रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में भी एक बड़ी बाधा के रूप कार्य करता है। इसके परिणामस्वरूप इनके विकास की गति धीमी हो जाती है, जो राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती है।

e/; i ns k es vkfnokl h

मध्यप्रदेशमें भी सर्वाधिक रूप से आदिवासी जनसंख्या निवास करती हैं। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार मध्यप्रदेश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 12,233,474 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या (60,348,23) का 20.3 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में आदिवासियों की कुल 46 उपजातियाँ हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में भील जनजाति है (तिवारी एवं श्रीकमल, 2009)। जिनकी प्रदेशमें कुल जनसंख्या 4,619,068 है, जो प्रदेश की कुल आदिवासी जनसंख्या का 37.7 प्रतिशत है तथा दूसरा स्थान गोंड जनजाति का है, जिनकी कुल संख्या 4,357,918 है, जो आदिवासियों की कुल जनसंख्या का 35.6 प्रतिशत है। इसके बाद कोल, कोरकू, सहरिया एवं बैगा जनजाति का स्थान आता है। इस प्रकार आदिवासी की कुल जनसंख्या में भील एवं गोंड समुदाय सहित छः वर्गों का प्रतिशत 92.2 है। भील जनजाति सर्वाधिक रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी एवं खरगोन जिले में निवास करती है, वहीं गोंड जनजाति छिंदवाड़ा,

मण्डला, बैतूल, सिवनी एवं शहडोल जिले में निवास करती है।

vkfnokfI ; ka dh I k{kj rk&nj , oa "k{kf.kd fLFkfr %

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा के माध्यम व्यक्ति में अच्छे संस्कार, कुशल व्यवहार और परिश्रम से न भागने का जज्बा भरती है और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। शैक्षणिक विकास से ही देश का सर्वांगीण विकास जुड़ा हुआ है। समाज के एक महत्वपूर्ण अंग आदिवासियों के जीवन में भी शिक्षा का अहम् स्थान होता है। वर्तमान में आदिवासी समाज में शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि इसमें शिक्षा और व्यवसाय अन्तर्संबंधित हो गए हैं और इनके अन्तर्संबंधित होने के कारण शिक्षा को ही समाज का आर्थिक आधार माना जाने लगा है। जिन क्षेत्रों में लोग पढ़े-लिखे होते हैं, उनकी सोच, कार्यप्रणाली, रहन-सहन के तरीके तथा व्यावसायिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को वे अपनाने में कतराते नहीं हैं, जबकि अशिक्षित व्यक्ति प्राचीन रूढ़िवादिता के कारण नवीन परिवर्तन को अपनाने में कतराते हैं। शिक्षा के इतने महत्व के बाद भी जनजातीय क्षेत्रों एवं समाज में शिक्षा का स्तर निम्न बना हुआ है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं में तो शिक्षा का स्तर नहीं के बराबर है। (वर्मा, 1997)। इससे इनके विकास की गति धीमी है और इनका जीवन स्तर जैसा का तैसा बना हुआ है।

I k{kj rk&nj

वर्ष 1991की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल साक्षरता दर 44.7 प्रतिशत थी, जिसमें आदिवासियों की साक्षरता दर 18.4 प्रतिशत थी और इनके मध्य साक्षरता दर का अन्तर 26.3 प्रतिशत था (जनगणना, 1991)। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल साक्षरता दर 63.7 प्रतिशत है

जिसमें आदिवासियों की साक्षरता दर 41.2 प्रतिशत है, प्रमुख जनजातियों को इस अध्ययन में शामिल किया जो देश के आदिवासियों की कुल साक्षरता दर गया है, उनकी साक्षरता-दर को निम्न तालिका में (47.1 प्रतिशत) से कम हैं। मध्यप्रदेश की जिन छः दर्शाया गया हैं-

rkfydk Ø-2

e/; ins k dh iæq[k tutkfr; ka dh l{kjrk&nj %o'kz 2001½

Ø	l{kjrk nj	l Hkh tutkfr; %	l{kjrk nj					
			xkM	dkj dW	dky	Hkhy	cSk	l gfj; k
1	व्यक्ति	41.2	50.3	38.8	35.9	34.5	32.3	28.7
2	महिला	28.4	36.4	24.5	22.9	23.0	20.1	15.9

L=kr& Hkkjr dh tux.kuk j 2001

तालिका क्र:2 से स्पष्ट हैं कि प्रदेश की छः प्रमुख जनजातियों में से केवल गोंड जनजाति में साक्षरता दर की स्थिति संतोषजनक कहीं जा सकती हैं, जो प्रदेश एवं देश के आदिवासियों की औसत साक्षरता दर से अधिक हैं, वही प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या वाली भील जनजाति की साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से ठीक नहीं हैं, क्योंकि इनकी साक्षरता दर का प्रतिशत निम्न स्तर का है, वही दूसरी ओर सहरिया जनजाति की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है, जहाँ कुल व्यक्तियों में साक्षरता दर 28.7

प्रतिशत तथा महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब हैं और इनकी साक्षरता दर मात्र 15.9 प्रतिशत हैं। इस प्रकार प्रदेश में अदिवासी पुरुषों के साथ ही महिलाओं की साक्षरता दर भी काफी सोचनीय है।

vkfnokfl ; ka dh f k{kk dk Lrj&

मध्यप्रदेश की प्रमुख छः जनजातियों, जिनमें भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, एवं बैगा जनजाति की शिक्षा के स्तर को तालिका क्र.3 में दर्शाया गया हैं-

rkfydk Øa3

e/; ins kea vkfnokfl ; ka dh f k{kk dk Lrj

तालिका क्र. 3 से स्पष्ट हैं कि मध्य प्रदेश के कुल आदिवासियों में से 57.3 प्रतिशत जनजाति वर्ग के लोग या तो केवल साक्षर हैं या फिर प्राथमिक स्तर या इससे नीचे के स्तर तक शिक्षित हैं, वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त लोगों की शिक्षा का स्तर क्रमशः 24.8 एवं 9.7 प्रतिशत हैं। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी, तकनीकी/गैर तकनीकी डिप्लोमा तथा स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त जनजाति लोगों का प्रतिशत क्रमशः 6.6, 0.1 एवं 1.4 प्रतिशत है। विभिन्न जनजाति समूहों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो स्पष्ट हैं कि केवल साक्षर या प्राथमिक स्तर से

कम शिक्षा प्राप्त लोगों में सहरिया जनजाति 37.6 प्रथम स्थान है, वहीं दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः कोरकू एवं बैगा जनजाति का है, जिनका यह प्रतिशत 66.1 एवं 61.8 हैं। प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त जनजाति में उच्च स्तर पर कोल (26.09%) एवं बैगा (26%) हैं वहीं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्तर पर गोंड जनजाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन स्नातक या उससे अधिक शिक्षा के स्तर की दृष्टि से भील जनजाति (1.6%) उच्च स्तर पर है, वही तकनीकी/गैर- तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त लोगों में भील, गोंड, एवं सहरिया जनजाति की स्थिति समान बनी हुई है।

संदर्भ

बघेल, डी.एस.(2009), *लेखक* यूनैफाइड, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, पृष्ठ 136

भारत की जनगणना-1991,

भारत की जनगणना-2001,

यादव, एम.एस.(1994), आदिवासी समुदाय में स्वास्थ्य के कुछ पल, रावत पब्लिकेशंस, दिल्ली, पृष्ठ 72 ।

तिवारी, शिवकुमार, शर्मा एवं श्रीकमल(2009), *लेखक*, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 39 ।

वर्मा, रूपचन्द्र (1997), *लेखक* सूचना प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 57

Ghurye, G.S.(1943), *The Aborigines So-Called and their Future*, p-36.

Elvin, V. (1939), *The Baiga*, London, p-519.



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का रोजगार एवं ग्रामीण-शहर प्रवासन पर प्रभाव (मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के विशेष संदर्भ में)

* डॉ. कविता अग्रवाल

** जयप्रकाश अहिरवार

सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में वर्ष 2005 में गाँवों के गरीबों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नरेगा की शुरुआत की साथ ही इसके द्वारा देश में ग्रामीण ढांचे का निर्माण करने के लिए श्रम के उपयोग पर बल दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम सभी परिवारों को 100 दिन के कार्य की गारंटी प्रदान करता है। प्रस्तुत शोधपत्र सूक्ष्म स्तरीय अर्थात् जिले की आठ ग्राम पंचायतों से दैवनिर्देशन द्वारा चुने गये 80 परिवारों पर आधारित अध्ययन है तथा इसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का रोजगार एवं ग्रामीण-शहरी प्रवासन पर प्रभाव का अध्ययन करना है।

प्रारंभ से ही हमारे नियोजन का उद्देश्य गरीबी हटाना और बेरोजगारी को दूर करना रहा है, यद्यपि देश का कोई भी क्षेत्र गरीबी एवं बेरोजगारी से अछूता नहीं है। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या विकराल स्वरूप धारण किये हुए है। बेरोजगारी के साथ ही देश में प्रवासी श्रमिकों की समस्या सबसे जटिल समस्या है, जिस पर देश का सामाजिक आर्थिक भविष्य निर्भर करता है।

ग्रामीण-शहरी प्रवास विविध आर्थिक अवसरों के लिए एक प्रक्रिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसने कई देशों के शहरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़े पैमाने में यह प्रक्रिया जारी है भले ही उन देशों में प्रवास की दरें धीमी

हो (कोटे, 2012)। इन समस्याओं को केंद्र बिंदु रखकर सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे आज महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के नाम से जाना जाता है, का शुभारंभ किया गया।

5 सितम्बर 2005 को संसद के द्वारा यह कानून पारित करने के उपरांत 2 फरवरी 2006 से इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बन्दलापल्ली नामक गाँव में की गई थी। 26 मार्च 2007 को केन्द्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इस योजना का कार्य क्षेत्र 200 जिलों से बढ़ाकर 300 जिलों में कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

** पी.एच.डी. शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना ही इस कानून की बुनियादी सोच है (मिश्रा, 2010)।

नरेगा दुनिया का अब तक का ऐसा पहला कानून है जिसमें व्यापक पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढ़ाना है तथा इसका सहायक उद्देश्य उन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है जो सूखा, वनों की कटाई तथा मृदा क्षरण जैसे स्थायी गरीबी के कारणों को दूर करते हैं तथा स्थायी विकास को बढ़ावा देते हों। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र का आधार सुदृढ़ होता है और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है (एनआर जीईए वार्षिक रिपोर्ट, 2008-09)। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाता है जो 60 रुपए से कम नहीं होगी। वर्ष 2009-10 के बजट में वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार के महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के पाँच वर्ष फरवरी 2011 में पूरे हुए हैं इन पाँच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 879 करोड़ मानव दिवस रोजगार इस कार्यक्रम के तहत सृजित किया गया है इसमें 410 करोड़ मानव दिवस महिलाओं के लिए सृजित हुआ जो कुल सृजित रोजगार का 47 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार कुल सृजित रोजगार में 245 करोड़ मानव दिवस (28 प्रतिशत) में अनुसूचित जाति के व 214 करोड़ मानव दिवस (24 प्रतिशत) में अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी रही है। वर्ष 2011-12 के बजट में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए किया गया है (प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक 2011-12)।

जिले में क्रियान्वित मनरेगा के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2011-12 दौरान 23520 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। कुल उत्पन्न व्यक्ति

दिवस 1223322 है जिनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य के क्रमशः 150694, 67484 व 1005144 है तथा 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों की कुल संख्या 1835 पायी गयी (कार्यालय, जिला पंचायत अशोकनगर)।

v/; ; u ds mnñ ; &

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की स्थिति का अध्ययन करना।
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का ग्रामीण-शहरी प्रवासन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

"kks/k fof/k&

अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले की सभी चारों तहसीलों को उद्देश्यपूर्ण विधि से लिया गया तत्पश्चात इन तहसीलों के अर्न्तगत विभिन्न ग्राम पंचायतों की सूची से 8 ग्राम पंचायतों का चयन व प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-10 हितग्राही परिवारों का चयन दैवनिदर्शन विधि द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 80 हितग्राही परिवारों का चयन किया गया। प्राथमिक आंकड़ों का चयन साक्षात्कार अनुसूचि व द्वितीयक आंकड़ों संकलन विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं व इन्टरनेट द्वारा किया गया तत्पश्चात वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

fo ys'k.k , oa 0; k[; k&

fgrxkfg; ka dk l kekftd&vkfkd ifjn' ; &

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त तथ्यों के आधार पर योजना में कार्यरत हितग्राहियों में सर्वाधिक 71.25 प्रतिशत पुरुष तथा महिला हितग्राही मात्र 28.75 प्रतिशत पाये गये। हितग्राहियों की उम्र संबंधी स्थिति के अर्न्तगत आयु वर्ग 20-40 के बीच 36.25 प्रतिशत पाये गये, आयु वर्ग 40-60 के बीच 52.50 प्रतिशत तथा आयु 60 व अधिक 11.25 प्रतिशत पाये गये। हितग्राहियों के शैक्षणिक स्तर के अर्न्तगत निरक्षर सर्वाधिक 56.25 प्रतिशत व साक्षर (प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल

व हायर सेकन्ड्री) मात्र 43.75 प्रतिशत पाये गये। हितग्राहियों की जाति संबंधी स्थिति के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के 36.25 प्रतिशत, जनजाति 25.00 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 20.00 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 18.75 प्रतिशत हितग्राही पाये गये अतः अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया।

;kstuk d k xkeh.k jkstxkj ij iHkko&

rkfydk Øekad 1

fgrxkfg; k dks ;kstukUrxr iklr jkstxkj l ECU/kh tkudkj h

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान परिपेक्ष में भी बेरोजगारी तथा गरीबी के परिणामस्वरूप लोगों की अत्यंत दयनीय स्थिति है। सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी तथा गरीबी निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएँ संचालित की जा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना है। योजना का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव निम्न तालिका में दी गयी है—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 81.25 प्रतिशत हितग्राहियों को योजनान्तर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है 18.75 प्रतिशत हितग्राहियों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है ।

rkfydk Øekad 2

Ok'kz ea iklr jkstxkj ds fnuka dh l a[; k

Ø-	jkstxkj %fnuka e%	l a[; k	ifr'kr
1.	20-40	08	10.0
2.	40-60	16	20.0
3	60-80	46	57.5
4	80-100	10	12.5
; ks		80	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष में सर्वाधिक 60-80 दिन का रोजगार 57.5 प्रतिशत हितग्राहियों को प्राप्त हुआ। 20.0 प्रतिशत हितग्राहियों को 40-60 दिन का रोजगार, 10.0 प्रतिशत हितग्राहियों को 20-40 दिन का रोजगार व 12.5 प्रतिशत हितग्राहियों

को 80-100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ।

xkeh.k& kjh iolu ij iHkko&

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का ग्रामीण-शहरी प्रवसन पर पड़ने वाले प्रभाव को तालिका में दिखाया गया है—

rkfydk Øekad 3
xkeh.k& kgjh iØl u ij iHkko

Ø-	fooj.k	vkofRr	ifr'kr
1.	कमी हुयी	58	72.5
2.	कमी नहीं हुयी	22	27.5
; kx		80	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 72.5 प्रतिशत हितग्राहियों का कहना था कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना द्वारा रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाने में कमी हुयी परन्तु 27.5 प्रतिशत हितग्राहियों के पलायन में कोई कमी नहीं आयी।

fu'd'k&

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए के लिए केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी इस योजना ने जिले में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन में भी कमी आयी है। मनरेगा के क्रियान्वयन में कुछ कमियां होते हुए भी अध्ययन क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार, गरीबी, मजदूरी दरों व ग्रामीण-शहरी प्रवसन आदि पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

I UnHk&

कोटे, अनिल कुमार, बी.(2012) 'दी इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा स्कीम ऑन रूरल-अरवन माईग्रेसन इन रूरल इकोनॉमी विथ स्पेशल रिफरेन्स टू गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक स्टेट', *bM; u LVHl fjI pZ tujy] ist 1&7* ।

मिश्रा, आनंद मूर्ति (2010) 'jk'Vh; xkeh.k jkstxkj xkjUVh ; kstuk&, d v/; ; u^ राधा कमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, समाज विज्ञान विकास संस्थान, चांदपुर (उ.प्र.) पृष्ठ 51-53 ।

वार्षिक रिपोर्ट (2008-09) jk'Vh; xkeh.k jkstxkj xkj&h vf/kfu; e 2005 %ujxki% ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ. 5-6

प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक (2011-12) भारतीय अर्थव्यवस्था, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ.174 ।



दलित उत्थान और महात्मा ज्योतिराव फुले

* दीनूराम राणा

हरिजनों के उद्धार हेतु महात्मा फुले ने अनेक कार्यक्रम और सुधार कार्य कर समरसता का परचम लहराया। जो उस समय के समाज में साहस की बात थी। इसीलिए 19वीं सदी के महात्मा गांधी इन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। शूद्रों को आज जो महत्ता मिली, इसके प्रथम प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर इन्हें गुरु मानते थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले का सारा जीवन दलितों और शोषितों के उद्धार हेतु समर्पित था। वे मानव को स्वालंबी व स्वतंत्र देखना चाहते थे। उनकी प्रतिभायें उनकी शिक्षा, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व सच्ची मानवसेवा व सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती है। वे मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के प्रबल प्रहरी थे। दलितों के उद्धार के साथ-साथ समाज सुधारक भी थे। इस सन्दर्भ में उन्होंने रूढ़ियों का खण्डन किया। सती प्रथा तथा विधवा मुंडन का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन किया और दीन दलित स्त्रियों के लिए छोटे-छोटे उद्योगों की व्यवस्था की।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने रूढ़िवादिता, मनुवाद, संकीर्णता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध कार्य किया और दलितों, शोषितों के सर्वांगीण विकास में अपना जीवन समर्पित किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि शूद्रों के विनाश का मूल कारण उनमें व्याप्त अज्ञान है, इसलिए उन्होंने अज्ञान के विरुद्ध एक प्रकार से जिहाद छेड़ा था और शूद्रों की शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। विद्यार्जन की महत्व का वर्णन करते हुए ज्योतिबा फुले ने कहा है बिद्या बिन मति गयी, मति बिना नीति गयी, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गये।

महात्मा ज्योतिबा फुले दलितों का सुधार करना

चाहते थे, इसलिए उन्होंने दलितों और शूद्र जातियों को संगठित करने का संकल्प लिया। उनमें सबसे पहले ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने का व्रत लिया, लेकिन एक बार ब्राम्हण मित्र की शादी में अपमानित होने की घटना ने उनके चिंतन और कर्म की धारा को भी मोड़ दिया, इस घटना के उनके जीवन में क्रांति ला दी। कट्टर मनुवादी दुर्व्यवहार से उनकी आंखें खुल गयीं। दलितों में जागृति उनकी शिक्षा और उन्हें संगठित करने की भावना बलवती हो गयी। यही घटना उनके लिए वरदान साबित हुई। वे एक क्रांतिकारी महान् समाज सुधारक बने।

महात्मा ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रणेता थे, उनका मानना था कि दलितों में शिक्षा बहुत ही

* सहायक प्राध्यापक, (इतिहास विभाग), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा (छ0ग0)

जरूरी है। इससे उनमें आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। एक नई संगठित शक्ति उभरेगी और दासता से जूझने की सामर्थ्य आयेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले का यही संकल्प एक नये युग का सूत्रपात का आधार बन गया।

विश्व के इतिहास में सन् 1848 का समय अपने में एक विशेष महत्व रखता है। इसी वर्ष विश्व भर में धर्म गुरु एवं पाखण्डियों के विरोध में जन आंदोलन छिड़ गया। इंग्लैण्ड में स्त्री स्वतन्त्रता की माँग होने लगी, फ्रांस में मानव अधिकारों के लिए क्रान्ति शुरू हुई और भारत में ज्योतिबा और सावित्री बाई ने शूद्रातिशूद्र एवं स्त्री शिक्षा का आरम्भ करके नये युग की नींव डाली।

उन्होंने अपने मित्र सदाशिव गोविन्दे की अहमद नगर में ईसाई मिशनरी की लड़कियों की पाठशाला देखकर उनके विचारों को दिशा एवं गति मिल गयी। 1 जनवरी 1948 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे स्थित तात्या भिंडे की हवेली में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोला। उन्होंने कोई किराया नहीं लिया अपितु 100 रूपये चन्दा भी दिया। पहले दिन स्कूल में केवल 6 लड़कियाँ आयी। उन्होंने स्वयं ही अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया। स्कूल खुलते ही कट्टर पंथियों में व्यापक रोष फैल गया। लेकिन ज्योतिबा को दो साथी सदाशिव हाटे और गोविन्दे ने इस विद्यालय के संचालन में मदद की।

महात्मा ज्योतिबा फुले को अब तक विद्यालय के लिए कोई शिक्षिका भी नहीं मिली। फलतः उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को इसके लिए राजी किया। नारी, शूद्रातिशूद्र, अनाथ, विधवा, खेतिहर मजदूर आदि शोषित-पीड़ितों के बारे में फुले दम्पति के मन में समान सहानुभूति थी। सावित्री बाई ने शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा सहते हुए इस कार्य की पूर्ति में जो निष्ठा एवं लगन दिखाई उसके लिए इतिहास में कोई मिसाल नहीं।

महात्मा ज्योतिबा फुले दम्पति को प्रथम

स्कूल की सफलता एवं विस्तार से बहुत खुशी मिली, इसीलिए उन्होंने 15 मई 1848 में पुणे की एक दलित बस्ती में, जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते थे, दूसरा स्कूल खोला। अब महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने कार्य में गति मिल गयी। उन्होंने पुणे तथा उसके समीप मार्च 1852 तक अर्थात् लगभग सवा चार वर्ष की अवधि में 18 पाठशालाओं की स्थापना की शूद्रातिशूद्र की शिक्षा का कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, उसके पीछे था, शूद्रों, दलितों एवं शोषितों में समाज परिवर्तन का एक प्रभावी साधन स्त्री शिक्षा।

महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्यों का सार्वजनिक अभिनन्दन होने लगा। पूना संस्कृत कॉलेज के मेजर कैंडी उनके कार्यकलापों के बड़े प्रशंसक थे। बार्डे अध्यक्ष सर एरस्किन पैरी, कमिश्नर रिक्स और हैदराबादा कर्नल टायलर महात्मा ज्योतिबा फुले को महिला शिक्षा आन्दोलन, समाज सुधार और जागृति का जनक मानते थे। पूना और बम्बई के धनवान समाज सुधारक भी महात्मा ज्योतिबा फुले की आर्थिक मदद करते थे। कुछ उदार हृदय यूरोपियन भी इस कार्य के लिए धन देते थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले के सफल शिक्षा अभियान ने ब्रिटिश सरकार की नीति बदल डाली। अब ध्यान महिला शिक्षा देश और गरीब पिछड़ी स्त्रियों की शिक्षा की ओर भी देगी। शासकों और अंग्रेजों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। ज्योतिबा के सफल पूना प्रयोग ने अंग्रेजों की आँखें खोल दी थी।

सत्यशोधक समाज ही एक ऐसा संगठन था। जिसके संस्थापक निम्न जाति के थे। इसकी स्थापना 23 सितम्बर 1873 को कई प्रतिष्ठित समाज सेवियों की उपस्थिति में पूना में हुई। सत्य शोधक समाज के संस्थापकों में कई सदस्य मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ब्राम्हण, मराठा, महार, माग और माली आदि जातियों से संबंध रखते थे। समाज ने स्पष्ट घोषणा

कर रखी थी, कि वह जाति-पाति अस्पृश्यता धर्म की संकीर्णता और मनुष्य के हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध है। इस पर कट्टरपंथी भड़कने लगे कि सत्यशोधक समाज सबको ईसाई बना देगा और बिना संस्कृत भाषा के कोई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती। ज्योतिबा ने बहके हुए लोगों को समझाया कि सभी धर्म समान हैं। सबका ईश्वर एक है, वह जाति-पाति नहीं मानता, ईश्वर सब भाषाओं में प्रार्थना सुन सकता है। जाति-पाति, वर्णभेद और ऊँच-नीच की दीवारें सब ब्राह्मणों की देन हैं, जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी की हैं। ईश्वर गरीब से गरीब की हर भाषा और बोली समझ लेता है। पुरोहितों रहित, दहेज रहित सीधे-सीधे विवाह से लोगों में एक नई चेतना का उदय हुआ। ज्योतिबा का सत्य शोधक समाज व्यवहारिक धरातल पर कार्य करता था। गरीबों और पद दलितों से सहानुभूति ही नहीं, सच्चा प्रेम करता था। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज आन्दोलन अपने सुधारवादी कार्यक्रमों के कारण पूरे महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हो गया था। यह शूद्र, अतिशूद्र, निम्नवर्ग, किसान, कामगार और दस्तकारों में जागृति की लहर फैलाने वाला क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला जन आन्दोलन बन गया।

सत्य शोधक समाज दलितों पर हो रहे अत्याचारों, दमन शोषण के विरुद्ध तथा समाज के संगठित प्रचार-प्रसार से यह दलित लोगों की आकांक्षा का प्रतीक और जागृति का संदेशवाहक बन गया। प्रारम्भ से ही सत्य शोधक समाज ने जाति एकता पर बल दिया था। यह दलित जातियों में समन्वय स्थापित करने के पक्ष में थे, वे सभी शूद्र और दलितों को एक ही मंच पर लाना चाहते थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक सुधार में 28 जनवरी 1853 को अपने पड़ोसी उस्मान शेख के यहाँ "बाल हत्या प्रतिबंधक गृह" की स्थापना की। जिसमें दो चार साल में सौ से अधिक

विधवाओं की प्रसूति हुई। इस गृह की पूरी व्यवस्था और देखभाल सावित्रीबाई करती थी। सावित्रीबाई खुद निःसंतान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी विधवाओं की कोख से जन्म अनेक बच्चों की माता बनकर उनकी सेवा एवं परवरिश का महान कार्य किया।¹ इतना ही नहीं उन्होंने पुणे के अनाथालय में जन्में एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को गोद लिया, उसे अपना नाम दिया तथा उसका अपने पुत्र के सामान लालन-पालन किया।²

1871 में उन्होंने विधवाओं के शिशुओं के लिए पूना में आश्रम स्थापित किये। उन्होंने पर्चे लगवा दिये कि जो विधवायें अपने बच्चों को जन्म देने या शिशु पालन करने की इच्छुक हैं, वह उनके आश्रम में आ सकती हैं। यह भी एक संयोग की बात है कि अधिकांश ब्राह्मण स्त्रियाँ ही तिरस्कृत की जाती देश में यह अपनी तरह का प्रथम आश्रम था। इस प्रयास ने महिला मुक्ति इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, नये विचारों को जन्म दिया, नयी परम्परायें स्थापित की।

महात्मा फुले का जीवन इस देश की मनुवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का वह मजबूत कदम था, जिसने कि आगे चलकर एक देशव्यापी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है। वस्तुतः महात्मा ज्योतिबा फुले को अगर भारत में सामाजिक क्रान्ति के पितामह की संज्ञा दी जाये, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु स्वीकार किया।³

महात्मा ज्योतिबा फुले अछूतों के मसीहा, स्त्री शिक्षा के कर्णधार, हिन्दू विधवाओं के उद्धारक और ब्राह्मणवाद के कट्टर शत्रु थे। वे एक ऐसे समाज की संरचना के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे, जिसका आधार सामाजिक और न्यायिक समानता हो। उन्होंने शूद्रों के हितों की रक्षा के लिए तथा महिलाओं के उद्धार करने के उद्देश्य से एक जबरदस्त आंदोलन प्रारम्भ किया था। महाराष्ट्र के कट्टरपंथी ब्राह्मणों

ने महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्यों का विरोध किया था, किन्तु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। महात्मा गाँधी ने उन्हें "वास्तविक महात्मा" और वीर सावरकर ने उन्हें क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा है।¹⁴

महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने टूटे-बिखरे और दबे हुए समाज को बताया कि "अमर बेल बिना जड़ के होती है और जिस वृक्ष पर डाल दी जाती है, उसे खोखला करके सुखा देती है और उसका अस्तित्व हमेशा-हमेशा के लिए मिट जाता है, जबकि स्वयं सदा हरी-भरी रहती है।" इसीलिए यह समझ लें कि ब्राम्हणवाद हम सभी दलित, पिछड़े और शूद्र समाजिकों के लिए अमर बेल है, अतः हमें इसका मुकाबला करना होगा। इस तरह इक्कीस वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र राज्य के अछूतों को सामाजिक गुलामी से छुटकारा दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा था कि अछूत अपनी इच्छानुसार जीवन नहीं जी सकते, उनका मान-सम्मान मनुस्मृति के काले कानूनों के कारण मिट चुका है। अतः ब्राम्हणवाद की सारी विषमताओं की जड़ है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कर्म के बजाय जन्म पर आधारित कलुषित ब्राम्हणवाद को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया।¹⁵

सन् 1855 के प्रारंभ में महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक पर्चा अस्पृश्यांच कैफियत अर्थात् अछूतों की दशा प्रकाशित किया। ज्योतिबा ने स्पष्ट लिखा है कि— "यदि ब्राम्हण सचमुच देश भक्त होते तो देश के बहुसंख्यक हिन्दू समाज को उन्होंने शूद्र और अति शूद्र न बनाया होता तथा यह भ्रांति और कुत्सित धारणा न फैलाया होता, कि शूद्र के हाथ का स्वच्छ जल भी अपवित्र तथा पशुओं के मूत्र के समान है।" ज्योतिबा ने शूद्रों को संदेश लिखा है कि "वे जब तक हमारे देश में ब्रिटिश राज्य है, अपने को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बना ले। कहा नहीं जा सकता कि अंग्रेजी शासन कब समाप्त हो जाय। साथ ही उनको चाहिए कि सामाजिक सामाजिक समानता, स्वतंत्रता तथा मातृ भावना के लिए खुला संग्राम करने की

शक्ति और साहस जुटा लें।"¹⁶

महात्मा फुले जाति प्रथा और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। उन्होंने समाज में ब्राम्हण वर्ग के एकाधिकार और विशेषाधिकार का विरोध किया। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि हिन्दी धर्म ग्रंथों में जो ब्राम्हणों की सर्वोच्चता प्रतिपादित की गई है, वह स्वयं ब्राम्हणों की ही चाल है और ऐसा हिन्दी समाज के निम्न वर्ग का शोषण करने के लिए किया गया है। सितम्बर, 1853 ई. में आयोजित महिला शिक्षा समिति की एक बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि निम्न और अछूत जाति के लोगों की शिक्षा से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इस बैठक में उनके मित्र सदाशिव गोवाण्डे ने कहा कि हमारे देशवासियों की अज्ञानता ने उन्हें अंधविश्वासों और दासता का जीवन जीने के लिए बाध्य किया है। अज्ञानता समाज की खतरनाक बीमारी है, जिसको दूर करना आवश्यक है।

महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे, जिसमें सभी लोगों को शिक्षा देना चाहते थे, ताकि वे अपने लिए समान अधिकारों की मांग कर सकें एवं अपनी दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर सकें। ज्योतिराव ने जाति-पांति का भेदभाव मिटाने, अस्पृश्यता को दूर करने एवं शूद्र वर्ग को शिक्षित करने का अभियान जीवन भर जारी रखा। इस मार्ग में आने वाली बाधाओं का उन्होंने डटकर मुकाबला किया एवं अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहे उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई।¹⁷

सन् 1865 में महात्मा फूले ने "गुलाम गीरी" नामक पुस्तक लिखकर शूद्रों के लिए नवीन इतिहास की रचना की और मनुवादी व्यवस्था को सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि राजनैतिक गुलामी से सामाजिक गुलामी अत्यन्त कष्टदायक है। महात्मा फूले ने अपने संघर्ष भरे जीवन में शूद्रों के लिए तालाब, शिक्षा के लिए स्कूल, विधवाओं का पुनर्विवाह, गरीबों

के लिए अस्पताल और अन्तर्जातीय विवाह जैसे महान कार्य करते हुए 1890 ई. में मृत्यु को प्राप्त हुआ। दलित समाज के लिए किए गए आजीवन संघर्ष के कारण महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दलित समाज

महामानव ज्योतिबा फूले की क्रांति और कर्तव्य का अनुसरण करेगा, ऐसा उम्मीद पर हम कायम रहेंगे।⁸

“यू तो हजारों जनम लेती है जिन्दगी,
जो जिया औरों के लिए, उस जिंदगी को बंदगी।”⁹

। nHk %

1. अम्बेडकर टुडे, हिन्दी मासिक पत्रिका, 2007 ।
2. भीम दिशा, 2005 से उद्धृत ।
3. अम्बेडकर टुडे, हिन्दी मासिक पत्रिका, 2007 ।
4. नागोरी, एस.एल., कांता, आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ संख्या 116 ।
5. बहुजन संगठक, संपादक – कांशीराम, 23 फरवरी, 1998, पृष्ठ संख्या 4 ।
6. हरित, द्रौपदी, हमें जिन पर गर्व है, पृष्ठ संख्या 133 ।
7. नागोरी, एस.एल., कांता, आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ संख्या 118 ।
8. बहुजन संगठक, संपादक – कांशीराम, 23 फरवरी, 1998, पृष्ठ संख्या 7 ।
9. पटेल, बालकराम, पिकअप छत्तीसगढ़, 2 दिसम्बर, 2001 ।



भारत में नारीवादी आंदोलन एवं संगठन (1850-1950)

* डॉ. सीमा पाल

महिला जागृति का परिणाम था कि 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में स्त्रियों ने अपनी निम्न स्थिति को चुनौती देने के लिए हिम्मत जुटाना आरंभ किया। राजकुमारी अमृतकौर ने भी बीसवीं सदी की महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के बारे में खूब लिखा है। सरोजनी नायडू ने कहा कि स्त्रियाँ घर की चारदीवारी में कैद नहीं रही बल्कि आत्म-निर्भर हो गईं। भारत में महिला आंदोलनों को भारतीय समाज तथा ब्रिटिश शक्ति के बीच परस्पर आदान-प्रदान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। महिला आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था महिलाओं की दयनीय दशा में सुधार लाना अर्थात् महिला उत्थान जिसका अर्थ है समाज में प्रचलित मान्यताओं एवं प्रथाओं में सुधार लाना ताकि वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। साथ ही एक दूसरा अहम उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच समान अधिकारों की स्थापना करना।

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’

जैसे मंत्रों की जननी हमारी भारत भूमि में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक नारी की सामाजिक स्थिति में काल क्रमानुसार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अपने अधिकारों के लिए जाग्रत हुई नारी ने संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, वह भारत की स्वतंत्रता हेतु गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ी। भारतीय महिला सभा (The Women's Indian Association) भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद् (National Council of women in India), एवं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे बड़े-बड़े महिला संगठन, स्त्रियों की संगठित शक्ति के परिचायक हैं।

भारत की पवित्र धरती की महान परंपराएँ प्राचीन काल से ही अपने मूल स्वरूप में थोड़े बहुत सामाजिक परिवर्तनों के साथ अनवरत चली आ रही हैं। ‘स्त्रियों को समान देना’ उन्हीं परंपराओं में से एक है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त है। पति के धार्मिक कार्य तभी पूर्ण माने जाते थे जब उसके वाम पक्ष में उसकी पत्नी बैठी हो। शिक्षा प्राप्त करने एवं स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने-सभी को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। लेकिन ये सारी स्थिति विदेशी आक्रमणों से पूर्व की है। आठवीं सदी

* संविदा सहा. प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ0ग0)

में हुए अरब आक्रमण उसके बाद हुए तुर्क आक्रमणों से महिलाओं की इस सम्मान जनक एवं गरिमापूर्ण स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। संकीर्ण एवं रूढ़िवादी विचारों वाले मुसलमानों के शासनकाल में अनेक कुप्रथाएँ भारतीय समाज का अंग बन गई और उनमें से ज्यादातर स्त्रियों से ही संबंधित थी जैसे— जौहर, सतीप्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्री अशिक्षा, कन्यावध, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, घर से बाहर आने जाने पर रोक आदि। महिलाओं की यह स्थिति अंग्रेजों के आगमन तक और उनके आने के काफी समय बाद लगभग 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक बनी रही।

एक स्त्री की जगह सिर्फ उसके परिवार के अंदर ही मानी गई, और वह भी अपने पति द्वारा शासित होती रही, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक किसी भी प्रकार के अधिकार उसे प्राप्त नहीं थे और वह घर की चार दीवारी में ही कैद थीं।¹

यद्यपि समाज की निम्नवर्गीय महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, और ये इसलिए नहीं कि उनके पुरुष अधिक उदारवादी दृष्टिकोण के थे, बल्कि इसलिए कि उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति ने उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया।

इस तरह धर्म एवं प्रथाओं के नाम पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उसके विरुद्ध पहली आवाज उठाई राजा राम मोहन राय ने।² राजा राममोहन राय से प्रभावित होकर अन्य सुधारकों ने भी महिला उत्थान के प्रयास आरंभ किए (ब्रम्ह समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन)। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, डी.के. कर्वे आदि ने अपने सुधार आंदोलनों में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाओं को समाप्त करने की वकालत की। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के नए शैक्षणिक परिवर्तनों ने भी नारी को उसकी दयनीय

दशा से ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर गांधीजी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को जोड़ने से भी उसके गैर पारिवारिक क्रियाकलापों व गतिविधियों को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई जिससे उन्हें नवीन शक्ति मिली।³

महिला जागृति का परिणाम था कि 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में स्त्रियों ने अपनी निम्न स्थिति को चुनौती देने के लिए हिम्मत जुटाना आरंभ किया। राजकुमारी अमृतकौर ने भी बीसवीं सदी की महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के बारे में खूब लिखा है।⁴ सरोजनी नायडू ने कहा कि स्त्रियाँ घर की चारदीवारी में कैद नहीं रही बल्कि आत्म-निर्भर हो गईं।⁵ भारत में महिला आंदोलनों को भारतीय समाज तथा ब्रिटिश शक्ति के बीच परस्पर आदान-प्रदान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।⁶

महिला आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था महिलाओं की दयनीय दशा में सुधार लाना अर्थात् महिला उत्थान जिसका अर्थ है समाज में प्रचलित मान्यताओं एवं प्रथाओं में सुधार लाना ताकि वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। साथ ही एक दूसरा अहम उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच समान अधिकारों की स्थापना करना।⁷

प्रारंभिक नारीवादी आंदोलन में जिनका नाम सर्वोपरि है वे हैं, ऐनीबेसेंट और सरोजनी नायडू। 1901 से 1918 के मध्य विभिन्न विचार गाष्ठियों में स्त्रियों की दशा पर विचार विमर्श तो हुआ लेकिन अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा संगठन नहीं बना जो इस मुहिम को आगे बढ़ा सके। ऐनीबेसेंट ने अपने पत्र 'न्यू इंडिया' में महिलाओं पर खूब लिखा। सरोजनी नायडू ने 'नेशनल सोशल कांफ्रेंस' (1986) के मंच पर भाषण देते हुए 1906 में कहा था "It is not You men, but we who are the true nation builder."

“नए आर्थिक पर्यावरण के उद्भव, नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक पाश्चात्य

शिक्षा पद्धती और चिंतन शैलियों के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में साधारण राष्ट्रीय और प्रजातांत्रिक जागरण हुआ, उसी की एक अभिव्यक्ति यह भी थी कि जिस मध्ययुगीन सामाजिक अधनीस्थता और उत्पीड़न से भारतीय नारी सदियों से त्रस्त थी, उससे उसकी मुक्ति के आंदोलन शुरु हुए।⁹

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि “विश्वस्तरीय महिला आंदोलन और भारतीय नारीवादी आंदोलन में जो अंतर था वो है – भारतीय नारीवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ाव।”¹⁰

अपने पुरुष अभिभावकों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर स्त्रियां उन क्लबों और संगठनों से जुड़ी जो केवल महिलाओं के लिए ही बनाए गए थे। प्रारंभिक महिला संगठनों की स्थापना व संचालन पुरुषों के द्वारा किया गया जो नवीन धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे जैसे केशवचंद्र सेन (ब्रम्ह समाज के नेतृत्वकर्ता) ने शैक्षणिक कार्यक्रमों, महिला पत्रिका, प्रार्थना सभा तथा भारत आश्रम का विकास किया। उनके द्वारा स्थापित साधारण ब्रम्ह समाज के सदस्य स्त्री पुरुष समानता के आदेश से प्रेरित थे।¹¹

इसी तरह महादेव गोविंद रानाडे, एन.जी. चंद्रावरकर एवं आर.जी.भंडारकर ने भी महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाई। महादेव गोविंद रानाडे ने 1882 में पंडिता रमा बाई सरस्वती को ‘आर्य महिला समाज’ की स्थापना में सहयोग दिया।¹²

“आर्य समाज ने एक ऐसी आदर्श महिला का स्वप्न देखा, जो सिर्फ एक कुशल गृहणी ही नहीं बल्कि महामारी, प्लेग, बाढ़ दुर्भिक्ष जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सेवा कर सके।”

कलकत्ता में 1886 में ‘महिला संगठन’ की स्थापना ब्रम्ह समाज के अंतर्गत स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा की गई जिसने निर्धन महिलाओं को अध्यापिका बनने के लिए ट्रेनिंग दी। पूना में पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार देने के लिए

‘शारदा सदन’ नामक संस्था एवं ‘सेवा सदन’ की स्थापना की। सेवा सदन के द्वार सभी समुदायों की महिलाओं के लिए खुले थे।

महिलाओं द्वारा स्थापित महिला संगठनों में 1910 में इलाहाबाद में ‘भारत स्त्री महामण्डल’ की स्थापना सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई जिसकी शाखाएँ पूरे भारत में खोली गईं इस महामंडल ने पर्दा प्रथा को स्त्री शिक्षा के विकास में एक बड़ी बाधा माना। 1916 में भोपाल में बेगम ने ‘आल इंडिया मुस्लिम वीमन एसोसिएशन’ की स्थापना की जहाँ पर समाज सुधार और शिक्षा पर पेपर पढ़े गए तथा प्रस्ताव पारित किए गए।

1942 में कलकत्ता में महिला आत्म रक्षा लीग की स्थापना कम्यूनिस्ट पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा की गई। बाद में बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, पंजाब में भी इसकी शाखाएँ खुल गईं। इसमें ‘बंगाल महिला आत्म-रक्षा-समिति’ सबसे मिसाल थी जिसकी अधिकांश सदस्य महिला कृषक और महिला मजदूर थी। इस संस्था का लक्ष्य था— फासीवाद का विरोध करना, राहत कार्य करना, स्वतंत्रता संघर्ष में सहयोग। इसने कांग्रेस महिला संघम, मुस्लिम लीग महिला समिति, हिंदू महासभा महिला समिति को भी सहयोग दिया।

राष्ट्रीय स्तर पर 1914 में ‘राष्ट्रीय महिला संगठन’ का गठन हुआ – बाद में 1917 से 1937 के 20 वर्षों में 3 मुख्य महिला संगठन बने – 1. वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन 2. नेशनल काउंसिल ऑफ वूमेन इन इंडिया 3. आल इंडिया वूमेन्स कांफेस।

वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन पहला ऐसा स्त्री संगठन है जिसने महिला श्रमिकों की मांगों को उठाया तथा इसके मध्यममार्गी राष्ट्रवादियों ने पहली बार महिला श्रमिकों को प्रसूति छुट्टी तथा लाभ दिए जाने की मांग उठाई। अंततः 1929 में बंबई प्रसूति लाभ कानून पारित किया गया। इसी के बाद 1930

में मध्यप्रान्त, 1933 में अजमेर मेवाड़ में, 1935 में मद्रास में 1936 में दिल्ली, 1937 में बंगाल और 1938 में उत्तरप्रदेश में प्रसूति कानून पास किए गए।

भारतीय महिला सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था— मताधिकार में लिंग असमानता का विरोध करना। इसने नवंबर 1917 में भारत सचिव एडविन मांटैग्यू से मत प्राप्त करने का अधिकार मांगा, उन्हें मताधिकार तो मिला लेकिन 14 प्रतिशत पुरुष

मताधिकार की तुलना में 01 प्रतिशत स्त्री मताधिकार केवल नाम मात्र का था।

1935 में भारत सरकार अधिनियम में स्त्री मताधिकार के प्रतिशत में थोड़ी सी वृद्धि अवश्य हुई। 41 सीटें विशेष रूप से सांप्रदायिक आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। 1937 के चुनावों में विभिन्न प्रांतों में महिलाओं द्वारा किए गए मत प्रयोग का प्रतिशत भी अलग-अलग था।

Provinces	Numbers who Registered	Numbers who voted	%
Madras	1,523,248	479,278	31.5
Bombay	305,750	129,535	42.4
Bengal	896,588	46,758	5.2
United Provinces	494,752	95,553	19.3
Punjab	173,459	58,216	33.56

भारत में "National Council of Women in India" अगला राष्ट्रीय महिला संगठन था। 1925 में NCWI अंतर्राष्ट्रीय आयोग की राष्ट्रीय शाखा के रूप में स्थापित हुआ जिसने महिलाओं और बच्चों से संबंधित समस्याओं के संबंध में क्रियाशील भूमिका निभाई। "NCWI" के उत्कर्ष में मेहरी बाई टाटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 NCWI ने शारदा एक्ट का भी समर्थन किया।

आल इंडिया वूमैन्स कांफ्रेंस की बंबई शाखा के साथ मिलकर कुछ खास कार्यों की सूची तैयार की —

1. पूरे भारत में प्रसूति की सुविधाएं मिलनी चाहिए।
2. कारखानों में महिला डॉक्टरों की अनिवार्य नियुक्ति हो।
3. सभी कारखानों में क्रेश की अनिवार्य रूप से स्थापना

हो।

4. कारखानों में महिला इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हो।

1936 तक NCWI से जुड़ी 5 प्रांतीय काउंसिलें भी स्थापित हुईं —

1. बंगाल प्रेसीडेंसी काउंसिल ऑफ वूमैन्स।
2. बाम्बे प्रेसीडेंसी वूमैन्स काउंसिल।
3. बिहार एण्ड उड़ीसा काउंसिल ऑफ वूमैन्स।
4. दिल्ली-काउंसिल ऑफ वूमैन्स।
5. बर्मा काउंसिल ऑफ वूमैन्स।

सन् 1938 से 1940 के मध्य 3 महत्वपूर्ण संगठन NCWI संबद्ध हो गए— All India Girls Guides Association, The Association for Moral and Social Hygiene, The trained Nurses Association of India.

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन नामक राष्ट्रीय संगठन की गायकवाड़ महारानी चिमनाबाई साहिब प्रथम की स्थापना जनवरी 1927 में पूना में हुई। बड़ौदा अध्यक्ष घोषित की गई।

References

1. Basu Aparna, "Women's struggle", A History of the all India Women's conference-1927-2002," Second Edition, Manohar publishers's New Delhi, p.17.
2. Basu Aparna and Bharti Ray, "Women's Struggle", A History of the all India women's conference, 1927-1990, p.01, Ajay Jain, Manohar Publications New Delhi, Dec.1990.
3. Mishra Saraswati, 'Status of Indian women,' Gyan publishing house, New Delhi, 2002, page-161.
4. Rajkumari Amrit Kaur, 'challenge to women', (Allahabad, 1946) p.15
5. "Sarojini Naidu., Roshni, Vol. IX (1957) p.4.
6. Narain V.A., "social History of modern India," Delhi 1972, p-4.
7. Bhatt B.P. & S.R. Sharma, "Women's education and social Development," Kanishka publishing House, 1992, p-290.
8. Ibid, p.294.
9. देसाई ए. आर., "भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि," पृ. 218
10. Chatterji Parth, "The Nation and its fragments, colonial and Post colonial Histories," Delhi, Oxford University Press, 1997. p. 126-127.
11. Shastri Sivanath, "History of the Brahma Samaj," (Calcutta, Sadharan Brahm Samaj) 1974, p-105-164.
12. Arya Mahila samaj, Directory of women's Institution, ed. K.J. Chitalia, Vol. I, Bombay Presidency (Bombay, Servants of India Society) 1936, p. 6.
13. Arya Mahila samaj, (n.d) notes by Mrs. Leela Josh (received from the author); Arya Mahila Samaj: An Appeal (n.d.), cyclostyled sheet received from Sarojini Pradhar; Pandita Ramabai Saraswati, "Women's Forum," (Mar.-April, 1972) no page number.
14. India Year Book, 1945-46.
15. Lady Tata, A Book of Remembrance, (Bombay J.B. Dubash, 1933) p. 12-13.



बस्तर में स्वाधीनता हेतु प्रयास एवं भारतीय संघ में विलय

(1920ई. से 1947ई. तक)

* डिश्वरनाथ खुँटे

बस्तर मुख्यतः आदिवासी बहुल अंचल रहा है एवं अपनी वन एवं खनिज सम्पदा के लिए चर्चित रहा है। छत्तीसगढ़ की सभी रियासतों में यह सबसे बड़ी इस रियासत की राजधानी जगदलपुर थी। भारतवर्ष में जिन कारणों के फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उनसे बस्तर भी प्रभावित हुये बिना न रह सका। यहां भी असंतोष के स्वर मुखरित हुए, जिससे बस्तर में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार यह क्षेत्र भी देश की मुख्यधारा से जुड़ा रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के शोषण चक्र से निजात पाने हेतु बस्तर के आदिवासियों, राज परिवार के सदस्यों और जमींदारों ने विद्रोह का बिगुल फूँका था।

यहाँ, असहयोग आंदोलन, काकीनाड़ा अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बस्तर स्टेट में कांग्रेस की स्थापना एवं उसकी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि बस्तर रियासत का विलय भारतीय संघ में किस परिस्थितियों में किया गया ।

बस्तर रियासत छत्तीसगढ़ प्रभाग (मध्यप्रांत) की प्रमुख रियासत थी जो कि छ.ग. की सभी 14 रियासतों में सबसे बड़ा था जिसकी राजधानी जगदलपुर थी।¹ बस्तर मुख्यतः आदिवासी बहुल अंचल रहा है। बस्तर अपनी वन संपदा एवं खनिज संपदा के लिये चर्चित रहा है। दंतेश्वरी मां की महत्ता संपूर्ण बस्तर में व्याप्त है। यहां का महापर्व दशहरा भी विशेष महत्व रखता है।² बस्तर के जनजाति आधुनिक चमक-दमक तथा मुख्यधारा से दूर रह कर भी राष्ट्र की नब्ज को भली-भांति जानते थे, परखते

थे तथा राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएं अन्य व्यक्तियों के समान ही थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के शोषण चक्र से निजात पाने हेतु बस्तर के आदिवासियों, राजपरिवार के सदस्यों और जमींदारों ने विद्रोह का शंखनाद किया था।³

भारत वर्ष में जिन कारणों के फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उनसे बस्तर भी प्रभावित हुये बिना न रह सका। यहां भी असंतोष के स्वर मुखरित हुए, जिससे बस्तर में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार यह क्षेत्र भी देश की मुख्यधारा

* सहायक प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

से जुड़ा रहा।

VI g; ksx vkanksyu vkj cLrj fj; kl r%

जब महात्मा गांधी ने 1920 ई. में भारत वर्ष में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तब बस्तर के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, सरकारी नौकरियों में होने पर भी एकांत स्थानों में जाकर कांग्रेस का झण्डा-तोलन किया, वन्दे मातरम के गीत गाये-गुनगुनाये। शासन को जानकारी मिलने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसे व्यक्तियों में मुन्नालाल तिवारी, श्रीकृष्ण दुबे एवं गंगाधर सामंत मुख्य थे।⁴

dkdhukMk vf/ko's ku , oa cLrj fj; kl r%

काकीनाड़ा शहर, आंध्रप्रदेश का क्षेत्र था, जो कि बस्तर की सीमा को स्पर्श करता था। बस्तर और काकीनाड़ा के बीच अत्यधिक घना जंगल पड़ता था। महात्मा गांधी का संदेश यहां तक पहुंचाना दुष्कर कार्य था।⁵ 1923 ई. में काकीनाड़ा में कांग्रेस का 39 वां वार्षिक अधिवेशन हुआ। मौलाना मुहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में धमतरी से नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में 25 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। काकीनाड़ा कांग्रेस पदयात्रा में रायपुर जिले के विभिन्न नगरों एवं तहसीलों के लोग सम्मिलित हुए थे। सागर के हलवेजी, राजिम के पं. सुंदरलाल शर्मा व श्यामलाल गुप्ता, नगरी के श्यामलाल सोम, धमतरी के पं. गिरधारीलाल सोनी ने पैदल ही धमतरी से प्रस्थान किया था।

कांग्रेस पदयात्रा का उद्देश्य काकीनाड़ा और उनके आस-पास के बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयता और जनजागरण था। सत्याग्रहियों ने काकीनाड़ा पहुंचने के पूर्व बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में जनजागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया। सत्याग्रही बस्तर के आदिवासी गांवों में जनजागरण कर लोगों को आकर्षित करने के लिये सत्याग्रही राष्ट्रीय नेताओं के चित्र अपने साथ रखे हुए थे। वे लोगों को राष्ट्रीय नेताओं के आजादी की, संघर्ष की कहानी सुनाया करते थे। बस्तर में रायपुर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं

की पदयात्रा आदिवासियों में जनजागरण के लिये काफी प्रेरणास्रद रही।⁶

Hkkjr NkMks vkanksyu vkj cLrj fj; kl r%

भारत छोड़ो आंदोलन महात्मागांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 ई. को बम्बई अधिवेशन में पारित किया। पूरे भारत वर्ष में यह आंदोलन तीव्रता से फैल गया। इस आंदोलन से बस्तर भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। जगदलपुर में पी.सी.नायडू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। नायडू द्वारा जगदलपुर में सोडा फैक्ट्री चलायी जाती थी। इस फैक्ट्री में हमेशा क्रांतिकारी एकत्रित हुआ करते थे। मोहसिन नामक युवक नायडू का भक्त था। पी.सी.नायडू के नेतृत्व में मोहसिन और उसके साथियों ने एक रात्रि में जगदलपुर स्कूल में "स्थित यूनियन बैंक" को लैग पोस्ट के सहित जलाकर राख कर दिया।⁷

cLrj ea LVW dkaxd dh LFkki uk%

18 नवंबर 1946 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बस्तर रियासत की राजधानी जगदलपुर में अपना कदम रखा, जनता ने उनका सत्कार कर मालाएं पहनायीं। 19 नवंबर 1946 को पी.सी.नायडू के निवास स्थान में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने स्टेट कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी जिसके सभापति -नरसिंह, उपसभापति-पी.सी.नायडू, सचिव-गंगाचरण बाजपेयी, कोषाध्यक्ष-लक्ष्मीचंद जैन एवं सहायक -अभिमन्यु रथ कार्यकर्ता चुने गए। उसी दिन शाम को गोल बाजार में भाषण हुआ, जहां अच्छी भीड़ थी, लोगों में अभूतपूर्व उत्साह था। उपस्थित भीड़ ने भारतमाता और नेताओं की जय का शंखनाद किया। इस स्टेट कांग्रेस की स्थापना से बस्तर रियासत में जनजागरण बड़ी तेजी से उत्पन्न हुई।⁸

fo | kFkhZ dkaxd dh vkel Hkk vkj cLrj fj; kl r %

बस्तर रियासत के पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों ने विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की। 2 जून 1947 की शाम को जगदलपुर के गोलबाजार में स्थानीय

संपत्ति को हड़पने की कुचेष्टा के संबंध में हैदराबाद निजाम की घोर निंदा की गई। यह निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस आम सभा के प्रति जनता में काफी उत्साह देखा गया। लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। निश्चित रूप से यह बस्तर रियासत के लोगों में बढ़ते हुए जनजागरण का परिचायक था।⁹

LVS/ dkaxd dh jktuhfrd xfrfof/k; ka vkj cLrj fj; kl r %

राजनीतिक विभाग ने मिस्टर जाफरी को बस्तर रियासत का होम मेम्बर नियुक्त किया था। 14 जून 1947 को मि. जाफरी ने वक्तव्य दिया— “ सार्वभौम सत्ता की समाप्ति के बाद बस्तर रियासत भी हैदराबाद, द्रावनकोट की तरह स्वतंत्र रहने की घोषणा करता है।”

14 जून 1947 को स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर मि. जाफरी के उक्त पृथकतावादी वक्तव्य का विरोध किया। जिसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि एक सार्वजनिक सभा में मि. जाफरी ने वक्तव्य के लिये क्षमा याचना की तथा महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव की ओर से यह घोषित किया कि बस्तर रियासत-भारत संघ की विधान निर्मात्री सभा में सम्मिलित होगी। “इस घोषणा के लिये स्टेट कांग्रेस ने महाराजा प्रवीरचंद्र को हार्दिक बधाई दिया।¹⁰

cLrj dh Lok/khurk , oa Hkkjr l ik ea foy; grq iz; kl %

भारत सरकार के अंतरिम मंत्रिमंडल ने 27 जून थी।¹³

राजाज्ञा

मेरी प्यारी प्रजा,

मैं एक जरूरी एलान कर रहा हूँ जिसका संबंध आप लोगों से है और बस्तर राजघराने से है। मैंने भारतवर्ष के डोमिनियन सरकार को बस्तर का राज्य सौंप दिया है। भारत की सरकार भविष्य में बस्तर राज्य के ऊपर मध्यप्रदेश प्रांत व बरार की सरकार के द्वारा शासन करेगी। ऐसा करने की सलाह मुझे डोमिनियन सरकार के नेताओं ने दी थी। इस प्रकार इस्टर्न स्टेट्स के अन्य शासकों को भी दी

1947 को रियासत विभाग की स्थापना कर उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। पटेल ने वी.पी.मेनन को सचिव बनाया। 25 जुलाई 1947 ई. को वायसराय माउंटबेटन ने भारतीय राजाओं की बैठक बुलाई। इसमें उसने देशी राजाओं व उनके प्रतिनिधियों को भारतीय संघ में शामिल होने को प्रोत्साहित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत वर्ष आजाद हो गया। बस्तर भी स्वतंत्र हो गया। सरदार पटेल ने 18 वर्षीय राजा प्रवीरचंद्र भंजदेव को दिल्ली बुलाकर कठोर चेतावनी दिया था— “राज्य के प्रदेश का कोई भी भाग किसी को ठेके पर दिया जाना, प्रजा के हित को नुकसान पहुंचाना होगा, और खासतौर पर हैदराबाद राज्य को ठेके पर दिया जाएगा तो बस्तर राज्य के इस सत्य को भारत सरकार अपने विरुद्ध मानेगी, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा।”¹¹ इस चेतावनी के बाद राजा प्रवीरचंद्र भंजदेव अपना दृष्टिकोण भारत के पक्ष में रखने लगा।

छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय हेतु राजाओं की बैठक 15 दिसंबर 1947 को नागपुर में आयोजित हुई जिनमें 14 में से 11 रियासतों के शासकों ने भाग लिया। प्रवीरचंद्र भंजदेव ने नागपुर में भारतीय संघ में विलय मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिया।¹²

इस सूचना से बस्तर की जागरूक जनता हर्षित हुई थी। नागपुर बैठक से लौटने के बाद महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव ने 19 दिसंबर 1947 को एक राजाज्ञा जारी की जिसमें उसने अपनी प्रजा से शक्ति पूर्वक सत्ता हस्तांतरण को स्वीकार कर लेने की अपील की

गई थी। मेरा यह निर्णय उस सलाह के अनुसार हुआ है क्योंकि मैं नेताओं की सलाह का आदर करता हूँ। अपनी मातृभूमि के प्रति, बस्तर राज्य के प्रति और आप लोगों के प्रति जो प्रेम मेरे हृदय में रहा है, वही प्रेम मेरे इस निर्णय में रहा है। मैंने इस विश्वास से किया कि इसी में आपका अधिक से अधिक कल्याण हो सकेगा। मैं हार्दिक रूप से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस (राजाज्ञा) को सुनकर आप शांत रहे। यह मेरी इच्छा है कि राज्य के सभी कर्मचारी अपना काम ठीक रीति से कर रहे हैं, और बस्तर शासन मध्यप्रान्त व बरार की सरकार को अच्छी दशा में सौंप दें। यद्यपि मैं बालक हूँ फिर भी जब तक मैं आपका राजा था, मैंने आपकी सेवा करने की भरसक कोशिश की। जिस जोश के साथ मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए परिश्रम के साथ काम किया, उसी जोश में मैंने यह त्याग किया है क्योंकि प्रजा की भलाई के लिए परिश्रम के साथ काम किया, उसी जोश में मैंने यह त्याग किया है क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों के हितों पर ध्यान दिया है और अपने हितों से आगे आपके हितों को रखा है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि शान्ति और उन्नति के फल बस्तर राज्य की प्रजा को प्रदान करें।¹⁴

तारीख - 19.12.1947

प्रवीर चंद्रभंजदेव

हिज हाइनेस महाराजा और शासक

बस्तर स्टेट

भारत सरकार द्वारा बस्तर रियासत को विधिवत् रूप से 01 जनवरी 1948 ई. को मध्यप्रान्त में विलीन कर ली गई।¹⁵

। nHkz %

1. बेहार, आर.के. छत्तीसगढ़ का इतिहास, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रायपुर 2009 पृष्ठ 172
2. वर्मा, भगवान सिंह, छत्तीसगढ़ का इतिहास, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2003 पृष्ठ 237
3. वर्ल्यानी, जे. आर एवं शुक्ला साहसी, व्ही.डी., बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, दिव्या प्रकाशन कांकेर, 1998 पृष्ठ 169
4. शुक्ला सुरेश चंद्र, छ.ग. की रियासतों का विलीनीकरण, शिक्षादूत प्रकाशन, रायपुर 2002, पृष्ठ 121
5. बेहार, रामकुमार, बस्तर एक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1995, पृ. 37
6. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, दिव्या प्रकाशन, कांकेर, 1998 पृ. 169,170
7. वहीं पृ.वही
8. शुक्ला सुरेश चंद्र, छ.ग. की रियासतों का विलीनीकरण, शिक्षादूत प्रकाशन रायपुर 2002, पृ.121,122
9. वहीं पृ. वही
10. वहीं पृ. 122, 123
11. वहीं पृ. 229
12. वहीं पृ. 242
13. वहीं पृ. 200
14. कलेक्टर जगदलपुर रिकार्ड रूम से प्राप्त अभिलेख ।
15. शुक्ला सुरेश चंद्र, छ.ग. की रियासतों का विलीनीकरण, शिक्षादूत प्रकाशक रायपुर 2002, पृष्ठ 243।



छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह

* डॉ. देवेश शर्मा

गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना स्वयं में अनोखी थी। यह किसी भी प्रकार का जनआंदोलन नहीं था। जिसमें लोग सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उलघन करे। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत प्रयास था। जिसके अंतर्गत गांधी जी द्वारा चुने गये सत्याग्रही अपने निवास से दिल्ली की ओर पैदल निकल पड़ते थे। रास्ते में वह लोगो को इकट्ठा करके उनके समक्ष युद्ध के विरोध में भाषण देता तथा लोगो को युद्ध कार्य में सहयोग न देने की अपील करता था। उनके द्वारा किसी प्रकार के बल प्रयोग तथा शक्ति प्रदर्शन अवांछनीय था।

गांधी जी चाहते थे कि केवल ऐसे व्यक्ति ही सत्याग्रही बने जिनका अहिंसा के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास हो, वे मन से, विचारो से, हृदय से तथा कर्म से स्वीकार करते हो। (1)

अन्य प्रांतों की तरह छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह के पूर्व तैयारियां तथा गतिविधियां 1940 के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो चुकी थी। 15 जनवरी को रायपुर में जिला कौंसिल के शिक्षको का वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन करते हुये द्वारिका प्रसाद मिश्र ने शिक्षको से आग्रह किया कि वे अपने विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करे। 18 जनवरी को रायपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिला राजनीतिक परिषद का उद्घाटन करते हुये यह चेतावनी दी कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं थी। (2)

छत्तीसगढ़ संभागों के प्रत्येक जिले, तहसील तथा गांवों में प्रभात फेरिया निकाली गई। रायपुर

में पंडित रविशंकर शुक्ल ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। स्थान-स्थान पर लोगो ने चरखा काता तथा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने तक संघर्ष करने का संकल्प लिया।(3)

फरवरी 1940 के प्रारंभ में रायपुर जिले में स्थित महासमुंद में यतियतन लाल ने एक सभा को संबोधित करते हुये कहा कि अधिक से अधिक लोगो को कांग्रेस का सदस्य बनकर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना चाहिये। महाशिवरात्री के अवसर पर बिलासपुर में स्थित शिवरीनारायण में शिवदुलारे मिश्र की अध्यक्षता में एक सभा हुई। जिसमें अमर सिंह सहगल, काशीराम तिवारी, रामगोपाल तिवारी तथा बी.बी. मिश्र के भाषण हुये। वक्ताओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ चलने वाले संघर्ष पर प्रकाश डालते हुये सत्याग्रह के लिये अधिक से अधिक लोगो को स्वयं सेवक बनने प्रेरित किया। (4)

* प्राचार्य, अग्रसेन कॉलेज, पुरानी बस्ती रायपुर (छ0ग0)

दुर्ग जिले में सर्वश्री तामस्कर तथा बाकलीवाल इन दो भूतपूर्व विधायकों ने 15 मार्च को कुछ गांवों में सभाएं लेकर लोगों से आग्रह किया कि वे युद्ध नीति में कोई अंशदान न दें। दुर्ग जिले के डौंडीलोहारा क्षेत्र में सरजु प्रसाद भी लोगों को सत्याग्रह के लिये तैयार कर रहे थे। (5)

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पं. रविशंकर शुक्ल तथा महंत लक्ष्मीनारायण दास ने बलौदाबाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिये तैयार रहने का आग्रह किया। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक परिपत्र जारी कर कांग्रेस सदस्यों को निर्देश दिया कि वे गांवों में जाकर लोगों को युद्धनीधि में अंशदान देने से रोके। रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के शिक्षकों ने भी गांवों में घूम घूम कर लोगों को सत्याग्रह के लिये तैयार रहने का अह्वान किया। (6)

मई 1940 तक छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी जिला कांग्रेस कमेटियां सत्याग्रह समितियों के रूप में परिवर्तित हो चुकी थीं। मई के प्रथम पखवाड़े तक छत्तीसगढ़ में 529 सत्याग्रहियों को भर्ती किया गया था। रायपुर जिले में 100, दुर्ग में 400 तथा बिलासपुर में 29 सत्याग्रहियों की भर्ती की गई थी। रायपुर तथा बिलासपुर जिलों में जिला कौंसिल के शिक्षकों को सत्याग्रह का प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से सविनय अवज्ञा का प्रचार किया जा रहा था।

25 अप्रैल को पं. रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में महासमुंद तहसील राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। (7) 13 मई को रायपुर जिले के चंद्रखुरी ग्राम में महंत लक्ष्मीनारायण दास तथा अनन्त राम ने भाषण दिये तथा लोगों को सत्याग्रही के रूप में भर्ती होने प्रेरित किया। 12 मई को बिलासपुर में भी एक सभा हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि जिले के प्रत्येक गांव से कम से कम 5 सत्याग्रही

भर्ती किये जायेंगे। (8)

17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ विनोबा भावे ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में किया। उन्होंने वर्धा के निकट पवनार ग्राम में युद्ध विरोधी भाषण दिया उनके गिरफ्तार कर तीन माह की कैद की सजा दी गयी। द्वितीय सत्याग्रही के रूप में श्री जवाहर लाल नेहरू को सत्याग्रह के पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया। समय पूर्व गिरफ्तार के परिणामस्वरूप गांधी जी ने द्वितीय सत्याग्रही के रूप में बंम्हदत्त राय निर्मल को चुना 7 नवंबर को उन्होंने सेवाग्राम स्थित रेलवे क्रांसिंग के वर्धा की ओर सड़क मार्ग से पदयात्रा प्रारंभ की। रास्ते में वे राहगीरो, सायकल सवारों की स्थान-स्थान पर छोटी सभाएं लेकर ब्रिटिश सरकार के युद्ध कार्य में सहयोग न करने का आग्रह करते थे। 8 नवंबर को पवनार के निकट गिरफ्तार कर छः माह कारावास का दण्ड दिया गया। (9)

व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभिक चरण में केवल कांग्रेस कार्यसमिति, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान सभाओं के कांग्रेसी सदस्य ही सत्याग्रह करेंगे। उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में गांधी जी द्वारा अनुमोदित प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के सूची में उपलब्ध कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेंगे। ठाकुर छेदीलाल ने 22 अक्टूबर को बिलासपुर से पदयात्रा प्रारंभ की तथा युद्ध विरोधी भाषण दिये। उन्हें तत्काल ही भारत सुरक्षा कानून की धारा 34(6) के अधीन गिरफ्तार किया गया। (10) उनकी गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ के कुछ नगरों में हड़ताल हुई, बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व विधायक सरदार अमर सिंह सहगल

तथा रघुनन्दन प्रसाद वर्मा युद्ध विरोधी भाषण देते घुमते रहे। इन्हें कमशः तीन वर्ष एवं दो वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया गया। (11)

मध्यप्रांत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल ने 21 नवंबर को रायपुर में सत्याग्रह किया उन्हें भारत रक्षा कानून की धारा 129 के अधीन गिरफ्तार कर एक वर्ष के लिये नजरबंद रखा। सेठ शिवदास डागा ने दिसंबर के प्रथम सप्ताह में रायपुर में सत्याग्रह किया। उन्हें नौ माह का साधारण कारावास तथा 200 रु. का अर्थदंड दिया गया। इसी प्रकार, मध्यप्रांत विधान सभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्ता ने दुर्ग में लगभग 2500 की जनसंख्या को संबोधित करते हुये लोगो को युद्ध कार्य में सहयोग न करने का आह्वान किया। उन्हें 1 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया। अन्य सत्याग्रही थे विधायक के. पी. पाण्डेय, नामदेव सतनामी, हनुमंत राव, चैतु महार, डी. के. मेहता, बद्रीनारायण, महंत पोसुदास, पी. डी. जटार, व्योहार राजेन्द्र सिंह, भगवंत राम मंडलोई, व्ही. वाय. तामस्कर, अनन्त राम कुर्मी जिन्हें छैः माह से लेकर एक वर्ष तक कारावास दिया गया। (12)

व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय चरण में सत्याग्रहियों के यह निर्देश थे कि वे अपने निवास स्थान से सत्याग्रह करते हुये पैदल गांव-गांव में युद्ध विरोधी भावना का प्रचार करते हुये दिल्ली की ओर कूच करे। 5 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे चरण के प्रारंभ की घोषणा की। दूसरे चरण में विधान परिषद के अभी तक गिरफ्तार न हुये विधायकों के अतिरिक्त प्रांतीय कमेटी जिला कांग्रेस कमेटी तथा तहसील कांग्रेस कमेटियों को सत्याग्रह करने की अनुमति दी गई। (13)

गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को द्वितीय चरण में निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय

चरण के प्रारंभ होने के साथ ही बिलासपुर के मुरलीधर मिश्र तथा के.पी. तिवारी को एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 100 रु. का अर्थदंड दिया गया। जनवरी 1941 के द्वितीय पखवाड़े में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया, जिसमें वामन बलीराम लाखे ने रायपुर में सत्याग्रह किया। 26 जनवरी को मध्यप्रांत की तरह छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रायपुर में सभाएं हुई, (14) जिन सत्याग्रहियों को दंड दिया गया था उनमें डॉ. ज्वालाप्रसाद जयकिशन को छैः माह रामाधार दुबे, वामन बलीराम लाखे को चार-चार माह एवं अनेक सत्याग्रहियों के न्यायालय उठने तक सजा तथा अर्थदंड दिया गया। (15)

इसमें कोई संदेह नहीं कि 1941 के प्रथम तीन महीनो में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का काफी विस्तार हुआ, जो दिसंबर तक चला यह आंदोलन कार्यसमिति के सदस्यों विधायको से होता हुआ जिला तहसील एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं का आंदोलन नगरो से लेकर ग्रामीण स्तर तक फैल चुका था। कई सत्याग्रहियों ने जेल से छुटने के बाद दो बार, तीन बार, तक सत्याग्रह किया।

fu"d"kl%

17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह दिसंबर 1941 में समाप्त हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण में गांधी जी ने चुने हुये सत्याग्रहियों को सत्याग्रह करने की अनुमति दी जिसमें प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों, विधायको जिला कांग्रेस कमेटी तथा चुने हुये कार्यकर्ता थे।

द्वितीय चरण में विधान परिषद के अभी तक गिरफ्तार न हुये विधायको के अतिरिक्त प्रांतीय, जिला, तहसील कांग्रेस कमेटियों एवं कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करने की अनुमति दी गयी। इसलिये द्वितीय चरण में सत्याग्रह का विस्तार हो गया। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता की गांव

गांव जाकर युद्ध विरोधी नारे लगाना तथा आमजन से युद्ध में किसी भी प्रकार का सहयोग न करने कहा जाता था। गांव से पैदल दिल्ली चलने वालों में सामान्य कार्यकर्ता ज्यादा थे क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था वही सामान्य कार्यकर्ता

दिल्ली की ओर कूच करने में ज्यादा सफल हुये।

बिट्रिश सरकार ने भी सत्याग्रह को कुचलने का भरपुर प्रयास किया। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेस पर अंकुश लगाया उसके बाद डाक व टेलीफोन पर बंदिश लगाकर कठोर करावास व आर्थिक दंड लगाया।

। nHkz %

- 1 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सर्कुलर नं. 26 ए दिनांक 9 नवंबर 1940, एआईसीसी पेपर्स नं. 128/1940 पृ. 86
- 2 होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल नं. 18/3, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1940
- 3 उपरोक्त पृ. 1-2
- 4 होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल नं. 18/4, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1940, पृ. 2
- 5 उपरोक्त पृ. 1-4, रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द फर्स्ट हॉफ ऑफ मार्च 1940, पृ. 1-2
- 6 होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल नं. 18/5, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1940, पृ. 3
- 7 फाइल नं. 18/7, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1940, पृ. 3
- 8 पूर्वोत्तर पृ. 2-3
- 9 होम पोलिटिकल फाइल नं. 18/11 फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1940 पृ. 2-3
- 10 फाइल नं. 18/11 फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर सेकंड हॉफ ऑफ नोव्हेंबर 1940, पृ. 1-3
- 11 उपरोक्त पृ. 3
- 12 फाइल नं. 18/12, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1940, पृ. 1-2
- 13 फाइल नं. 18/1 फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ जनवरी 1941, अपेंडिक्स (II) (डी)
- 14 फाइल नं. 18/1, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेन्ट्रल प्राविसेंस एण्ड बरार फॉर द सेकंड हॉफ ऑफ



बस्तर की माड़िया जनजाति में काष्ठकला

* डॉ. बसो नरूटी

काष्ठकला की परम्परा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। लकड़ी में विभिन्न रूपाकारों को उतारने की कोशिश मानव ने आदिम युग से शुरू कर दी थी। जब से मानव ने मकान में रहना सीखा, तब से काष्ठकला की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए काष्ठ से निर्मित मनुष्य के आस्था केन्द्र और उसके निवास स्थान स्थापत्य कला के चरम कहे जा सकते हैं। बस्तर का पुरातन इतिहास उनके हस्त-शिल्प में छिपा हुआ है। बस्तर की कलाकृतियाँ छोटे-बड़े बहुत बड़े आकारों में बनाई जाती हैं। बस्तर का काष्ठकला, चित्रकला के ही आधार पर अवलम्बित है। काष्ठकला के लिए चित्रकारी अति आवश्यक है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर, हस्तशिल्प का पर्यायवाची बन गया है। यहां पर काष्ठकला का प्रचलन आदिकाल से रहा है।

छत्तीसगढ़ के सुदूर दक्षिण में स्थित बस्तर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि बने विस्तृत मगर जनसंख्या की दृष्टि से विरल यह अंचल एक साथ विभिन्न विषय शास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मानव शास्त्री, समाज शास्त्री, भू-गर्भ शास्त्री, भूगोल शास्त्री के साथ-साथ यह कला प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी को अध्ययन अन्वेषण के पर्याप्त आयाम प्रदान करने वाला यह आदिवासी अंचल चर्चित वर्णित रहा है। बस्तर वैसे भी मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों के लिए स्वर्ग है। इतनी प्रचुरता विविधता और बहुरंगी चित्र अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है।¹

भारत के कलात्मक उत्कर्ष के लिए प्रकृति

ने पर्याप्त उपादान प्रस्तुत किये हैं। कवि की कल्पनाओं के लिए, मूर्तिकार की छैनी के लिए और चित्रकार की तूलिका के लिए प्रकृति ने अपार समृद्धि प्रदान की है।² भारतीय कला की विशेषताएं उसमें अंकित सांस्कृतिक जीवन की सामग्री है। राजा और प्रजा दोनों के ही जीवन का खुलकर चित्रण किया गया है। कला तो साहित्यिक वर्णनों की व्यवस्था प्रस्तुत करती है, कोई चाहे तो कला सामग्री से भारतीय जीवन और रहन-सहन का इतिहास लिख सकता है। भारतीय वेश-भूषा, केश-विन्यास, आभूषण आदि सामग्री, चित्र शिल्प इत्यादि में मिलती है।³ यदु अपना विचार व्यक्त करते हैं कि "मानव जीवन में, कला का अपना विशेष महत्व है। किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष की संस्कृति वहां के जीवन कला से ज्ञात की जाती है। मानवीय कला पक्ष में ललित कलाओं

* सहायक प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

से हमारा संबंध संगीत, चित्रकला एवं साहित्य से, जिसमें समाज की तात्कालिक परिस्थितियों का ज्ञान बोध होता है।⁴

कला की दृष्टि से जनजातियों को निम्न कोटि का समझना भ्रामक होगा। यद्यपि वे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अवस्थाओं से नहीं गुजरे हैं, परन्तु तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि उनकी कला में विशिष्टता न रही हो, जनजातियों को अपने पर्यावरण तथा भौगोलिक वातावरण से अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई है जिससे उनकी कला भी प्रभावित हुई है। आकृतियों के निर्माण, रंगों की सजावट तथा अनेक जनजातियों में मानव शरीर को रंगों से सजाने-संवारने के उदाहरण आज भी देखने में मिलता है तथा भौगोलिक तत्वों ने कला का सीमांकन भी किया है।⁵

जनजातीय कला में वस्तुओं का उपयोग धार्मिक उत्सवों, निजी वस्तुओं की सजावट तथा मृत-पूर्वजों की याद में स्मारक। उरूसकाल इत्यादि बनाने हेतु किया जाता है। इस प्रकार जनजातीय कला का उद्देश्य धार्मिक तथा धर्म निरपेक्ष दोनों ही रहा है।⁶

जनजातीय कलाओं में देश, काल और परिस्थिति का बोध सदैव रहा है, इसलिए आदिम कलाएँ परम्परा से अपने आदिम रूप में हर समय अनुबंधित रही हैं। वे दिखावटी पसंद नहीं करते, और जिस रूप में रहता है, उसे यथार्थ रूप में चित्रांकन करते हैं।⁷ कलाकृतियाँ यह भी दर्शाती हैं कि समाज, प्रकृति, मानव और ईश्वर के प्रति क्या विचार रखता है। इस दृष्टि से देखने पर माड़िया कला में प्रेम तत्व की प्रमुखता मिलती है।

बस्तर की कलाकृतियाँ छोटे-बड़े बहुत बड़े आकारों में बनाई जाती हैं। इसमें इनका रहन-सहन, दशहरों का त्यौहार, नृत्य एवं मेले-मड़ई के दृश्य आदि

विस्तार से दर्शाये जाते हैं। अप्रशिक्षित, असभ्य और जंगली समझे जाने वाले आदिवासियों ने भाषा और अक्षर ज्ञान से अपरिचित होकर भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को शताब्दियों पूर्व से अपने अद्भूत हस्तशिल्प के माध्यम से न केवल जीवित रखा है, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसे सम्प्रेषित किया है। बस्तर का पुरातन इतिहास उनके हस्त-शिल्प में छिपा हुआ है।⁸

कला के विभिन्न आयाम हैं, कभी यह चित्रों में, तो कभी धातुओं में, तो कभी नृत्य-संगीत और गीत में अपना रूप दिखाती है। माड़िया कलाओं के संदर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उनके मध्य संगीत कला काफी लोकप्रिय हैं।⁹

काष्ठकला की परम्परा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। लकड़ी में विभिन्न रूपाकारों को उतारने की कोशिश मानव ने आदिम युग से शुरू कर दी थी। जब से मानव ने मकान में रहना सीखा, तब से काष्ठकला की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए काष्ठ से निर्मित मनुष्य के आस्था केन्द्र और उसके निवास स्थान स्थापत्य कला के चरम कहे जा सकते हैं। आदिम जाति में काष्ठों के विभिन्न रूपाकार उकेरने की प्रवृत्ति सहज रूप से देखी जाती है। माड़िया जनजाति के युवागृह, घोटुल के खम्भे, देवी-झूले, कलात्मक मृतक स्तंभ, तीर-धुनष, कुल्हाड़ी आदि पर सुंदर बेल-बूटों के साथ पशु-पक्षियों की आकृति प्रमुख प्रदेश है। गाड़ी के पहियों, देवी-देवताओं की मूर्तियों, घरों के दरवाजों आदि वस्तुओं में काष्ठकला का उत्कर्ष प्राचीन समय से ही देखी जा सकती है।¹⁰

बस्तर का काष्ठकला, चित्रकला के ही आधार पर अवलम्बित है। काष्ठकला के लिए चित्रकारी अति आवश्यक है। लकड़ी के फारे पर, सबसे पहले वांछित चित्र बनाया जाता है। चित्र जितना स्पष्ट और सजीव बनेगा, उतना ही अच्छा काष्ठकला से

निर्मित वस्तु बनेगी। उस चित्र को छोटे-छोटे अनेकों छैनियों के द्वारा काटा और तराशा जाता है। गहराई और उभार दिया जाता है। भारत में पत्थरों पर चित्र उत्कीर्ण करने की जो परम्परा रही है, उसके समानान्तर ही लकड़ी पर चित्र उत्कीर्ण करने की परम्परा भी रही है।¹¹

काष्ठ कला का प्रशिक्षण बस्तर अंचल के माड़िया लोगों को किसी ने नहीं दिया है। यहां के सीधे-सादे, भोले-भाले, स्पष्ट चेहरे वाले आदिवासी को देखकर यह कतई आभास नहीं होता है कि उसके हाथों में वहीं जादू है, जो निर्जीव लकड़ी को सजीव रूप प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। यह अद्वितीय महारत, उसे रक्त से ही प्राप्त हुआ है किसी ने उन्हें सिखाया नहीं मगर देखकर, अनुकरण कर अभ्यास कर अपने पूर्वजों से चली आ रही पुरातन परम्परा को धरोहर के रूप में अपने संतान को इस आशा-प्रत्याशा के साथ सौंपता है कि परम्परा टूटे नहीं, लड़ियां बिखरे नहीं।¹²

कंधी कला ग्रामीण आदिवासी समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इनमें कंधियों का इतना अधिक महत्व है कि कंधियां, अलंकरण, गोदना एवं भित्ति चित्रों में एक मोटिव के रूप में स्थापित हो चुकी है। इन कंधियों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। माड़िया जाति के लोग तम्बाकू रखने के लिए लकड़ी से उकेर कर सुन्दर गोटा बनाते हैं, लकड़ी के बीचों-बीच को धीरे-धीरे कुरेद कर उसमें अन्दर

तम्बाकू रखने की जगह बनायी जाती है।

काष्ठ स्तम्भ बस्तर के आदिम जातियों ने अपने जन-नायकों की "बायोग्राफी" को काष्ठ स्तम्भों और गिलाखण्डों में उकेरा है। महापाषाणी संस्कृति के उक्त धरोहर की ये लोग 'उर्स काल' कहते हैं।¹³ ये 'उर्सकाल' सहस्राब्दियों से बस्तर अंचल के सुप्रसिद्ध आदिवासी नायकों की स्मृति में आमतौर पर राजपथ के किनारे एक सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम खड़े किए जाते रहे हैं। 'उर्सकाल' सागौन या बीजा की लकड़ी है। इसमें मृत व्यक्ति की गौरव गाथा को उकेरा जाता है, ताकि उसको देखकर आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर अच्छा काम कर सकेंगे। ये मृतक स्तम्भ एक प्रकार के 'जय स्तम्भ' हैं जिनमें आदिवासी नायकों की जीवनी को प्रतीकों के माध्यम से उकेरा गया है। ये पुरातत्व की अमूल्य धरोहर हैं, जिन पर भारतीय इतिहासकारों का ध्यान अभी तक नहीं गया है।¹⁴

आदिवासी बाहुल्य बस्तर, हस्तशिल्प का पर्यायवाची बन गया है। यहां पर काष्ठकला का प्रचलन आदिकाल से रहा है। जब मानव ने पत्थर के बाद लकड़ी को सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए अपनाया। हथियार के रूप में यही लकड़ी धीरे-धीरे जीवन-यापन का प्रमुख अंग बनती गई जिस पर उसने सुन्दर बेल-बूरे, फूल-पत्तियां आदि कलाकृतियां उकेरी और हथियार में लगा रहने वाला यह लकड़ी का बेंद उनकी कलात्मक अभिरुचि की निशानी बन गई।¹⁵ समय-समय पर

देश-विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों में, यहां के अनगढ़ किन्तु कलात्मक हस्तशिल्प को सभी ने सराहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल स्थिति 'भारत भवन' राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित "पुरखौनी मुक्तांगन" को सजाने-संवारने में भी बस्तर के हस्तशिल्पियों का विशेष और महत्वपूर्ण योगदान है।¹⁶

। nHkz %

1. दुबे, के. सी., बस्तर के आदिवासी, लेख- म.प्र. संदेश 1983, पृष्ठ 03.
2. उपाध्याय, रामजी, भारतीय संस्कृति का उत्थान पृष्ठ 09.
3. अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृष्ठ 01.

4. यदु, मनोहर लाल, छत्तीसगढ़ जीवन दर्पण से झांकती लोक कला नव भास्कर दीपावली विशेषांक 1991, पृष्ठ 137.
5. उप्रेली, हरिशचन्द्र, भारतीय जनजातियां, पृष्ठ 140.
6. मजूमदार, डी.एन.रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया पृष्ठ 180.
7. निरगुने बसन्त, लोक संस्कृति, पृष्ठ 144.
8. दोसी, किरीट, बस्तर का हस्तशिल्प, म.प्र. संदेश 25 अप्रैल 1983 पृष्ठ 26.
9. दुबे, श्यामाचरण, मानव संस्कृति पृष्ठ 154.
10. दुबे, श्यामाचरण, मानव संस्कृति पृष्ठ 154.
11. कलेक्टर, श्री प्रवीर कृष्ण द्वारा प्रकाशित पत्रिका पृष्ठ 12.
12. बेहार, आर.के. बस्तर की काष्ठकला, आकाशवाणी जगदलपुर से जनवरी, 1990 को प्रसारित वाणी.
13. शुक्ल, हीरालाल, छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास पृष्ठ 24.
14. शुक्ल, हीरालाल, छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास पृष्ठ 25.
15. शुक्ल, हीरालाल, छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास पृष्ठ 44.

16. शिल्पी – कलेक्टर, श्री प्रवीर कृष्ण द्वारा प्रकाशित पत्रिका पृष्ठ 11.



छत्तीसगढ़ का प्रथम संगठित बी.एन.सी. मिल मजदूर आंदोलन : एक ऐतिहासिक अनुशीलन

* एवलाल मेश्राम

राजनांदगांव सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पहला तथा प्राचीन औद्योगिक नगर कहलाने का गौरव रखता है। यहां की मजदूर आन्दोलन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से बी.एन.सी. मिल से है। इस मिल के निर्माण का कार्य इंग्लैण्ड के मैकबेथ ब्रदर्स ने किया था यह मिल राजनांदगांव स्टेशन के समीप 5 एकड़ रकबे में बनी है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह गरीब मजदूरों के सच्चे हितैषी रहे। सन् 1918 से 1940 ई तक बी.एन.सी. मिल मजदूरों का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में श्रमिक आन्दोलन का सूत्रपात किया। इस दौरान उन्होंने, पोलिटिकल एजेण्ट से मिलकर राजनांदगांव में वकालत करने की अनुमति प्राप्त कर ली क्योंकि रायपुर से राजनांदगांव के मजदूरों से निरंतर संपर्क रखना कठिन प्रतीत हो रहा था। ठाकुर साहब के नेतृत्व में बी.एन.सी. मिल के मजदूरों ने 37 दिनों की लम्बी हड़ताल थी। इसके लिए उन्हें जिलाबदर भी किया गया।

राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास का शासनकाल राजनांदगांव रियासत का स्वर्णयुग कहलाता है। इसके शासनकाल में राजनांदगांव की चतुर्दिक उन्नति हुई थी, इन्होंने राजनांदगांव में बी. एन.सी. मिल की स्थापना की थी। राजनांदगांव सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पहला तथा प्राचीन औद्योगिक नगर कहलाने का गौरव रखता है। यहां की मजदूर आन्दोलन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से बी.एन.सी. मिल से है। इस मिल के निर्माण का कार्य इंग्लैण्ड के मैकबेथ ब्रदर्स ने किया था यह मिल राजनांदगांव स्टेशन के समीप

5 एकड़ रकबे में बनी है। यह जमीन 11 वर्ष के लिए ठेके पर दी गई थी, जिसका वार्षिक किराया 191 रूपये था। मिल का निर्माण 8 वर्षों में पूर्ण किया गया। मिल द्वारा उत्पादन का कार्य नवम्बर 1894 ई. में प्रारम्भ किया गया। मिल की प्रारंभिक पूंजी 5 लाख थी। राजनांदगांव रियासत के तत्कालिक शासक बलराम दास मिल के संचालन बोर्ड के अध्यक्ष थे।²

मिल में काम करने के लिए बरार तथा नागपुर के आसपास से कुशल कारीगर बुलाए गये जो कालांतर

* पूर्व संविदा सहा. प्रा., इतिहास अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर (छ.ग.)

में ये परिवार यहां बस गये।³ 1894 से 1896 ई. तक यह मिल सुचारु रूप से चली परंतु मिल के डायरेक्टरों के अनुभवहीनता एवं षडयंत्र के कारण व घाटे की स्थिति में आ गये जिसके कारण इसे कलकत्ता के अंग्रेजी कम्पनी मेसर्स शॉ वालिस के हाथों में 1897 ई. में बेचना पड़ा नये खरीददार ने अब सी.पी. मिल्स का नाम बदलकर बी.एन.सी. मिल रखा। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र उद्योग था जो नागपुर और कलकत्ता के मध्य स्थित था।⁴

रियासत के शासक बलराम दास के 1897 ई. में मृत्यु हो जाने से मिल मालिक हिसाब किताब में गोलमाल करना शुरू कर दिया और घाटा बताकर रायल्टी की रकम दबा दी। यह क्रम राजनांदगांव के अन्य शासकों के साथ भी निरंतर चलता रहा। बेईमानी, शोषण और अत्याचार क्रम मजदूरों के साथ भी चलता रहा। 25 वर्षों के अंतराल में जब यह समस्या सीमा पार कर गई तब मजदूरों में असंतोष भर गया।⁵ मिल के मजदूरों का शोषण सीमा पर था और उन्हें 12-13 घंटे मजदूरी करनी पड़ती थी साथ ही अमानवीय दशा में भी काम करना पड़ता था।⁶ राजनैतिक तौर पर मजदूरों में 1919 ई. में पहली चेतना जागृत हुई, जब रोलेट एक्ट के विरोध में शहर तथा मिल बंद रही, इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाने पर बी.एन.सी. मिल के मजदूरों ने काम बंद रखा।⁷

इस समय मिल मजदूरों का कोई संगठन नहीं था। 1917 ई. में ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसी मुकदमें के सिलसिले में राजनांदगांव आए। कचहरी से लौटते वक्त शाम को उन्हें मिल से वापस लौटते हुए मजदूर मिले बातचीत के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि मजदूरों से पशुओं की तरह 12 घंटे काम लिया जाता है, बीच में केवल 1 घंटा स्नान और भोजन के लिए छुट्टी मिलती है। ठाकुर साहब के हृदय में मजदूरों के प्रति बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और उसी शाम उन्होंने गरीब मजदूरों की सेवा पवित्र संकल्प

लिया।⁸ फलस्वरूप ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पोलिटिकल एजेंट से मिलकर राजनांदगांव में वकालत करने की अनुमति प्राप्त कर ली क्योंकि रायपुर से राजनांदगांव के मजदूरों में निरंतर सम्पर्क रखना कठिन प्रतीत हो रहा था।⁹

ठाकुर प्यारेलाल सिंह के अथक प्रयास से 2 वर्षों के अंतराल में एक संगठन तैयार किया। यह सब कार्य गोपनीय रूप से किया गया वे संगठन के अध्यक्ष बने तथा राजूलाल शर्मा मंत्री बने। अधिकारियों को मजदूर संगठन के बारे में उस समय पता चला जब 1920 ई. में ठाकुर साहब के नेतृत्व में हड़ताल प्रारम्भ की।¹⁰ छत्तीसगढ़ के श्रमिक आन्दोलन का बीजारोपण राजनांदगांव के बी.एन.सी. मिल मजदूरों ने किया।¹¹ 21 फरवरी सन् 1920 ई. में दो हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़तालियों को सम्बोधित करने के लिए नागपुर से नारायण वैध, देव महाराय तथा राजिम पं. सुंदरलाल शर्मा भी राजनांदगांव आए थे। दूसरे दिन राजनांदगांव रियासत में विशाल जूलूस निकाला गया, जूलूस के समय मजदूरों ने अपनी मांगों की समर्थन में नारा लगाया, "हमारा शोषण बंद करो", "काम के घंटे कम करो", "हमारा वेतन पूरा दो", "हमें नियमित करो", "हमें रहने के लिए मकान दो" आदि।¹²

इस प्रकार के जूलूस के सुप्रीटेण्डेन्ट ने अनुचित घोषित किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना आदेश सुना दिया था कि बिना आज्ञा के सार्वजनिक सभा न होने दी जाएगी। राजनांदगांव के ईर्द गिर्द 22 मील तक कोई सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने घरों पर 50-60 व्यक्ति मिलकर सभा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप राजूलाल शर्मा के मकान के पीछे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने व्याख्यान दिया।¹³ यह हड़ताल 37 दिनों तक चली। भारतवर्ष में मजदूरों की यह पहली इतनी हड़ताल थी। इस हड़ताल ने समूचे देश

का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। 38 वें दिन मिल अधिकारियों ने मजदूरों की सभी मांग स्वीकार कर ली। लंबे संघर्ष के पश्चात मजदूरों की मांगें तो पूरी हो गईं किन्तु संघर्ष मूल्य चुकाना शेष था, अतः ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजूलाल शर्मा एवं शिवलाल को 13 तारीख के प्रातःकाल 7 बजे तक राजनांदगांव की सीमा से निकल जाने का हुक्म दिया था। इस आदेश पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने मध्यप्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर फ्रैंक स्लाई को पत्र लिखा, जिससे उनका निष्कासन रद्द हुआ तथा पोलिटिकल एजेंट एफ.एल.काफर्ड को ठाकुर साहब से माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद ठाकुर साहब के प्रति जनता और मजदूरों का विश्वास और प्रबल हो गया। मजदूरों ने पुनः काम प्रारंभ किया।¹⁴

f}ri; etnj vllnksyu %

1920 ई. की बी.एन.सी. मिल मजदूरों की हड़ताल सफल समाप्त हुई थी, किन्तु मजदूरों की समस्याओं और मिल प्रशासन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आयी थी।¹⁵ मजदूरों पर काम का भार बढ़ाया जा रहा था, मिल मैनेजर की तानाशाह बढ़ती जा रही थी। मजदूरों के हिसाब किताब में गड़बड़ियां की जा रही थी और निर्दोश मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इस कार्यवाही से मजदूर आतंकित थे और अधिकारियों के मनोबल बढ़े हुए थे।¹⁶

प्रथम मजदूर आन्दोलन की तुलना में व्यापक तैयारी जनवरी 1924 ई. में राजनांदगांव के मिल मजदूरों ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में पुनः हड़ताल प्रारम्भ कर दी। न तो मजदूर हड़ताल को वापस लेने के पक्ष में थे और न ही मिल के अधिकारी झुकने के पक्ष में थे।¹⁷ हड़ताल तोड़ने के लिए तथा जूलूस को खदेड़ने के लिए मजदूरों की छंटनी भी की, मजदूरों को यातना दी गई, पुलिस ने 13 मजदूरों को गिरतार किया तथा 144 धारा पूरे रियासत

में लागू कर दिया गया।¹⁸ पोलिटिकल एजेंट एम. डब्ल्यू.ई.ले ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को रायपुर बुलवाया। ठाकुर साहब से हड़ताल वापस लेने को कहा, जवाब में ठाकुर साहब ने कहा मजदूरों की शिकायतें दूर कर दी जाए तो हड़ताल वापस ले ली जाएगी।¹⁹ पोलिटिकल एजेंट ने उन्हें सख्ती से निपटने की धमकी दी। पोलिटिकल एजेंट भी राजनांदगांव आ गए थे। पुलिस को आदेश दिया कि मजदूरों को उनके घरों से पकड़ कर लाया जाए और मिल पुरु किया जाए। पुलिस दल मजदूरों के मुहल्ले में पहुंचा वहां उन्हें कोई मजदूर नहीं मिला। व्यापारियों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि मजदूरों को कोई सामान उधार न दें। कोई भी मजदूर दुकान पर सामान लेने आए तो उसे गिरतार करवा दें। व्यापारियों ने अपनी असमर्थता प्रकट की।²⁰

हड़ताल तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साम दाम दण्ड भेद सभी नीति का खुलकर प्रयोग किया जा रहा था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह मजदूरों को धीरज बंधाने के प्रयास कर रहे थे। घूम-घूमकर उनका मनोबल बढ़ा रहे थे।²¹ हड़ताल के दौरान एक दुर्घटना घट गयी। कुछ हड़ताली मजदूरों ने एक जातीय भोज का आयोजन किया था, जहां भोजन बन रहा था वहां एक मुसलमान कांस्टेबल जूता पहने घुस गया और उसके जूते के ठोकर से बर्तन गिर गया, जिससे मजदूरों में उत्तेजना फैल गई, वे नाराज वापस लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में गंगाधर राव नामक एक क्लर्क मिला जो मजदूरों के बीच बदनाम था। एक मजदूर ने गंगाधर राव को एक थप्पड़ मार दिया, अतः उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी।²² ब्रिटिश हुकूमत का दमनचक्र तेजी से चलने लगा। पुलिस वालो ने मजदूरों को गिरफ्तार करने लगे। जिससे मजदूरों का रोष और भड़क उठा। राजनांदगांव में धारा 144 लगा दी गई। गिरफ्तार मजदूरों को अदालत में पेश किया गया। 4 हजार मजदूरों ने अदालत को चारों ओर से घेर लिया फलस्वरूप अदालत

की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।²³ दूसरे दिन अदालत को घेरे मजदूरों को ठाकुर साहब ने सम्बोधित करते हुए उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा। मजदूरों की भीड़ छटने के पश्चात् अदालत से 13 गिरफ्तार बंदियों को जेल ले जाया जा रहा था। उस समय बंदी व्यक्तियों के मित्रों एवं रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला बोलकर बंदियों को छोड़ा लिया।²⁴ 4 दिनों के बाद पोलिटिकल एजेंट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक टुकड़ी लेकर राजनांदगांव पहुंचा। उन 13 मजदूरों को ढूंढ-ढूंढकर कर गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति पुलिस शिकंजे से बच निकला, उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने काफी भागदौड़ की परंतु वह हाथ न लगा, अंत में जब वह व्यक्ति नहीं मिला तो पुलिस ठाकुर साहब के मकान में डेरा डाल दिया और कुछ घंटे बाद पुलिस वापस चली गई परंतु मजदूरों ने इसे अपना अपमान समझा और वे उत्तेजित हो गये।²⁵

इस हड़ताल से दीवान आग बबूला हो गए, उन्होने हड़ताल को समाप्त कराने के लिए तरह-तरह के उपाय किए। मजदूरों की छटनी कर दी उन्हें यातना दी गई, जिसके विरोध में मजदूरों ने गिरफ्तारियां दी।²⁶ दीवान के आदेशानुसार मजदूरों को ढूंढ ढूंढकर लाठियों से मारना प्रारंभ किया। जरहू नामक एक गोंड को पुलिस ने बन्दूक के कुंदे से मारा। जरहू गोंड ने बन्दूक को सिपाही से छीन लिया, जिससे अंग्रेज अधिकारी आपे से बाहर हो गए और बन्दूक से जरहू गोंड पर गोली दागी। जिससे वह घटना स्थल पर ही शहीद हो गया और अन्य घायल मजदूर गोली लगने से घायल हो गए।²⁷ घटना की सूचना मिलते ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए और भीड़ को समझाकर शांत किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था किया। इस घटना के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्यारेलाल ठाकुर सिंह को जिम्मेदार ठहराया और उसे पुनः रियासत की सीमा से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित किये जाने के बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह सन् 1925 ई. में रायपुर

चले गये। मजदूरों की सभा, भाषण एवं लेख पर रोक लगा दिया गया।²⁸

ररri; etnij vllnksyu%

निष्कासन के पश्चात् जीवन के अंत तक रायपुर ठाकुर प्यारेलाल सिंह की गतिविधियों का केन्द्र बना रहा। सन् 1936 ई. में वे कांग्रेस की टिकट में विधानसभा के सदस्य चुने गये। कुछ समय बाद वे प्रांतीय कांग्रेस के मंत्री बनाए गये। इन पदों पर रहने के बाद भी उनका ध्यान राजनांदगांव की मजदूरों की ओर बना रहा।

इसी बीच बी.एन.सी मिल मालिकों ने मजदूरों के वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी। फलस्वरूप मजदूरों को गहन असंतोष हुआ और वे हड़ताल की तैयारी करने लगे।²⁹ ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने एक अपील कर मजदूरों की कटौती का विरोध करने आह्वान किया। परिणामस्वरूप उन्हें नोटिस मिला। ठाकुर साहब ने इसका करारा जवाब भी दिया। मैं राजनांदगांव की सीमा के भीतर रहूँ या न रहूँ हड़ताल होकर रहेगी, तुम रोक नहीं सकते। मिल मालिकों ने मजदूरों के संगठन को तोड़ने का प्रयास किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह रेलवे प्लेटफार्म पर रहते और वहीं से मजदूरों को आदेश देते इस प्रकार ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने हड़ताली मजदूरों के बीच रहकर उनका नेतृत्व भी किया और स्टेट के भीतर कदम भी नहीं रखा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हड़ताल सफलतापूर्वक चलती रही।

मिल अधिकारियों ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। ठाकुर साहब ने साफ कह दिया हम तुमसे समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि जब पहले ठाकुर साहब ने मिल अधिकारियों के समझौता की शर्त रखी तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था। अंत रायपुर कमिश्नर द्वारा समझौते का प्रयास हुआ। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने मध्यस्थता के लिए श्री कलप्पा और रूईकर साहब का नाम सुझाया।³⁰

हड़ताल के ठीक तरह के संचालन के लिए नागपुर से प्रसिद्ध मजदूर नेता कामरेड रिकर को बुलाया गया। मजदूरों की मांगों को लेकर रूईकर और मैनेजमेंट में समझौता हो गया। मजदूरों की हड़ताल 17 फरवरी 1937 में समाप्त हो गई।

राजनांदगांव की इस आन्दोलन की चर्चा सारे देश में हो रही थी। गांधीजी स्वयं इसमें रूचि ले रहे थे। उन्होंने ठाकुर साहब को राजनांदगांव के आन्दोलन का विवरण लिख भेजने के लिए कहा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सारा हाल उन्हें लिख भेजा। पोलिटिकल एजेंट और राजा साहब से कहकर उस आन्दोलन संबंधित जो भी पत्र व्यवहार हुए थे, सब गांधी को भेजे गए। हिन्दुस्तान में यह पहली घटना थी, जब एक अंग्रेज पोलिटिकल एजेंट के कागजात

हितैशी रहे। सन् 1918 से 1940 ई तक बी.एन.सी. मिल मजदूरों का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में श्रमिक आन्दोलन का सूत्रपात किया। श्रमिक संगठनकर्ता के रूप में उनका स्मरण सदैव श्रद्धा एवं आदर से लिया जाता रहेगा। उनका जीवन निस्वार्थ जनसेवा के लिए समर्पित रहा।

। nHkz %

1. कन्नौजे प्रज्ञा, हमारा छत्तीसगढ़, सहायता महिला मंडल, पृष्ठ क्र. 223
2. वर्मा भगवान सिंह— छत्तीसगढ़ का इतिहास राजनीतिक एवं सांस्कृतिक (प्रारम्भ से 1947 ई. तक), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी पृष्ठ क्र 171
3. शैलेन्द्र सिंह – रिसर्च फ्रंट्स 2010–11 दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, पृष्ठ क्र. 55
4. वर्मा भगवान सिंह – वही, पृष्ठ क्र. 171
5. वर्मा राजेन्द्र, दुर्ग जिला गजेटियर, पृष्ठ क्र. 51
6. राजनांदगांव रियासत के उद्योग की समस्या, राजगामी सम्पदा से प्राप्त (सरस्वती लाइब्रेरी राजनांदगांव गौरव से प्राप्त), पृष्ठ क्र. 5
7. हरि ठाकुर – त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पृष्ठ क्र. 10
8. शैलेन्द्र सिंह – वही, पृष्ठ क्र. 55
9. कर्मवीर शनि चैत्र कृष्ण 30 से 76 ता. 20 मार्च सन् 1920 ई., पृष्ठ क्र. 5
10. पी.शिवराज, मध्यप्रदेश संदेश – स्वीधनता रजत जयंती विशेषांक सन् 1973, पृष्ठ क्र. 52
11. कर्मवीर शनि चैत्र कृष्ण – वही, पृष्ठ क्र. 3
12. हरि ठाकुर, वही, पृष्ठ क्र. 13
13. साहसी भरत लाल, राजनांदगांव में राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं मजदूर आन्दोलन, शोध प्रबंध, पृष्ठ क्र.

महात्मा जी के पास उनकी राय के अनुसार चलने के लिए भेजा गया। सन् 1938 ई. में पुनः मजदूरों ने हड़ताल की। तब आन्दोलन की स्थिति रूईकर साहब सम्भाल नहीं सके। तब मजदूरों की सहायता के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह को आना पड़ा। 32

रूईकर के नेतृत्व में हुए समझौते के अनुरूप 600 मजदूर बेकार हो गए थे। जिसके कारण मजदूरों को 4 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। इससे मजदूरों का धैर्य टूट गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नया समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे समझौता बोर्ड ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया। निकाले गये मजदूरों को वापस नौकरी में ले लिया गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का निष्कासन आदेश भी वापस ले लिया गया। 33

ठाकुर प्यारेलाल सिंह गरीब मजदूरों के सच्चे

14. शैलेन्द्र सिंह – वही, पृष्ठ क्र. 56
15. बल्देव प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित "बल्देव बाग" जनतंत्र जनवरी 1955, पृष्ठ क्र. 7
16. शरद कोठारी – सबेरा संकेत साप्ताहिक पत्रिका राजनांदगांव 26 जनवरी 1973 ई. (सरस्वती लाइब्रेरी से प्राप्त) पृष्ठ क्र. 5.
17. पी.शिवराज मध्यप्रदेश संदेश स्वाधीनता रजत जयंती विशेषांक सन् 1973 ई.
18. राजेन्द्र कुमार सायल – राजनांदगांव के श्वेत आंतक मजदूर संघ को कुचलने के लिए राजतंत्र द्वारा संगठित हिंसा पर, अधूरी रिपोर्ट 2 अक्टूबर 1984 रायपुर मध्यप्रदेश ।
19. अर्चना कन्नौजे – छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राजनांदगांव रियासत का प्रशासनिक इतिहास वर्ष 1993 ई. पृष्ठ क्र. 215
20. विद्याभूषण ठाकुर, राजनांदगांव जिला, एक परिचय पृष्ठ क्र. 14
21. पी वान्स एवेन्यू – ए रिपोर्ट ऑफ द सुबह ऑफ छत्तीसगढ़
22. साहसी भरतलाल, वही, पृष्ठ क्र.
23. गोविंद लाल बोहरा – अमृत संदेश विशेषांक सन् 1984 (मजदूरों की समस्या)
24. साहसी भरतलाल – वही, पृष्ठ क्र.
25. जेम्सन रिपोर्ट – 1938 ई. (मजदूरों के संदर्भ में)
26. दुर्ग डिट्रिक्ट मिसलेनियस सेमी ऑफिसियल करेपॉन्डेन्स फाईल 1939
27. धन्नुलाल श्रीवास्तव – अष्टराज अभ्योज, पृष्ठ क्र. 69
28. जेम्सन रिपोर्ट – 1938 ई. (मजदूरों के संदर्भ में)
29. वर्मा भगवान सिंह – वही पृष्ठ क्र. 173
30. शैलेन्द्र सिंह – वही पृष्ठ क्र. 57

31. वर्मा भगवान सिंह – वही पृष्ठ क्र. 173
32. शैलेन्द्र सिंह – वही पृष्ठ क्र. 57
33. वर्मा भगवान सिंह – वही पृष्ठ क्र. 173



स्कूल शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका

1885&1975½

* प्रीति रश्मि लकड़ा

बिहार के जनजातीय क्षेत्र में और विशेष कर राँची जिले में शिक्षा के विकास का श्रेय मिशनरियों को जाता है। राँची जिले में शैक्षणिक आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने का सवाल ब्रिटिश सरकार को आकर्षित किया क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि जनजातीय लोग जमींदारों, साहूकारों और गैर-जनजातियों के द्वारा प्रताड़ित किये जाते थे और वे इस आशा में थे कि कोई उन्हें उनके मुसीबतों से बाहर निकाले "राँची जिले में ईसाई मिशनरियों के आगमन के पहले आदिवासियों का शोषण और प्रताड़ना चरम सीमा पर था।" मिशनरियों ने राँची जिले में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना और संचालन में अभूतपूर्व योगदान दिया।

राँची जिले का क्षेत्रफल 7698 वर्ग कि.मी. है। यहाँ 3 अनुमंडल (राँची सदर, खूँटी और बुड़ू) तथा 20 प्रखंड हैं। बुड़ू अनुमंडल की स्थापना सोनाहातू अड़की, तमाड़ और बुड़ू प्रखंडों को मिलाकर की गई है। काँके, नामकुम, बेड़ो, मांडर, लापुंग, चान्हों, रातु, सिल्ली, ओरमांझी, अनगड़ा, बुडमू, मुरहू, रनिया, तोरपा, कर्रा, बुन्दू, तमाड़, सोनाहातु, अड़की, खूँटी इस जिले के प्रखंड हैं। इस जिले में कुल 2057 गाँव (2038 बसे हुए एवं 19 उजड़े हुए) हैं।

राँची जिला सन् 1899 में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया जब लोहरदगा को अनुमंडल बनाकर राँची को जिला बनाया गया। 1833 में दक्षिणी-पश्चिमी सीमांत एजेंसी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश प्रशासकों ने छोटानागपुर में तीन जिले बनाए – हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा। लोहरदगा का मुख्यालय उस समय शेरघाटी में रखा गया था जिसे 1843 में लोहरदगा लाया गया और 1852 में आवास राँची लाया गया, किन्तु जिला के रूप में विधिवत् घोषणा 1899 में

* शोध छात्रा, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ0ग0)

की गई। बाद में 1983 में राँची जिला को अलग कर गुमला और लोहरदगा जिलों का निर्माण हुआ।¹

राँची जिला 20°21" और 23°43" उत्तरी अक्षांश तथा 48°0" और 85°54" पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। राँची से होकर कर्क रेखा जाती है। सन् 1833 ईसवी में यह एक स्वायत्त जिले के रूप में गठित हुआ और लोहरदगा जिला कहलाया। महाराज्यपाल के प्रतिनिधि के प्रधान सहायक के मुख्यालय यहीं स्थित थे। आरंभ में क्षेत्र का प्रशासन लोहरदगा से होता था। किन्तु 1843 में प्रशासन को किशुनपुर लाया गया। यही गाँव आगे चलकर राँची शहर में विकसित हुआ।²

f k{kk dk fodkl %

प्रारंभ में राँची, चाईबासा एवं अन्य प्रमुख शहरों में मिशनरियों का काम तेज हुआ। आगे चलकर ये मिशनरियाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने कार्यों का विस्तार करने लगी। इनके समक्ष पर्वतीय एवं घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्रों की अविकसित जनजातियों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की समस्या थी।³

छोटानागपुर के राँची जिले में ईसाई मिशनरियों को भेजने का श्रेय गोस्सनर मिशन के संस्थापक पादरी योहनेश और एंजेलिस्ता गोस्सनर को जाता है। 15 अक्टूबर 1845 को बाँकुड़ा से चार मिशनरियाँ पास्टर ए.ब्रान्ट, ई.शाट्स, एफ. बाट्स और एच. याके ने राँची के लिए प्रस्थान किया।⁴ राँची पहुँचकर इन्होंने छोटे लाट साहब की कोठी में शिविर डाला। लगभग एक सप्ताह के बाद इन्होंने लूथरन मिशन के प्रधान पादरी के निवास स्थल में अपना शिविर डाला। वहीं से अपने भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की।⁵

ईसाई मिशनरियों के आगमन से स्थानीय जनजातियों और अन्य सामाजिक समुदायों को शिक्षा मिलने लगी। इस क्षेत्र में अनेक मिशन स्कूलों की स्थापना हुई। इससे लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक यहाँ तक कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिली। शिक्षा के क्षेत्र में इस दीर्घ प्रयास के फलस्वरूप 1981 में राँची जिले की साक्षरता 31.32 थी।⁶

वर्तमान सदी के प्रथम दशक में 4 इंगलिश हाईस्कूल थे – (1) राँची जिला स्कूल (2) गोस्सनर (3) सेंट पाल (4) सेंट जॉन्स, जिसमें 1,500 लड़के पंजीकृत थे, राँची जिला स्कूल सरकारी संस्था थी जबकि अन्य स्कूल सरकार से वार्षिक अनुदान पाते थे और नए स्कूल भवन तथा बोर्डिंग बनाने के लिए विशेष अनुदान भी मिलता था।⁷

बिहार के जनजातीय क्षेत्र में और विशेष कर राँची जिले में शिक्षा के विकास का श्रेय मिशनरियों को जाता है। राँची जिले में शैक्षणिक आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने का सवाल ब्रिटिश सरकार को आकर्षित किया क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि जनजातीय लोग जमींदारों, साहूकारों और गैर-जनजातियों के द्वारा प्रताड़ित किये जाते थे और वे इस आशा में थे कि कोई उन्हें उनके मुसीबतों से बाहर निकाले "राँची जिले में ईसाई मिशनरियों के आगमन के पहले आदिवासियों का शोषण और प्रताड़ना चरम सीमा पर था।"⁸

fo | ky; %

¼½ | ar ihVj Ldny %

राँची का संत पीटर स्कूल मिशन का पहला स्कूल था जो 5 लड़कों के साथ 1887 ई. में प्रारंभ हुआ।⁹ ये लड़के हजारीबाग से लोरेटो सिस्टर्स के द्वारा भेजे गये थे। इनके अतिरिक्त कुछ स्थानीय लड़के भी थे, फा.लीवन्स शिक्षक अन्तोनो को तोरपा से राँची भेजे। क्लास कच्ची घर के बरामदे में होता था संत जोन्स वर्कमन्स के आदर में सन् 1888 को संत पीटर स्कूल का नाम बदल कर संत जॉन स्कूल रखा गया।¹⁰ स्कूल प्रारंभ होने के एक साल पश्चात् ही विद्यार्थियों की संख्या 80 हो गई। इस स्कूल की ख्याति अपनी सर्वांगीण हितकर की वजह से राँची का श्रेष्ठतम स्कूल की उपलब्धि प्राप्त की।¹¹ आज यह स्कूल सम्पूर्ण झारखंड और बिहार का सर्वश्रेष्ठ स्कूल होने का गौरव रखता है, और इसमें

अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। सन् 1905 में इसे हाई स्कूल की स्वीकृति मिली और यह क्रमोन्नत हुआ। सन् 1908 में यह कोलकाता (कलकत्ता) यूनिवर्सिटी से संबद्ध हुआ। इस स्कूल का वर्तमान भवन 1914 ई. में निर्मित है।¹²

1/2½ xklI uj Ldwy %

सन् 1896 में राँची में गोस्सनर हाईस्कूल की स्थापना हुई। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यह एक आदर्श स्कूल माना जाता था। ईसाईयों के अलावा हिन्दू एवं मुस्लिम लोगों को भी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। 1905 में लड़कों की कुल संख्या 91 थी। 1914 तक यह संख्या बढ़कर 250 हो गई। सन् 1916 में 150 आवासीय बच्चों के लिए एक छात्रावास बनाया गया। छात्रावासी सालाना 3 रु.फीस जमा करते थे। सन् 1896 के अंत तक 80 अपर प्रायमरी और 86 ग्रामीण विद्यालयों में कुल

2,315 विद्यार्थी थे। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में 1914 में 295 विद्यालय तथा कुल 8,023 विद्यार्थी थे।

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् सन् 1920 में आर्थिक मंदी का दौर था। चर्च को 208 प्रायमरी विद्यालय तथा 6247 विद्यार्थियों को संचालित करना मुश्किल हो गया। इसलिए चर्च ने जिला बोर्ड के साथ कुछ विद्यालयों को जिम्मा देने हेतु समझौता किया। सन् 1932 तक 93 प्राथमिक विद्यालय जिला बोर्ड को सौंप दिया गया।

सन् 1942 में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 2 हाईस्कूल, 9 मिडिल इंग्लिश स्कूल और 109 प्रायमरी स्कूल थे जिनमें 2257 लड़के और 423 लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं।¹³

निम्न तालिका गोस्सनर इंवजेलिकल लूथरन चर्च (जी.ई.एल.) के द्वारा संचालित शिक्षा के विस्तार को दर्शाता है –

th-bz, y- ppz }kjk l pkyr 'kfk.kd l lFkk, j&

o'kz	i k; fo ky; ka dh l a	b'xy'k feffMy Ldwyka dh l d; k	gkbz Ldwyka dh l d; k	kydka dh l a , oa fjekdZ WVi . khz	ckfydkvka dh l d; k , oa fjekdZ WVi . khz
1	2	3	4	5	6
1871-73	16	0	0	300 बालक एवं बालिकाएं	—
1874	63	0	0	1068	35
1895	94	4	1	1925	395
1912	187	4	1	2767	2462
1914	295	4	1	6451	1772
1915	260	6	1	संख्या उपलब्ध नहीं	
1917	295	6	1	संख्या उपलब्ध नहीं	
1921	208	6	1	4764	1483
1926	193	6	1	संख्या उपलब्ध नहीं	
1932	97	6	1	संख्या उपलब्ध नहीं, 93 प्रायमरी स्कूल जिला बोर्ड को सौंपा गया	
1936	97	6	1	7865, बालक और बालिकाएं अलग-अलग, संख्या उपलब्ध नहीं	
1938-39	160	6	1	(यह संख्या प्रायमरी और मिडिल स्कूल मिलाकर है 160 प्रायमरी विद्यालयों में से 85 जिला बोर्ड राँची के द्वारा संचालित थे)	
1940	160	7	1	वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं	
1942	160	9	2	वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं	
1944	109	9	3	2257 423 (2 प्रस्तावित) आंकड़ा उपलब्ध नहीं	
1954	156	11	12	(4 मान्यता प्राप्त और 8 प्रस्तावित)	
1964	172	11	12	6920 3861 (6 मान्यता प्राप्त और 6 प्रस्तावित)	

1971 में गोस्सनर ट्यूटोरियल कॉलेज प्रारंभ किया गया था।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सन् 1871-73 में गोस्सनर इवंगेलिकल लूथरन चर्च के द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रायमरी विद्यालयों की संख्या 16 थी, जिसमें लड़के एवं लड़कियों की दर्ज संख्या 300 थी, मिडिल अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं हाईस्कूलों की संख्या 0 थी, सन् 1874 ई. में प्रायमरी विद्यालयों की संख्या बढ़कर 63 हो गई तथा लड़कों की संख्या बढ़कर 1068 हो गई, तथा लड़कियों की संख्या 35 थी, इसमें अंग्रेजी माध्यम के मिडिल एवं हाई स्कूलों की संख्या 0 थी, सन् 1871-73 के अनुपात में सन् 1874 में विद्यार्थियों एवं विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 1895 में प्रायमरी विद्यालयों की संख्या बढ़कर 94 हो गई और 4 मिडिल अंग्रेजी स्कूल और 1 हाई स्कूल प्रारंभ हुआ जिसमें लड़कों की दर्ज संख्या 1925 और लड़कियों की दर्ज संख्या 395 थी, जिससे ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र के बच्चे प्रायमरी से मिडिल स्कूल में प्रवेश लेने लगे, मिडिल में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक होकर आगे हाई स्कूल में प्रवेश लेने लगे, इस प्रकार शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया, सन् 1912 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 187 हो गई, मिडिल इंग्लिश स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 4 एवं हाई स्कूल की संख्या 1 थी, जिसमें 2767 लड़के एवं 2462 लड़कियाँ पढ़ती थी।

सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रायमरी स्कूलों की संख्या 295 हो गई, मिडिल इंग्लिश स्कूलों की संख्या 4 एवं हाई स्कूलों की संख्या 1 थी, जिसमें लड़कों की संख्या बढ़कर 6451 हो गई एवं लड़कियों की संख्या 1772 थी, सन् 1915 एवं 1917 में प्रायमरी स्कूलों की संख्या क्रमशः 260 एवं 295 थी तथा मिडिल अंग्रेजी स्कूलों की संख्या क्रमशः 6 एवं 6 थी, तथा हाई स्कूलों की संख्या 1 एवं 1 थी, जिसमें लड़के एवं लड़कियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् 1921 में प्रायमरी स्कूलों की संख्या 208, मिडिल एवं हाई

स्कूल की संख्या क्रमशः 6 एवं 1 थी, जिसमें लड़कों की संख्या में बढ़ोतरी होकर 4764 एवं लड़कियों की संख्या 1483 हो गई।

प्रथम विश्व युद्ध की आर्थिक मंदी के कारण सन् 1926 व 1932 में प्रायमरी स्कूलों की संख्या घटकर क्रमशः 193 व 97 हो गई, एवं मिडिल स्कूल की संख्या क्रमशः 6 व 6 थी, तथा हाई स्कूलों की संख्या 1 व 1 थी, जिसमें लड़के व लड़कियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, तथा सन् 1932 ई. में 93 प्रायमरी स्कूल जिला बोर्ड को सौंपा गया, सन् 1936 ई. में प्रायमरी स्कूलों की संख्या 97 एवं मिडिल व हाई स्कूलों की संख्या क्रमशः 6 एवं 1 थी, जिसमें लड़कों की संख्या 7865 थी, तथा लड़कियों की संख्या उपलब्ध नहीं है सन् 1938-39 में प्रायमरी स्कूलों की संख्या बढ़कर 160 हो गई, तथा मिडिल स्कूल व हाई स्कूलों की संख्या क्रमशः 6 व 1 थी, यह संख्या प्रायमरी और मिडिल स्कूल मिलाकर है। 160 प्रायमरी विद्यालयों में से 85 जिला बोर्ड राँची के द्वारा संचालित थे, अतः 75 विद्यालय गोस्सनर इवंगेलिकल लूथरन चर्च द्वारा संचालित थे।

सन् 1940 व 1942 में प्रायमरी स्कूलों की संख्या क्रमशः 160 व 160 तथा मिडिल स्कूलों की संख्या क्रमशः 7 व 9 थी, व हाई स्कूलों की संख्या 1 व 2 थी, जिसमें लड़के व लड़कियों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है, सन् 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति के कारण प्रायमरी स्कूलों की संख्या घटकर 109 हो गई, तथा मिडिल व हाई स्कूलों की संख्या 9 व 3 थी, जिसमें लड़के व लड़कियों की संख्या क्रमशः 2257 व 423 थी, जिसमें 2 प्रस्तावित थे सन् 1954 व 1964 में प्रायमरी स्कूलों की संख्या बढ़कर क्रमशः 156 व 172 हो गई तथा मिडिल स्कूलों की संख्या बढ़कर क्रमशः 11 व 11 हो गई व हाईस्कूलों की भी संख्या बढ़कर क्रमशः 12 व 12 हो गई जिसमें सन् 1954 में 4 मान्यता प्राप्त और 8 प्रस्तावित थे, तथा 1964 में लड़के व लड़कियों की संख्या बढ़कर क्रमशः 6920 व 3861 हो गई, जिसमें 6 मान्यता प्राप्त एवं 6 प्रस्तावित थे, इस प्रकार स्कूलों की संख्या

में बढ़ोतरी होती गई, तथा शिक्षा के प्रसार में लगातार उन्नति होती गई जिसके फलस्वरूप सन् 1971 में गोस्सनर महाविद्यालय की स्थापना हुई।¹⁴

सन् 1966 के मान्यता प्राप्त प्राथमरी स्कूल के आंकड़े इस प्रकार हैं – लूथरन चर्च 149 प्राथमरी और 25 मिडिल स्कूल संचालित करता है। अंग्लिकन मिशन 40 प्राथमरी और 16 मिडिल स्कूल संचालित करता है काथलिक मिशन 34815 लोवर प्राथमरी, 86 अपर प्राथमरी, 58 मिडिल स्कूल बालकों के लिए और 32 मिडिल स्कूल बालिकाओं के लिए संचालित करता है। वास्तव में कैथोलिक प्राथमरी स्कूल का नेटवर्क जिसमें 58,728 विद्यार्थी हैं, राज्य के बाद दूसरा नंबर आता है। उच्च शिक्षा के लिए राँची के विद्यार्थी संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग जाते थे।¹⁶

fu"d"kl %

इस प्रकार निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मिशनरियों ने राँची जिले में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना और संचालन में अभूतपूर्व योगदान दिया।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आँकड़ा

उपलब्ध नहीं है लेकिन 1967 के आँकड़ों के अनुसार केवल राँची जिले में रोमन कैथोलिकों द्वारा 538 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी जो राँची, पलामू और हजारीबाग क्षेत्र में थे। एस.पी.जी. मिशन द्वारा 52 विद्यालयों की स्थापना की गई थी तथा जी. ई.एल.चर्च द्वारा 88 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी। कुल 678 मिशन प्राथमिक विद्यालय मिशनरियों के द्वारा स्थापित थे जिसमें कुल 64,444 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे थे।

माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या इस समय तक 180 थी। कैथोलिक चर्च द्वारा 121 स्कूल, एस.पी.जी. चर्च द्वारा 22 स्कूल और जी.ई.एल. चर्च द्वारा 37 स्कूल स्थापित किये गये थे जिसमें 28,409 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे।

ईसाई मिशनरियों को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि जनता को तब तक प्रबुद्ध और उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग सतर्क नहीं किया जा सकता जब तक उसे शिक्षित नहीं किया जाय। ईसाई मिशनरियों ने ही सर्वप्रथम इस राँची जिले में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली।

l nHkl %

1. राम कुमार तिवारी, झारखण्ड की रूपरेखा, शिवांगन पब्लिकेशन, राँची, 2004, पृ. 11.
2. ख्रीस्टोफर लकड़ा, ये.स., छोटानागपुर सर्वे II, राँची महाधर्मप्रान्त के सामाजिक-आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, जेवियर समाज-सेवा संस्थान, काथलिक प्रेस, राँची, 1990, पृ. 1.
3. ई. वीस्ते, छोटानागपुर मसीही मंडली का इतिहास (1845-90), मसीही प्रकाशन गृह, राँची, 1967, पृ. 5.
4. फिलिप टोप्पो, छोटानागपुर में चर्च का उदय एवं भावी चुनौती, अग्रवाल प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची, 2006, पृ. 18.
5. मार्टिन टेटे, गोस्सनर परिवार (1845-69), मसीही प्रकाशन गृह, राँची 1968, पृ. 7.
6. एल.पी. विद्यार्थी, इंपैक्ट ऑफ इन्डस्ट्रियालाइजेशन ऑन ट्राइबल बिहार, 1970, पृ. 5.
7. एन. कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर राँची, पटना, 1970, पृ. 467.

8. केसरी एन. सहाय, क्रिश्चिनिटी एण्ड कल्चर चेंज इन इंडिया, इन्टर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1986, पृ. 70.
9. फादर प्रताप टोप्पो, ये.स., कुरडेग मिशन का गौरवशाली इतिहास, एस. चांद एण्ड कंपनी लि. नई दिल्ली, 2004, पृ. 35.
10. एल. क्लारिस, एस.जे. 'एजुकेशन इन छोटानागपुर', सं. पीटर टेटे एस.जे., कैथोलिक प्रेस, राँची, 1993, पृ. 54.
11. उपरोक्त, पृ. 55.
12. फादर प्रताप टोप्पो, पूर्वोक्त, पृ. 35.
13. सीता टोप्पो, डायनामिक्स ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन ट्रायबल इंडिया, क्लासिकल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1979, पृ. 89.
14. उपरोक्त, पृ. 90.
15. एन.कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 468.
16. उपरोक्त, पृ. 469.

